पर्सपेक्टिव प्लान

वर्ष 2002-2007

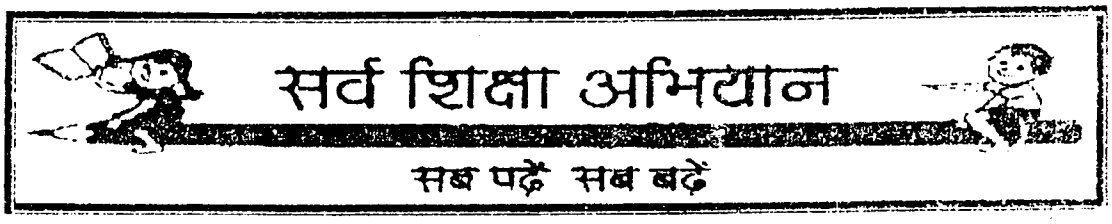

Perspective Plan

जनपद-बाराबंकी

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अनुक्रमणिका	पृष्ठसंख्या
1	अनुक्रमणिका	
2	शब्द संक्षेप	
3	जनपद की पृष्ठभूमि	1-8
4	भौतिक परिदृश्य	9-19
5	नियोजन प्रक्रिया	20-34
6	सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्य एवं लक्ष्य	35-44
7	समस्यायें व रणनीतियॉ	45-47
8	शिक्षा की पहुॅच का विस्तार—I	48-55
9	शिक्षा की पहुॅच का विस्तार—II	56-60
10	ठहराव सम्वर्द्धन	61-97
11	गुणवत्ता सम्वर्द्धन	98-147
12	परियोजना क्रियान्वयन व अनुश्रवण	148-152
13	परियोजना लागत	153-160
14	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	161-162

अध्याय १

जनपद की पृष्ठभूमि

जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पूर्वोत्तर फैजाबाद तथा लखनऊ जनपदों के बीच २६०३० तथा २७०१९ अक्षांश तथा ८०.९८ एवं ८१.५० पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में फैजाबाद तथा दक्षिण पूर्व में रायबरेली, सुल्तानपुर पश्चिम में लखनऊ पूर्व में गोण्डा, उत्तर में बहराईच पश्चिमोत्तर में सीतापुर जिले स्थित हैं।जनपद की उत्तर पूर्वी सीमा घाघरा तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा पर गोमती सतत प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं । रेट , कल्याणी व रारी जनपद की अन्य नदियाँ हैं।

जनपद में बाराबंकी के तट पर महादेवा का प्रसिद्ध शिव मन्दिर स्थित है जहाँ दूर–दूर से श्रद्धालू दर्शनार्थ आतें हैं । जनपद मुख्यालय से १३ कि०मी० की दूरी पर देवां शरीफ स्थित है जहाँ पर हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक प्रसिद्ध सूफी सन्त हाजी वारिस अली शाह की मजार है । देवां शरीफ में दीपावली के पूर्व माह अक्टूबर नवम्बर में एक माह तक उर्स के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मेला लगता है । जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आतें हैं। जनपद मुख्यालय से ४३ कि०मी० की दूरी पर सिरौली गौसपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत बरौलिया नामक ग्राम में पौराणिक महत्ता प्राप्त सर्वथा दुर्लभ प्रजाति का पारिजात नामक वृक्ष जनपद एवं राष्ट्र की धरोहर है । किवन्दती है कि पारिजात को स्वर्ग से लाकर महाभारत काल में अर्जुन ने इसे यहाँ रोपित किया था। जनपद में कुन्तेश्वर महादेव औसानेश्वर , कोटवाधाम, पोखरा, बीबीपुर,सतरिख, रामसनेही घाट, मझिगवां शरीफ और वासा शरीफ अन्य धार्मिक स्थल हैं । विकासखण्ड रामसनेही घाट स्थित में भगहरा झील प्रमुख पर्यटन स्थल में एक है ।

इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल ३८९५०४ वर्ग कि०मी० है जिसमें कृषि योग्य भूमि हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्र लगभग ३३२००० हेक्टेयर है । शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल २५१०० हेक्टेयर है यहाँ की भूमि समतल तथा उपजाऊ है । भूमि नदियों द्वारा लगाई गई मिट्टी से बना है , जिसके ऊपरी भाग को उपरहर कहतें हैं इसकी मिटटी पोली तथा भटियार है । नदियों के किनारे की मिटटी बलुई है तथा इससे लगे भाग की मिटटी दोमट है । जिसे तराई के नाम से जाना जाता है । खनिज सम्पदा जनपद में लगभग नगण्य है । घाघरा व गोमती नदियों के किनारे से आवश्यकता अनुसार बालू मिल जाती है ।

जनपद में गेहूँ , धान, चना, मक्का, अरहर आदि प्रमुख खाद्यान्न की फसलें है। गन्ना आलू एवं मेन्था व अफीम प्रमुख नगदी फसलों की खेती जनपद में की जाती है , जिससे किसानों को धनार्जन होता है । सरसों लाही आदि की तिलहन ी फसलें हैं । कृषि की दृष्टि से जनपद काफी समृद्ध है ।

जनपद में १९९६–१९९७ वन क्षेत्र में ५३०८ हेक्टेअर था जो प्रदेश के वन क्षेत्रफल के औसत से बहुत कम है । वन क्षेत्रों में बबूल, शीशम, सागौन आदि वृक्ष पाये जातें हैं । वन विभाग द्वारा सागौन , सालू तथा इमारती वृक्षों का रोपड़ कराया जा रहा है ।

जनपद में वन क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्र का मात्र १.६५ प्रतिशत है सबसे अधिक वन क्षेत्र विकासखण्ड बनींकोडर में कल्याणी नदी के किनारे लगभग १५६४ हेक्टूअर क्षेत्र है।वनक्षेत्र का ३४.९७ प्रतिशत तहसील नवाबगंज में १५.३७ फतेहपुर क्षेत्र में २६.९२ प्रतिशत क्षेत्र रामसनेही घाट तहसील में २२.३०प्रतिशत क्षेत्रफल हैदरगढ़ में व शेष भाग रामनगर व सिरौली तहसील में पाया जाता है।

जनपद के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है । प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, भूमिगत जल , नदियॉ, झीलें वनसम्पदा है।भूस्तरीय जल घाघरा एवं गोमती नदी शारदा नहर झीलों व तालाबों से प्राप्त होता है यहॉ की जलवायु शीतोष्ण है । वर्ष में १९९८–९९ में सामान्य तापमान ४५ डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान २.५ डिग्री सेल्सियस रहा। औसत वर्ष (१९९८) १०५६ मि०मि० रही । भूमिगत जल की जनपद में कोई समस्या नहीं है।केवल कुछ क्षेत्र जो नदियों के किनारे स्थित हैं वहॉ पर कभी कभी जलस्तर गिरने की समस्या आती है ।

वर्तमान व्यवस्था में विकेन्द्रित नियोजन द्वारा विकासकार्य में जनसमुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है । जनसमुदाय के द्वारा सामूहिक विचार विमर्श कार्य जिला पंचायत ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत , ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है । प्रशासनिक दृष्टि से जनपद ६ तहसीलों क्रमशः नवाबगंज, रामसनेहीघाट,हैदरगढ़, सिरौलीगौसपुर, रामनगर एवं फतेहपुर में विभक्त है । जनपद

में कुल १५ विकासखण्ड हैं , जिनके नाम क्रमशः बंकी, मसौली, हरख, देवां, हैदरगढ़,त्रिवेदीगंज, सिद्धौर, बनींकोडर दरियाबाद, पूरेडलई ,सिरौलीगौसपुर,रामनगर, फतेहपुर,सूरतगंज एवं निन्दूरा है । जनपद में कुल १० टाउन एरिया क्रमशः बंकी, सतरिख , जैदपुर , सिद्धौर, हैदरगढ़, दरियाबाद, टिकैतनगर, रामनगर, फतेहपुर व नवसृजित सुबेहा है । सुबेहा व नगर पंचायत का सृजन इसी वर्ष हुआ है । रामपुर कटरा सेन्सस टाउन तथा एक नगर पालिका परिषद नवाबगंज है।बंकी छावनी क्षेत्र एकमात्र कैन्टोनमेन्ट है ।

सारणी–१.१

तहसीलवार विकासखण्डों की सूची निम्नवत है

क्रमसख्या	तहसील	सम्बन्धित विकासखण्ड
१	नवाबगंज	१–बंकी २–मसौली ३–हरख ४–देवां
२	हैदरगढ़	१–हैदरगढ़ २–सिद्वौर ३–त्रिवेदीगंज
३	रामसनेहीघाट	१–बनीकोडर २–दरियाबाद ३–पूरेडलई
४	सिरौलीगौसपुर	१–सिरौलीगौसपुर
५	रामनगर	१–रामनगर २–सूरतगंज
६	फतेहपुर	१–फतेहपुर २– निन्दूरा

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में १३६ न्याय पंचायतें १००३ ग्राम पंचायतें तथा कुल १८४३ राजस्व ग्राम हैं।। जनपद में मजरों/बस्तियों की कुल संख्या ५६१६ है । सुरक्षा की दृष्टि से १३ पुलिस स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नौ नगरीय क्षेत्रों में तथा १९ पुलिस चौकियाँ स्थापित हैं । १९९८–९९ में संचार व्यवस्था में ३५६डाकघर २० तारघर तथा ५३४९ टेलीफोन व ४२८ पी०सी०ओ० उपलब्ध है । यातायात के प्रमुख साधन में रेल एवं सड़क परिवहन प्रमुख है । जनपद में पूर्वोत्तर रेलवे व उत्तर रेलवे की १३१कि०मी० रेलवे लाईन उपलब्ध है । जनपद में १९रेलवे स्टेशन हैं । पक्की सड़कों की १९९८–९९ में १९९३ कि०मी० बस स्टेशनों की संख्या ९२ है। माल ढुलाई व यातायात हेतु ३२ ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियाँ कार्यरत हैं ।

सारणी १.२

जनपद बाराबंकी की प्रशासनिक इकाईयाँ

क्रमांक	प्रशासनिक इकाई का नाम	संख्या
1	तहसील	06
2	विकासखण्ड	15
3	न्याय पंचायत	136
4	ग्राम पंचायत	1003
5	राजस्वग्राम	1843
6	बस्तियों की संख्या	5616
7	नगर निगम	-
8	नगर महापालिका	-
9	नगर पालिका परिषद	01
10	टाउन एरिया	11
11	वार्ड	141

स्रोत:– जिला साँख्यिकी पत्रिका – बाराबंकी

सारणी संख्या १.२१

जनपद बाराबंकी में नगरक्षेत्र व उनके वार्डो की संख्या निम्नवत् है

क्रम	टाउन-एरिया/नगरक्षेत्र का नाम	वार्डो की संख्या	जनसंख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1	नवाबगंज	25	39295	35792	75087
2	दरियाबाद	12	8133	7528	15661
3	सतरिख	10	5309	4820	10129
4	रामनगर	10	6571	5845	12416
5	बंकी	12	9724	7273	16997
6	सिद्धौर	10	5656	5089	10745
7	हैदरगढ़	10	7397	6646	14043
8	देवां	10	6749	6070	12819
9	फतेहपुर	16	15742	14202	29944
10	टिकैतनगर	10	4344	3902	8246
11	जैदपुर	16	15574	14491	30065
12	रामपुर भवानीपुर	-	5908	5395	11303

नोटः—नवसृजित टाउन एरिया सुबेहा अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनको गणना की गई है। तथा रामपुर भवानीपुर सेन्सस टाउन है।

स्रोतः— जनगणना (Census) २००१

जनसंख्या :-

वर्ष 2001की जनगणना के अनुसार जनपद बाराबंकी की कुल जनसंख्या 26.73लाख है , जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 14.17लाख तथा महिलाओं की जनसंख्या12.56लाख है ग्रामीण एवं नगरीय आबादी क्रमश 24.25लाख तथा 2.47 लाख है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 7.36 लाख है जो कुल आबादी का लगभग 27 प्रतिशत है।

जनसंख्या मात्र 239 है जो नाम मात्र की आबादी है ।

सारणी 1.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्रांक	विकास खण्ड का नाम	जनगणना 1991						जनगणना 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख			कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	निन्दूरा	76618	64453	141071	26517	22570	49087	95305	83170	178475	32984	29124	62109
2	फतेहपुर	83686	71318	155004	21227	17956	39183	104097	92029	196126	26404	23170	49575
3	सूरतगंज	76106	60753	136859	11877	9322	21199	94668	78396	173064	14774	12029	26803
4	रामनगर	64925	53975	118900	14162	11764	25926	80760	69649	150410	17616	15180	32796
5	देवा	69026	58203	127229	21294	18096	39390	85861	75105	160967	26488	23351	49839
6	बंकी	75743	64052	139795	18007	15379	33386	94217	82653	176869	22399	19845	42244
7	हरख	62711	53605	116316	21780	18373	40153	78006	69172	147178	27092	23709	50801
8	मसौली	65904	57904	123808	17368	15007	32375	81978	74719	156697	21604	19365	40969
9	सिद्धौर	76911	66234	143145	30127	26128	56255	95670	85468	181138	37475	33716	71191
10	त्रिवेदीगंज	66599	58339	124938	24680	20945	45625	82842	75281	158123	30699	27027	57727
11	हैदरगढ	68928	60725	129653	24722	21452	46174	85740	78360	164099	30752	27682	58433
12	दरियाबाद	58672	50131	108803	19459	16634	36093	72982	64689	137671	24205	21465	45670
13	बनीकोडर	82675	71749	154424	26883	23293	50176	102839	92585	195424	33440	30057	63497
14	पूरेडलई	47984	40652	88636	11616	9626	21242	59687	52457	112145	14449	12421	26871
15	सिरौलीगौसपुर	59569	50066	109635	15488	12798	28286	72882	64605	137487	19266	16515	35780
16	कुल योग	1036057	882159	1918216	305207	259343	564550	1287535	1138338	2425873	379647	334656	714303
17	नगरीय क्षेत्र	103275	91314	194589	9874	7280	17134	129676	117843	247521	12282	9394	21676
18	जनपदीय योग	1139332	973473	2112805	315081	266623	581684	1417213	1256181	2673394	391929	344050	735979

2001 की जनगणना के आधार पर पुरूष-1417213 व नगरीय जनसंख्या पुरूष-129678
महिला-1256181 महिला-117843
योग- 2673394

लिंगानुपात

वर्ष 1981 में जनपद में प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 858 थी जो 1991 में घटकर 854 प्रति हजार रह गई,परन्तु वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या मात्र 886 है, जो कि प्रदेश के औसत से काफी कम है । जनपद में घटता हुआ लिंगानुपात चिन्ताजनक विषय है ।

जनसंख्या घनत्व

जनपद में जनसंख्या घनत्व वर्ष 1981 में 453 प्रति वर्ग कि0मी0 था जो कि वर्ष 1991 में बढ़कर 542 प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया तथा 2001 में यह घनत्व बढ़कर 686 हो गया । जो राज्य के जनसंख्या घनत्व से काफी अधिक है । जनपद में उक्त जनसंख्या घनत्व से ही संसाधनों तथा विद्यालयों पर पड़ने वाले दबाव का अनुमान लगाया जा सकता है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 27.7 प्रतिशत है जो जनसंख्या की एक काफी बड़ा हिस्सा है । अनुसचित जाति की जनसंख्या वितरण में क्षेत्रवार व ब्लाकवार काफी अन्तर है,सिद्धौर व त्रिवेदीगंज में जहाँ इनकी संख्या 39.3 प्रतिशत व 36.5 प्रतिशत है वहीं सूरतगंज व रामनगर में , इनकी संख्या मात्र 15.5 प्रतिशत व 22.1 प्रतिशत है । अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जनपद में मात्र 239 ह जो लगभग न के बराबर है ।

जनपद में लगभग 78 प्रतिशत हिन्दूं हैं तथा मुस्लिम वर्ग की आवादी 21.66 प्रतिशत हैं, शेष जैन , बौद्ध व ईसाई धर्म के अनुयायी हैं । जनपद में मुस्लिम वर्ग की काफी बड़ी संख्या है जो शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़े हैं ।

सारांश :

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जनपद बाराबंकी की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । बड़ी संख्या में बेरोजगार व अद्ध बेरोजगार मानव मानव शक्ति उपलब्ध है । पूरे डलई , सूरतगंज व रामनगर बाढ़ से प्रभावित अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र हैं । ब्लाकवार व क्षेत्रवार सामाजिक संरचना में काफी विषमतायें है । जनपद में काफी बड़ी फौज निरक्षरों की है जनपद में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सोचनीय है। जनपद मं लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीवी रेखा के नीचे निवास करती है । इन पिछडत्रे वर्ग के बच्चों को स्कूल में लाना व उनका ठहराव सुनिश्चित करना एक चुनौती है । डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत इसमें समुदाय के सहयोग से काफी सफलता मिली है । लेकिन सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये अभी और प्रभावी व समयवद्ध कदम उठाने आवश्यक है ।

अध्याय 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद बाराबंकी शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है । वर्ष 1991 में जनपद की साक्षरता दर मात्र 31.2 थी जो कि राज्य के औसत की लगभग 11 प्रतिशत कम थी । महिला साक्षरता दर तो वर्ष 1991 में मात्र 15 थी । वर्ष 2001 में विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों , जिला प्राथमिक शिक्षा -कार्यक्रम सम्पूर्ण साक्षरता आदि के परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि हुई है । 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में लगभग 18 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है. वर्तमान में साक्षरता दर 48.71 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 35.64 प्रतिशत है, जो कि राज्य के औसत 57.36 और 42.98 प्रतिशत से काफी कम है ।

सारणी 2.1

शैक्षिक परिदृश्य

साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता दर	वर्ष 1991		वर्ष 2001	
कुल साक्षरता	31.3		48.71	
ग्रामीण साक्षरता	29.3		34.7	
नगरीय साक्षरता	48.9		60.5	
कुल पुरूष साक्षरता	43.8		60.12	
कुल महिला साक्षरता	16.2		35.64	
ग्रामीण पुरूष साक्षरता	31.4%		49.4%	
ग्रामीण महिला साक्षरता	12.4%		30.4%	
नगरीय पुरूष साक्षरता	36.2%		54.2%	
नगरीय महिला साक्षरता	17.0%		35.0%	

स्रोतः- जनगणना 1991 तथा 2001

जनपद में विकासखण्ड वार साक्षरता दर मे काफी विषमतायें है 1991 की जनगणना के आधार

पर विकासखण्ड पूरेडलई , सूरतगंज , हैदरगढ , त्रिवेदीगंज, दरियाबाद, सिरौली गौसपुर विकासखण्ड में साक्षरता जनपद औसत से भी कम है।महिला साक्षरता दर विकासखण्ड-पूरेडलई व सूरतगंज में न्यूनतम है

सारणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता

	विकासखण्ड का नाम	1991के अधार पर साक्षरता दर			अनुसूचित जाति		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	सिन्दुरा	36.6	10.8	25	26.2%	9.2%	19.2%
2	फतेहपुर	44.9	17.4	32.4	25.4%	16.3%	26.3%
3	सूरतगंज	32	11.1	22.9	27.3%	7.3%	17.3%
4	रामनगर	43.5	15.8	31.1	18.6%	14.1%	24.1%
5	देवा	43.2	13.2	29.7	27.6%	11.4%	21.4%
6	बंकी	46.4	17	33.1	39.0%	16.3%	26.3%
7	हरख	46.3	13.9	31.5	38.1%	12.8%	22.8%
8	मसौली	48.8	15.7	33.5	29.4%	14.6%	24.6%
9	सिद्धौर	43.3	13	29.4	24.6%	11.9%	21.9%
10	त्रिवेदीगंज	51.3	16.4	35.2	28.9%	15.2%	25.2%
11	हैदरगढ	39.9	10.2	26.2	29.2%	8.3%	18.3%
12	दरियाबाद	39.9	13.4	27.8	20.9%	10.6%	36.2%
13	बनीकोडर	45.2	12.8	30.3	32.6%	11.3%	21.3%
14	पूरेडलई	32.7	10.7	22.8	19.2%	6.4%	16.4%
15	सिरौलीगौसपुर	37.8	10.8	25.6	26.1%	8.9%	18.9%
16	कुल योग	42.3	13.6	29.3	31.4%	12.4%	22.4%
17	नगरीय क्षेत्र	57.8	38.7	48.9	36.2%	17.0%	27.0%
18	जनपदीय योग	43.8	16.2	31.3	31.9%	12.0%	22.0%

स्रोतः- जनगणना 2001

विकास खण्डवार साक्षरता सारणी 2.3

	विकासखण्ड का नाम	2001 के आधार पर साक्षरता दर			अनुसूचित जाति		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	निन्दूरा	53.6	29.8	43.5	44.2%	24.2%	34.2%
2	फतेहपुर	61.1	37.4	50.5	43.4%	31.3%	41.3%
3	सूरतगंज	48.2	30.1	41.1	45.0%	23.3%	35.8%
4	रामनगर	59.5	33.8	49.6	36.0%	32.1%	60.1%
5	देवा	60.2	31.2	47.8	45.0%	27.4%	50.5%
6	बंकी	62.8	36.5	51.4	57.0%	31.3%	54.0%
7	हरख	63.4	33.1	49.9	56.0%	27.0%	50.7%
8	मसौली	65.1	33.7	51.7	47.6%	29.6%	48.9%
9	सिद्धौर	60.4	32	47.7	42.6%	29.9%	53.7%
10	त्रिवेदीगंज	67.9	38.4	53.3	46.9%	33.2%	62.7%
11	हैदरगढ	55.7	30.2	44.4	48.0%	36.0%	65.1%
12	दरियाबाद	57.4	31.4	46.2	39.0%	28.6%	63.3%
13	बनीकोडर	61.7	31.8	49	52.0%	29.3%	51.6%
14	पूरेडलई	48.5	31.7	41.4	37.2%	24.6%	49.1%
15	सिरौलीगौसपुर	54.6	30.8	44	44.0%	26.9%	51.5%
16	कुल योग	59.3	31.6	47.4	49.4%	30.4%	50.9%
17	नगरीय क्षेत्र	73.7	57.6	67	54.2%	35.0%	61.3%
18	जनपदीय योग	60.12	35.2	49.4	49.9%	30.0%	49.6%

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1999 में जुलाई से अधिक हुआ है । जिसके अन्तर्गत शिक्षा की पहुँच के विस्तार हेतु 77 प्रा0वि0 की स्थापना तथा 232 विद्याकेन्द्र 20 ऋषिवैलीकेन्द्र 48 मकतब मदरसे खोले जा चुके हैं। ठहराव में वृद्धि हेतु ठहराव परिक्रमा,बच्चों का तारांकन ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन , गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु शिक्षण अधिगम तथा क्षमता कार्यवृद्धि के विविध प्रयास किये जा रहें है जिससे प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामाँकन में वृद्धि काफी हुई हैं तथा ड्रापआउट दर घटी हैं लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय उक्त प्रयासों से वंचित थे तथा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लायक लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुछ और दीर्घ कालिक प्रयासों की आवश्यकता थी , जिसके लिये सर्व शिक्षा अभियान इस वर्ष प्रारम्भ किया जा रहा है ।

जनपद में प्राथमिक स्तर के कुल 1654 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं 253 मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं जिसमें से 1599 परिषदीय एवं 201 मान्यता प्राप्त विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं साथ ही जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय 363 परिषदीय तथा 147 मान्यता प्राप्त है । माध्यमिक - विद्यालयों से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 32 है । जिसमें 13 शासकीय विद्यालय हैं । इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या काफी कम है । जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं की विवरण सारणी 2.3 के अनुसार है ।

सारणी-2.4

	परिषदीय/सामुदायिक			मान्यता प्राप्त			कुल			गैरमान्यता प्रा	
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्राथमिक विद्यालय	1631	23	1654	201	52	253	1803	76	1879	60	0
माध्य0वि0 में सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्चप्राथमिक अनुभाग	359	4	363	106	41	147	332	45	377	24	0
माध्य0वि0 में सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	11	2	13	58	11	69	69	13	82	0	0
केन्द्रीय विद्यालय	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
नवोदय विद्यालय	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
हाईस्कूल	8	0	8	43	2	45	51	2	53	14	0
इण्टरमीडियट	3	2	5	15	9	24	19	10	29	0	0
डिग्री कालेज	1	1	2	1	0	1	2	1	3	0	
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	
विश्वविद्यालय	1	0	1	0	0	0	1	0	1		
तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0/पालीटेक्नि क)	1	1	2	0	0	0	1	1	2		
कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	0	0	0	0	8	8	0	8	8		
आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	1699	0	1699	0	0	0	1699	0	1699		
मकतब/मदरसें	0	0	0	32	4	36	32	4	36		
संस्कृत पाठशालाएं	0	0	0	3	1	4	3	1	4		
विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	0										
बाल श्रमिक विद्यालय	0										
समाज कल्याण विभाग अनुदानित विद्यालय	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	

स्रोत : विभागीय सूचनायें ।

जनपद में प्रति 1676 की जनसंख्या पर एक परिषदीय स्कूल की सुविधा उपलब्ध है । तथा प्रत्येक 7365 की आबादी पर मात्र एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है ।

जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विकासखण्डवार उपलब्धता

विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1 हरख	106	20
2 निन्दूरा	107	15
3-मसौली	90	14
4-देवां	106	15
5 सिरौली गौसपुर	98	17
6 पूरेडलई	66	9
7 बंकी	109	14
8 सिद्धौर	120	17
9 दरियाबाद	100	9
10-बनीकोडर	121	15
11-रामनगर	104	14
12-त्रिवेदीगंज	111	14
13 हैदरगढ़	113	20
14-सूरतगंज	117	11
15-फतेहपुर	131	22
16-नगरक्षेत्र बाराबंकी	23	4
महायोग	**1622**	230

स्रोत:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

<u>शिक्षकों की उपलब्धता</u> :-

जनपद में प्राथमिक स्तर पर 3923 अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 892 अध्यापक कार्यरत हैं

सारणी-2.6

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	4870	3196	1674	1046+1346= 2392
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1656	1174	482	

स्रोत :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के अनुसार जनपद में प्राथमिक स्तर पर 9.54 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है शिक्षक उपलब्धता में ब्लाक वार भिन्न-भिन्न है । जहाँ पूरेडलई में छात्र शिक्षक अनुपात दर 98.35:1 है वहीं बंकी में 44.33:1 है । नगर क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात तो मात्र 23.69:1 है , जनपद में 16.46 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जो एकल अध्यापकीय हैं । एकल अध्यापकीय विद्यालयों की प्रतिशत विकासखण्ड पूरेडलई में तो41.27 है वहीं नगरक्षेत्र में मात्र 1.35 प्रतिशत विद्यालय एकल है ।

महिला पुरूष शिक्षकों का अनुपात भी विकासखण्डवार भिन्न है । विकासखण्ड बंकी में 59.41 है वहीं पर विकासखण्ड सूरतगंज में 7.93विकासखण्ड पूरेडलई में यह अनुपात 14.86 है।जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में महिला पुरूष शिक्षक अनुपात 29.71 है ।

अनुसूचित जाति के शिक्षकों का प्रतिशत जनपद में 12.26 है । जबकि यह संख्या विकासखण्ड बंकी में 7.41 प्रतिशत मात्र अनुसूचित जाति के शिक्षक है । विकासखण्ड सिद्धौर के अनुसूचित जाति के शिक्षकों का प्रतिशत 20 है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला पुरूष शिक्षकों का अनुपात है। तथा अनुसूचित जाति [illegible] प्रतिशत 12: है।

सारणी 2.7

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का विवरण निम्नवत है ।

BLOCK NAME	TOTAL TEACHERS	FEMALE TEACHERS	S C TEACHERS	S T TEACHER	OBC TEACHERS	% OF FEMALE	% OF S C TEACHER	% OF S T TEACHER	% OF TRAINED
FATEHPUR	442	97	51	0	267	21.95	11.54	0	62.9
SIRAULIGAUSPUR	290	45	46	0	119	15.52	15.86	0	65.52
DEWA	358	150	49	0	172	41.9	13.69	0	69.55
BANKI	580	342	43	0	226	58.97	7.41	0	79.83
BANI KODAR	417	58	41	0	129	13.91	9.83	0	63.79
HAIDARGARH	321	74	41	0	44	23.05	12.77	0	73.83
PUREDALAYEE	104	15	10	0	27	14.42	9.62	0	91.35
SURATGANJ	251	19	26	0	97	7.57	10.36	0	66.93
DARIYABAD	201	28	28	0	79	13.93	13.93	0	87.06
MASAULI	352	112	46	0	171	31.82	13.07	0	74.43
TRIVEDIGANJ	285	34	46	0	111	11.93	16.14	0	80
SIDHAUR	360	46	72	0	158	12.78	20	0	66.67
HARAKH									
NINDURA	283	92	54	0	100	32.51	19.08	0	69.96
RAM NAGAR	296	66	23	0	125	22.3	7.77	0	69.26
BARABANKI©	471	326	17	0	111	69.21	3.61	0	45.01
BARABANKI(DIST)	5546	1625	680	0	2206	29.3	12.26	0	68.57

(स्रोत ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ों के अनुसार)

उक्त ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 95प्रतिशत अधिक है लेकिन मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक उपस्थित थे ।

जनपद में स्वीकृत एव कार्यरत परिषदीय विद्यालयो मे स्वीकृत व कार्यरत शिक्षकों व शिक्षामित्रों [illegible]

जनपद बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति निम्नवत है

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी संख्या-2.8

विवरण	1 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी0 से अधिक तथा 1.5 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता
ऐसी बस्तियों की सं0 जिन की आबादी 300 से अधिक है	2734	438	--	--
ऐसी बस्तियों की सं0 जिन की आबादी 300 से कम है	2212	232	--	--

वर्तमान में जनपद बाराबंकी की सभी बस्तियों प्राथमिक विद्यालय अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों से सेवित हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता ।

सारणी संख्या-2.9

विवरण	3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक उपलब्ध विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता
ऐसी बस्तियों की सं0 जिन की आबादी 800 से अधिक है	2205	--	--
ऐसी बस्तियों की सं0 जिन की आबादी 80 से कम है	3411	112	90

जनपद बारांबांकी में ऐसी कोई बस्ती शेष नही रह गयी है जहां मानक के अनुसार 800 की आबादी तथा 3 किमी0 की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न हो। जनपद में 112 असेवित बस्तियां ऐसी है जिनकी आबादी 800 से कम है लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी 3 किमी0 से अधिक है। जनपद में 90 उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (AIE) की स्थापना के उपरान्त असेवित सभी 112 बस्तियां सेवित हो जायेंगी।

छात्र नामांकन

[illegible] कुल 2,25,411 बालक तथा 1,88,[illegible] [illegible]

[illegible] 1,58,826 बालक [illegible] 1,55,093 बालिकायें विद्यालय [illegible] 5-7 वयवर्ग में 20,306 तथा 7-11 वयवर्ग में 16,279 बालिकायें चिन्हांकित हैं। स्कूल चलो अभियान [illegible] वयवर्ग के 34009 बालकों तथा 30106 बालिकाओं का नामांकन जनजागरण एवं जनसम्पर्क के माध्यम [illegible] चुका है। शेष बच्चों के नामांकन हेतु विद्याकेन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रयास किये [illegible] विद्यालयों में छात्र नामांकन की [illegible] स्थिति निम्नवत है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

<u>[illegible]ूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति</u>: जनपद में स्कूल न जाने वाले 6-14 वयवर्ग के बच्चों के चिन्हांकन हेतु मई 2003 तक [illegible] स्तर पर हाऊसहोल्ड सर्वे कराया गया। जिसका मजरेवार कम्प्यूटराईजेशन भी कराया गया है। जनपद बाराबंकी में 6-11 [illegible] स्कूल न जाने वाले बालकों की संख्या 36585 एवं बालिकाओं की संख्या 33897 है,जिसमें अपने घरेलूकार्यों के कारण 15548 बच्चे [illegible] में लगे रहने के कारण 3997 बच्चे घर के बच्चों की देखभाल के कारण 13221 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण 3613 बच्चे तथा अन्य कारणों से 63783 विद्यालय से बाहर हैं,इसी प्रकार 11 से 14 वयवर्ग के 27229 बच्चे स्कूल न जाने वाले चिन्हांकित हैं। [illegible]खण्ड वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति निम्नवत है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (2003 की स्थिति) *सारणी-2.9*

विकासखण्ड का नाम	6-11 वयवर्ग			11-14 वयवर्ग			स्कूल न जाने वाले				[illegible]
							6-11		11-14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
[illegible]	16613	14790	31403	7769	6681	14450	715	1951	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	13104	11099	24203	6083	4620	10703	780	2473	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]ौली	11811	9685	21496	5441	4862	10303	562	1999	690	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11503	10002	21505	5383	4126	9511	326	791	347	[illegible]	[illegible]
[illegible]गढ़	8198	11304	19502	7580	6102	13682	1053	2075	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]गंज	7397	9845	17242	5753	4466	10219	831	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	15343	12699	28042	7636	5727	13363	1284	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	17672	13598	31270	7765	5422	13187	1095	3072	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]याबाद	14138	11483	25621	5607	4430	10037	780	[illegible]	814	[illegible]	[illegible]
[illegible]	9273	7455	16728	3934	3206	7140	646	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	12145	10250	22395	5766	4233	9999	629	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	13821	14050	27871	7157	5470	12627	607	2592	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]गंज	19401	11507	30908	6604	4404	11008	903	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]पुर	19931	17031	36962	8578	6569	15147	288	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	15330	12175	27505	9015	6629	15644	679	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] (नगरक्षेत्र)	2404	2141	4545	1560	1439	2999	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
योग	208084	179114	337198	101631	78388	180019	11190	33089	13056	[illegible]	[illegible]

स्रोत:- जनपद में किये गये हाऊसहोल्ड सर्वे के आधार पर।

जनपद बाराबंकी में वर्ष 2002 के ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन [illegible] तथा शुद्ध नामांकन अनुपात 85.58 है।

विकासखण्ड वार जी0ई0आर0 व एन0ई0आर0 निम्नवत् है।

सारणी 2.10

जी0ई0आर एवं एन0ई0आर0

क्रम	विकासखण्ड का नाम	कुल नामांकन			जी0ई0आर0 / (एन0ई0आर0)	
		बालक	बालिका	योग	जी0ई0 आर0	एन0ई0 आर0
1	बनीकोडर	21578	2169	23747	98.18	93.46
2	बंकी	22114	2857	24971	86.2	83.87
3	नगरक्षेत्र	1768	141	1909	97.89	93.67
4	दरियाबाद	17760	779	18539	83.96	75.38
5	देवां	19224	3449	22673	93.58	87.89
6	फतेहपुर	21626	4875	26501	86.42	85.97
7	हैदरगढ़	20269	3467	23736	92.23	84.55
8	हरख	18738	3316	22054	95.9	95.44
9	मसौली	15977	2739	18716	88.73	83.57
10	निन्दूरा	20704	2760	23464	94.35	89.71
11	पूरेडलई	12739	1208	13947	76.95	63.61
12	रामनगर	15242	2143	17385	99.74	84.76
13	सिद्धौर	21164	2515	23679	91.66	90.11
14	सिरौलीगौसपुर	17836	2550	20386	99.16	96.72
15	सूरतगंज	17507	1971	19478	96.26	83.29
16	त्रिवेदीगंज	262	17275	17537	87.47	77.29
	कुल योग	264508	54214	318722	91.7925	85.5806

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख - बाराबंकी

प्राथमिक स्तर – जनपद बाराबंकी में [illegible] के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुल 2,25,411 बालक [illegible] 1,88,990 बालिकायें 6-11 वयवर्ग की हैं, जिसमें 1,88,826 बालिकायें 6 11 वयवर्ग की हैं, जिसमें 1,88,826 बालक तथा 1,55,093 बालिकायें विद्यालय जा रही हैं स्कूल न जाने वाले बालकों की संख्या 5 [illegible] वयवर्ग में 20,306 तथा [illegible] में 16,2[illegible] बालिकायें चिन्हांकित हैं। स्कूल चलो अभियान के दौरान 6 11 वयवर्ग के 340[illegible]9 बालकों तथा 30106 बालिकाओं का नामांकन जनजागरण एवं जनसम्पर्क के माध्यम से कराया जा चुका है शेष बच्चों के नामांकन हेतु विद्याकेन्द्र एवं [illegible] शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन की ब्लाकवार स्थिति निम्नवत है।

छात्र नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)

जनपद-बाराबंकी सारणी 2.11

क्रम	विकासखण्ड	परिषदीय शासकीय			मान्यताप्राप्त		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बनीकोडर	11381	10909	**22290**	2643	2265	**4908**
2	बंकी	11650	11176	**22826**	2362	1963	**4325**
3	नगरक्षेत्र	1196	1159	**2355**	4972	4183	**9155**
4	दरियाबाद	9765	8707	**18472**	0	0	**0**
5	देवां	10229	9707	**19936**	1734	1537	**3271**
6	फतेहपुर	11773	10565	**22338**	2496	1642	**4138**
7	हैदरगढ़	11022	9959	**20981**	728	742	**1470**
8	हरख	10052	9398	**19450**	3126	2629	**5755**
9	मसौली	8625	8064	**16689**	1809	1244	**3053**
10	निन्दूरा	11039	10377	**21416**	1572	1315	**2887**
11	पूरेडलई	7374	6077	**13451**	0	0	**0**
12	रामनगर	8496	7458	**15954**	1444	916	**2360**
13	सिद्धौर	11164	10712	**21876**	1926	1278	**3204**
14	सिरौलीगौसपुर	9775	8773	**18548**	1916	1615	**3531**
15	सूरतगंज	10315	7904	**18219**	1143	989	**2132**
16	त्रिवेदीगंज	9209	8778	**17987**	588	517	**1105**
	योग	153065	139723	292788	28459	22835	51294

स्रोत:- जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय - बाराबंकी

उच्च प्राथमिक स्तर - जनपद बाराबंकी में 11-14 वयवर्ग के बच्चों की कुल संख्या 185969 है, जिसमें 1,04,9[illegible] बालक तथा 81,049 बालिकायें हैं। 11 से 14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या 67,384 तथा बालकों की [illegible] स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले 13,564 बालकों के सापेक्ष 7896 बालकों का तथा 13665 बालिकाओं के सापेक्ष 7122 बालिकाओं का नामांकन कराया जा चुका है.शेष बच्चों के नामांकन हेतु ब्रिजकोर्स कैम्प,आवासीय कैम्प एवं [illegible] शिक्षाकेन्द्रों के माध्यम से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

छात्र नामांकन (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद-बाराबंकी सारणी 2.12

क्रम		परिषदीय शासकीय			मान्यताप्राप्त		
	विकासखण्ड	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बनीकोडर	1376	793	**2169**	451	167	618
2	बंकी	1447	1410	**2857**	361	243	604
3	नगरक्षेत्र	23	118	**141**	540	322	862
4	दरियाबाद	439	340	**779**	0	0	0
5	देवां	1867	1582	**3449**	54	22	76
6	फतेहपुर	2659	2216	**4875**	353	270	623
7	हैदरगढ़	2203	1264	**3467**	0	0	0
8	हरख	1974	1342	**3316**	190	180	370
9	मसौली	1412	1327	**2739**	0	0	0
10	निन्दूरा	1598	1162	**2760**	125	98	223
11	पूरेडलई	734	474	**1208**	0	0	0
12	रामनगर	1119	1024	**2143**	161	72	233
13	सिद्धौर	1310	1205	**2515**	524	279	803
14	सिरौलीगौसपुर	1566	984	**2550**	121	93	214
15	सूरतगंज	1316	655	**1971**	214	167	381
16	त्रिवेदीगंज	1455	1103	**2558**	196	125	321
	योग	22498	16999	39497	3290	2038	5328

स्कूल चलो अभियान के उपरान्त जनपद बाराबंकी में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कारण सहित निम्नवत है, जिनके नामांकन हेतु विशेष रणनीति की आवश्यकता है।

<u>विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कारण सहित</u>

सारणी संख्या 2.13

कारण	बालक			बालक			
आयुवर्ग →	5-6 आयुवर्ग	7-10 आयुवर्ग	11-14 आयुवर्ग	5-6 आयुवर्ग	7-10 आयुवर्ग	11-14 आयुवर्ग	योग
घरेलू कार्यो में	445	838	2334	660	1230	3271	**8778**
भाई बहनों की देखभाल	134	251	853	198	369	971	**2776**
विद्यालय दूर होना	51	85	275	66	123	329	**929**
मजदूरी	269	503	1706	397	738	1962	**5575**
योग	**899**	**1677**	**5168**	**1321**	**2460**	**6533**	**18058**

स्रोतः-परिवार सर्वेक्षण 2003 व विभागीय सूचना

उपरोक्त शैक्षिक परिदृश्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद बाराबंकी शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा जनपद है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सघन रूप से समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अगले अध्यायों में इस हेतु रणनीतियाँ तय करने पर विचार किया गया है।

अध्याय 3

नियोजन प्रक्रिया

संविधान की धारा 45 में हमारे संविधान विदों ने एक सपना संजोया था, कि समस्त 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी । इस सम्बन्ध में डी0पी0ई0पी0 के तहत समस्त 6-11 वयवर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुलक एवं गुधवत्तापरक शिक्षा देने के प्रयास किये गयें हैं,। संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(ए) प्रतिस्थापित कर 6-14 वयवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11-14 वयवर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को भी गुणावत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगें ।

उपर्युक्त वधित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हमें समुदाय की सहभागिता की भी आवश्यकता पड़ेगी। विना समुदाय को जोड़े हम समस्त बालक/बालिकाओं (6-14 वयवर्ग) को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का मिशन पूरा नहीं कर सकतें।

नियोजन प्रक्रिया में हमें पंचायत राज संस्थाओं को भी सहभागी गनाना होगा तथा निचले स्तर की संस्थाओं का भी सहयोग लेना होगा।

ग्राम स्तर पर नियोजनः-

सहाँ हमने प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वयवर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का ऑकलन का नियोजन किया । इस स्तर के नियोजन में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया।

1. 6-11 वयवर्ग के कुल बालक/बालिकाओं की संख्या।

2. विद्यालय में पढ़ने वाले वाले बच्चों की संख्या ।

3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

4. बच्चों के विद्यालय न जाने का कारण।

5. यदि गाँव में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं, तो क्या मानक के अनुरूप विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

6. यदि प्रा0वि0 उपलब्ध है, तो क्या उसके पास भवन या अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध है।

7. क्या विद्यालय में अध्यापक सहा अनुपात 40:1 में है।

उपर्युक्त विचार-विमर्श के पश्चात गाँव के उत्साही नवयुवकों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा मिलजुलकर ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किया गया। उक्त ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण में निम्न सूचनायें प्रयुक्त हुई हैं।

1. बस्ती/मजरे की पूर्ण जनसंख्या

2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या

3. लिंगवार जनसंख्या

4. स्कूल जाने वाले/न जाने वाले बच्चों की संख्या

5. बल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. थ्वकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उक्त आँकड़ों को समेकित रूप में ब्लाक स्तर पर "सूक्ष्म नियोजन" आँकड़ों के नाम से संग्रहीत किया गया है।

" सर्व शिक्षा अभियान हेतु नियोजन "

इस दिशा में निम्नांकित प्रयास किये गयें।

1. नियोजन टीम का गठन
2. ग्राम स्तर पर बैठकें
3. फोकस ग्रुप डिस्कशन टीम का गठन एवं फोकस ग्रुप डिस्कशन
4. परियोजना पूर्व गतिविधियाँ
5. जनपद के विभागों से समन्वय/सम्पर्क

<u>1-नियोजन टीम का गठन :-</u>

जनपद सर्व प्रथम इस अभियान को पूर्ण रूप देने के लिये सात सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया । जिसमें 5 जिला समन्वयक , 1 बी0आर0सी0 समन्वयक तथा 1 उप बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल है।

<u>2-ग्राम स्तर पर बैठकें:-</u>

ग्राम स्तर पर उक्त नियोजन टीम द्वारा बैठकें की गईं जिसमें जनसमुदाय को सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख विन्दुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। यह भी चर्चा की गई, कि जनसमुदाय इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इसी ग्राम स्तर पर कुछ लोगों ने इन चर्चाओं में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इन व्यक्तियों का सहयोग एफ0जी0 सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में लेकर सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्यों को जनसामान्य तक पहुँचाने हेतु किया जा रहा है।

3-फोकस ग्रुप डिस्कशन टीम का गठन एवं फोकस ग्रुप डिस्कशनः-

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के रूप में जिले में विभिन्न ग्राम स्तर पर बैठकें की , जिसमें क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0अ0वि0नि0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, प्राथमिक/उ0प्रा0वि0 के अध्यापक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उपस्थित नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला।

ग्राम स्तर पर हुई बैठकों से सर्व अभियान के प्रति जन समुदाय की अपेक्षाओं को जानने में मदद मिली और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी उक्त अभियान में अपनी भूमिका स्पष्ट हुई।

4-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षणः-

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर वर्ष 2003 में परिवार सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें 6 से 14 वयवर्ग के बच्चों की व्यापक सूचना संकलित की गई है।

इस सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ावर्ग , सामान्य (अनारक्षित वर्ग) व अल्पसंख्यक वर्ग आयुवर्ग वार आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

पहली बार स्कूल न जाने के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया गया है।

जनपद बाराबंकी में निम्नांकित कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत्

जनपद वाराबंकी में हाऊसहोल्ड सर्वे के आधार पर ब्लाकवार चिन्हित बच्चों की संख्या निम्नवत् हैः-

जनपद का नाम | बाराबंकी | सामाजिक वर्ग :- समस्त जातिवर्गों का योग

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चे						विकलांग बच्चों की संख्या			
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
	6-11	11-14	6-11	11-14	6-11	11-14	6-11	11-14	5+से6+	7+से10+	11-14	5+से6+	7+से10+	11-14	6-11	11-14	6-11	11-14
बंकी	16613	7769	14790	6681	14415	6794	12919	5799	1423	775	975	1169	782	882	176	161	92	70
देवां	13104	6083	11099	4620	11548	5378	9409	3229	1633	827	705	1513	960	891	156	68	109	40
मसौली	11811	5441	9685	4862	10381	4751	8232	3949	1253	775	690	1176	823	813	87	49	54	23
हरख	11503	5383	10002	4128	10670	5036	9211	3766	413	420	347	372	419	362	113	44	65	20
हैदरगढ़	8198	7580	11304	6102	12474	7155	6622	5337	1890	495	423	1571	504	765	90	81	81	63
त्रिवेदीगंज	7397	5753	9845	4466	9989	5525	8763	4136	1052	356	258	781	301	330	74	41	54	20
सिद्धौर	15343	7636	12699	5727	13863	6732	11466	4781	2153	1024	904	1755	1112	946	97	61	44	28
बनीकोडर	17672	7765	13598	5422	10286	6815	11915	4476	2339	1042	723	2046	1026	817	126	44	77	35
दरियावाद	14138	5607	11483	4430	12185	4753	9657	4026	1125	828	814	979	847	872	84	39	43	33
फूरेडलई	9273	3934	7455	3206	7629	2925	5797	2154	486	1644	1009	555	1658	1052	61	43	39	22
सिरौलीगौसपुर	12145	5766	10250	4233	9871	4773	7853	3302	1270	1004	993	1238	1159	929	122	44	83	26
रामनगर	13821	7157	14050	5470	13838	5928	11468	4285	1688	1337	1229	1337	1245	1185	140	79	71	32
सूरतगंज	19401	6604	11507	4404	10579	4822	8137	2985	2717	2406	1782	2298	2047	1419	222	78	95	38
फतेहपुर	19931	8578	17031	6569	18776	7730	15675	5722	79	1076	848	59	1297	854	261	204	163	66
निन्दूरा	15330	9015	12175	6629	13696	7784	10629	5598	380	1634	1231	350	1546	1031	121	69	61	36
नवाबगंज	2404	1560	2141	1439	2319	1435	2039	1349	74	85	125	62	102	90	11	10	6	6
बंकी टाउन	1250	685	1071	566	1136	610	962	490	65	49	75	55	54	76	5	4	7	6
देवा टाउन	961	417	841	353	818	345	706	302	70	92	72	61	78	45	3	6	3	1
सतरिख टाउन	596	274	511	247	510	227	398	234	52	40	41	26	30	38	6	3	1	0
जैदपुर	381	312	295	194	341	234	256	144	16	24	78	22	17	50	6	2	1	1

हिरौलनगर	434	258	414	216	332	178	291	144	47	102	80	69	121	72	0	0	0	0
सिद्धौर टाउन	870	459	670	318	809	427	613	265	30	61	32	27	57	53	3	4	5	3
फतेहपुर टाउन	2106	918	1763	844	1926	810	1633	758	39	141	108	24	106	66	20	10	2	6
दरियाबाद टाउन	635	111	503	180	435	189	442	153	14	42	22	17	44	27	4	2	5	0
महायोग	**215317**	**105065**	**185182**	**81306**	**188826**	**91356**	**155093**	**67384**	**20308**	**16279**	**13564**	**17562**	**16335**	**13665**	**1988**	**1146**	**1161**	**575**

स्कूल चलो अभियान के दौरान नामॉकन के उपरान्त 6-11 वयवर्ग के 4137 वच्चों का तथा 11-14 वयवर्ग के 12211 बच्चों का नामॉकन विद्यालय में नहीं कराया जा सका है, जिनके लिये रणनीति बनायी गई है।

विकासखण्ड स्तर पर ब्लाक समन्वयक , सहसमन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ब्लाक प्रमुखों व अन्य जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समस्याओं तथा सम्भावनाओं को स्थान दिलाने का प्रयास किया गया ।

स्कूल चलो अभियान 2003:-

ज्नपद बाराबंकी में 1 जुलाइ से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान व्यापक स्तर पर स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोरटीम का गठन किया गया जिसमें हाऊसहोल्ड सर्वे के आधार पर चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों के ृशत प्रतिशत नामॉकन हेतु रणनीति बनाई गई।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत ब्लाक स्तर , न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर पर कोर टीम का गठन किया गया । उक्त अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर , ब्लाक स्तर , तहसील स्तर तथा ग्राम स्तर पर विभागीय अधिकारियों / कर्मवारियों स्वैच्छिक संगठनों , ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया ।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु स्थान विशेष, समूह विशेष, तथा आयुवर्ग विशेष की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा सीमाओं पर व्यापक विचार विमर्श, गोष्ठियॉं, कार्यशाला व वार्तायें कर नियोजन प्रक्रिया को पूरा किया गयाा है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में होलेस्टिक एप्रोच को अपनाते हुये बालिकाओं के नामॉकन व ठहराव में अपेक्षित सुधार लाने हेतु लिंग संवेदनशीलता पर खासा बल दिया गया है और इसे हर प्रकार के प्रशिक्षणों में महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी सम्भावित विभागों से कन्वर्जन्स स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इन विभागों में ग्राम्य विकास विभाग , ग्राम पंचायत, विकासखण्ड तथा जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रतिनिधियगें के विचारों का नियोजन प्रक्रिया में समावेश किया गया है । बालविकास विभाग, डी0आर0डी0ए0, ड्वाकरा, स्वयं सहायता समूहों, जल निगत, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण

विभाग, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तथा पंचायत राज विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु डी0पी0ई0पी0 में प्रस्ताव किया गया है । परियोजना के सभी घटकों में बालिका शिक्षा , अनुसूचित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष लक्ष्य समूह के अन्तर्गत रखा गया है । प्लान को यथार्थ सर्वग्राही, तथा सुनियोजित बनाने हेतु ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर विभिन्न गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । जिसका विवरण निम्नवत् है ।

क्रम	दिनाँक	स्थल	प्रतिभागी	चर्चा का विषय
1	15/12/02	मिनी डायट बड़ेल	प्राचार्य डायट, ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक, जिला समन्वयक, प्रवक्ता डायट, बी0आर0जी0 सदस्य आदि	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के सन्दर्भ में ब्लाक स्तरीय गोष्ठियाँ आयोजित करने प्रमुख समयाओं का चिन्हाँकन तथा लक्ष्य समूह से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में विचार
2	5/1/03	डायट गनेशपुर	प्राचार्य डायट, ब्लाक मेन्टर, ए0आर0जी0 के सदस्य, एन0जी0ओ0 सदस्य, , क्यू0एम0आर0जी00सदस्य आदि	शैक्षिक सम्प्राप्ति तथा गुधवत्ता संवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार विमर्श

दशकीय जनसंख्या वृद्विदर (1991 से 2001) तक जनपद में 26.53 प्रतिशत रही है तथा वार्षिक वृद्वि दर जनपद में लगभग 2.38 प्रतिशंत है।

6-11 वयवर्ग की जनसंख्या का विवरण अलग से उपलब्ध न होने के कारण 13.24 प्रतिशत जनसंख्या मानकर 6-11वयवर्ग की बच्चों की संख्या का ऑकलन किया गया है। जिसमें 7.1 प्रतिशत लड़के व 6.03 प्रतिशत लड़कियॉ हैं! इसी प्रकार 11-14 वयवर्ग की जनसंख्या का अनुपात 6.2 प्रतिशत मानकर बालसंख्या का प्रक्षेपण किया गया। जिसमें 50:44.3 का अनुपात है। जनसंख्या के निश्चित ऑकड़े प्राप्त होने पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण के समय आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जायेगा । जनपद में पुरूष एवं महिला लिंगानुपात 50:40:3 है । इसी अनुपात में बालक व बालिकाओं की संख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसचित जाति की जनसंख्या 27.02 प्रतिशत थी। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति के बच्चों की जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्तमान में बालकों का सकल नामॉकन अनुपात का अनुपात है। जनसंख्या के निश्चित ऑकड़े प्राप्त होने पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण के समय आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जायेगा । जनपद में पुरूष एवं महिला का लिंगानुपात 50:40:3 है। इसी अनुपात में बालक व बालिकाओं का प्रक्षेपण किया गया है। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति के बच्चों की जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्तमान में बालकों का सकल

3	11/1/03	जिला पंचायत बाराबंकी	जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, सांसद प्रतिनिधि आदि	असेवित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, विद्यालय पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षाकक्षा निर्माण तथा बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार
4	16/1/03	के0डी0सिंह स्टेडियम बारबांकी	जिलाधिकारी, विधायक, प्राचार्य डायट, स्वयेसेवी संगठन, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि गण, महिला ग्राम प्रधानगण तथ जनपद के चुने हुये महिला प्रतिनिधि	बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं तथा बालिकाओं के नार्मोकन, ,ठहराव, , गुधवत्ता, तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार
5	20/1/03	मिनीडायट बड़ेल	प्राचार्य डायट, यूनिसेफ की प्रतिनिधि, एन0जी0ओ0 समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, ब्लाक मेन्टर, बी0आर0सी0, आदि	गुणवत्तापरक बालिका शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श

6	29/1/03	डी0पी0ओ0 बाराबंकी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, अवर अभियन्ता, व ब्लाक समन्वयक	विद्यालयों को आकर्षक बनाने तथा शैक्षिक वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में , जनपद सहभागिता सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श
7	3/2/03	एन0पी0आर 0सी0 तिन्दोला	न्याय पंचायत प्रभारी, प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	सूक्ष्म नियोजन के ऑकड़ों का विश्लेषण तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्मित ग्राम शिक्षा योजना पर विचार विमर्श, अभिभावकों तथा ग्राम वासियों की सहभागिता बढ़ाने सम्बन्धी रणनीति पर चर्चा
8	4/2/03	प्राथमिक विद्यालय जैसनवारा, देवां . . .	ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, प्रधानाध्यापक, न्याय पंचायत प्रभारी, अभिभावक शिक्षक संघ व माता शिक्षक संघ के सदस्य	समुदाय के सहयोग से किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं सार्वभौमिक बनाया जा सकता है । तथा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण सृजन कर लक्ष्य समूह को लाभान्वित करने पर विचार विमर्श

9	5/2/03	ब्लाक संसाधन केन्द्र देवां	ब्लाक समन्वयक , न्याय पंचायत समन्वयक, प्रधानाध्यापक, तथा ग्राम शिक्षा समिति	विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा न्याय पंचायत प्रभारियों को प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य समूह के प्रति संवेदनशील बनाना विकासखण्ड स्तर पर वंचित वर्ग के बच्चों की पहचान तथा सामुइदायिक सहभागिता बढ़ाने पर विचार
10	20/2/03	डी0पी0ओ0 बाराबंकी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा प्लानिंग बेबिल के सदस्य	विकासखण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर संकलित सूचनाओं तथा ऑकड़ों के आधार पर वर्ष 2003-2004 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की रूपरेखा तैयार करना
11	26/2/03	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, कम्प्यूटर आपरेटर, तथा प्लानिंग टीम के सदस्य	पूर्व में संकलित ऑकड़ों तथा रूपेखा का पुनः परीक्षण
12	28/2/03	डी0पी0ओ0, बाराबंकी	प्लानिंग टीम के सदस्य	बजट को राज्य परियोजना कार्यालय एवं सीमेट में प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप देना

13	4/3/03 व 5/3/03	डी0पी0ओ0, बारावंकी	प्लानिंग कोर टीम	बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना को गहन विचार विमर्श एवं विभिन्न पक्षों पर डी0पी0ई0पी0 गाईडलाईन पर प्रयोग कर बजट को संतुलित एवं अन्तिम रूप प्रदान करना ।
14	8/3/03	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी	प्लानिंग टीम	अन्तिम रूप से बजट का परीक्षण कर त्रुटियों आदि में सुधार करना

पूर्व वर्षों में किये गये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य परीक्षण बी0आर0जी0 गठन व परीक्षण , डी0पी0ई0सी0 की बैठकों व जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठकों विजनिंग कार्यशालाओं , विभन्न स्तर पर सम्पन्न सेमिनार एवं गोष्ठियों , एक्शन रिसर्च तथा एन0जी0ओ0 के साथ विभिन्न स्तरों पर कन्वर्जेन्स, ए0सी0टी0, ए0आर0जी0, क्यू0एम0आर0जी0, डी0आर0जी0, बी0आर0जी0 तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों आदि से प्राप्त अनुभवों, व निष्कर्षों का भी नियोजन प्रक्रिया में भी आत्मसात किया गया है। जनपद में प्लानिंग कोर टीम द्वारा गोष्ठी , कार्यशाला, सर्वेक्षण, शैक्षिक भ्रमण के आधार पर प्राप्त समस्यओं उनके कारण एवं सुझाव के आधार पर नियोजन किया गया है ।

3-समाज कल्याण विभाग से समन्वयनः-

चूँकि अनुसुचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अतः इस हेतु समाज कल्याण विभाग से नियमित सम्पर्क/समन्वयन आवश्यक है।

4-ग्राम पंचायत स्तर समन्वयनः-

73वें संशोधन विधेयक के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया गया है। अतः सेवित क्षेत्रों में विद्यालयों का खोला जाना , विद्यालयों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण आदि के लिये ग्राम पंचायतों से सम्पर्क/समन्वयन हेतु सेमिनार/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

5- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वयन :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अस्तु इस निमित्त छात्र/छात्राओं के मेडिकल असिसमेन्ट, उपकरणों का वितरण एवं तत्पश्चात अध्यापकों को उन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (विकलांग बच्चों) के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6-उत्तर प्रदेश जलनिगम / यू0पी0एग्रो से समन्वयन :-

इन विभागों को प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में हैण्डपम्प लगाने की जिम्मेद्दारी दी गई है। अस्तु इस विभाग से संरक्षण हेतु सेमिनार/वर्कशाप आयोजित किया जायेगा।

7-डी0आर0डी0ए0 से समन्वयनः-

विद्यालयों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय से एवं 60 प्रतिशत धनराशि डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त होती है। अस्तु निर्माणकार्यों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु इस विभाग से भी संरक्षण आवश्यक है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से सम्पर्क/समन्वयन बनाये रखा जायेगा।

अध्याय - 4

सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्य एवं लक्ष्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। नई शिक्षा नीति 1986 की प्लान ऑफ एक्शन के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके अन्तर्गत विविध कार्यक्रम संचालितकिये जा रहें हैं, लेकिनदेश के प्रत्येक प्रान्त व क्षेत्र में इनके क्रियान्वयन हेतु अवधि व तरीकों में काफी भिन्नता रही , जिसके लिये पूरे देश में एक समयबद्व और स्पष्ट कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस कीगई । राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्य</u>:-

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के निम्न उददेश्य निर्धारित किये गयें हैं।

1. 2003 तक सभी बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक, वापस विद्यालय चलो कैम्पों आदि में नामांकन ।
2. 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी पूरी करें ।
3. 2010 तक कक्षा 6 तक की शिक्षा सभी पूरी करें ।

4. सन्तोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ।

5. जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्राथमिक स्तर 2010 तक समाप्त करना ।

6. शत-प्रतिशत धारण 3020 तक सुनिश्चित करना ।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :-

1. 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक (बाह्य सीमा) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।

2. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना ।

3. ई0सी0सी0ई0 के महत्व को देखते हुये वयवग्र का विस्तार 0-14 वर्ष तक करना ।

4. आई0सी0डी0एस0 के प्रयास को समर्थन देना तथा प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना एवं जहॉ आई0सी0डी0एस0 का क्षेत्र नहीं हैं, वहॉ विशेष पूर्व विद्यालयीय शिक्षा उपलब्ध कराना ।

विशेषतायें :-

1. सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये एक स्पष्ट व समयबद्व कार्यक्रम है।

2. विद्यालयीय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी से ही प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण ।

3. गुणवत्तापरक शिक्षा की मॉग हेतु प्रयास की आवश्यकता ।

4. सभी बच्चों को क्षमता विकास के अवसर उपलब्ध कराना ।

5. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक स्पष्ट व समयबद्व कार्यक्रम।

6. मूल से जुड़ी संस्थाओं जैसे पंचायत वी0ई0सी0, यू0ई0सी0ख पी0टी0ए0 आदि विद्यालय प्रबन्धन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना ।

7. बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन ।

8. केन्द्र राज्य व स्थानीय निकायों के बीच गठबन्धन ।

9. प्रारम्भिक शिक्षा की अपनी सोच विकसित करने का राज्यों को अवसर प्रदान करना ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक (नवीं पंचवर्षीय योजना) में केन्द्र और राज्य का वित्तीय अंशदान 85.15 वर्ष 2002 से 2007 के बाद (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) में केन्द्र व राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत होगा ।

<u>नामॉकन :-</u>

जनपद के वर्ष 2001 के जनगणना के ऑकड़े प्राप्त हो गयें हैं, लेकिन आयुवार व वर्गवार जनसंख्या के व्यापक विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं।

दशकीय जनसंख्या वृद्धिदर (1991 से 2001) तक जनपद में 26.53 प्रतिशत रही है तथा वार्षिक वृद्धि दर जनपद में लगभग 2.38 प्रतिशत है।

6-11 वयवर्ग की जनसंख्या का विवरण अलग से उपलब्ध न होने के कारण 13.24 प्रतिशत जनसंख्या मानकर 6-11वयवर्ग की बच्चों की संख्या का ऑकलन किया गया है। जिसमें 7.1 प्रतिशत लड़के व 6.03 प्रतिशत लड़कियॉ हैं। इसी प्रकार 11-14 वयवर्ग की जनसंख्या का अनुपात 6.2 प्रतिशत मानकर बालसंख्या का प्रक्षेपण किया गया। जिसमें 50:44.3 का अनुपात है। जनसंख्या के निश्चित ऑकड़े प्राप्त होने पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण के समय आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जायेगा। जनपद में पुरूष एवं महिला लिंगानुपात 50:40:3 है। इसी अनुपात में बालक व बालिकाओं की संख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसचित जाति की जनसंख्या 27.02 प्रतिशत थी। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति के बच्चों की जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्तमान में बालकों का सकल नामॉकन अनुपात का अनुपात है। जनसंख्या के निश्चित ऑकड़े प्राप्त होने पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण के समय आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जायेगा। जनपद में पुरूष एवं महिला का लिंगानुपात 50:40:3 है। इसी अनुपात में बालक व बालिकाओं का प्रक्षेपण किया गया है। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति के

बच्चों की जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। वर्तमान में बालकों का सकल नामॉकन अनुपात (GER) प्रतिशत , बालिकाओं का सकल नामॉकन अनुपात (GER) प्रतिशत है। जिसे वष्र 2003 तक बढ़ाकर 109 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान सकल नामॉकन अनुपात मात्र 61.02 प्रतिशत है, जिसमें बालिकाओं का (GER) मात्र 51.7 प्रतिशत है। सकल नामॉकन अनुपात वर्ष 2010 तक लगभग 120 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही बालक व बालिकाओं में कसल नामॉकन अनुपात के अन्तर को भी समाप्त करना है।

सारणी 4.1

प्राथमिक स्तर नामॉकन के लक्ष्य

वर्ष	कुल जनसंख्या (6-11 वयवर्ग)	नामांकन	परिषदीय/शासकीय	मन्यता प्राप्त	विघालय से बाहर	GER
03-04	400499	394454	292788	10/354	6357	96
04-05	409710	409710	314249	95401	0	101
05-06	419133	419133	338769	80364	0	105
06-07	428773	428773	368518	60255	0	110

4.

ठहराव संवर्द्धन के लक्ष्यः-

ट0एम0आई0एस0 के ऑकड़ों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर सकल शालात्याग दर वर्ष 2000-2001 में 29.9प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2007 तक समाप्त कर शून्य के स्तर पर लाना है। यहाँ एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि डी0पी0ई0पी0 परियोजना प्रारम्भ होने से पूर्व 1999 में सकल शालात्याग दर 67 प्रतिशत थी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के विविध कार्यक्रमों के संचालन के परिणामस्वरूप व सामाजिक जागरूकता से बालिकाओं की शालात्याग दर घटकर मात्र 28 प्रतिशत रह गया है।

वर्ष	ठहराव दर	शालात्यागी दर
2002-2003	**72**	**28**
2003-2004	**79**	**21**
2004-2005	**86**	**14**
2005-2006	**93**	**7**
2006-2007	**100**	**0**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शालात्याग दर की कमी का मूल्यांकन के लिये पृथक-2 प्रत्येक 3 वर्ष पर कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2007 तक शालात्याग दर घटाकर शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शालात्यागदर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	सकल दर
2001-02	18456	-	-	-
2002-03	-	16794	-	9.01%
2003-04	-	-	14948	19.2%

उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर वर्ष 2000-2001 में शालात्याग दर प्रतिशत की जिसे घटाकर 2010 तक शून्य करने का लक्ष्य है।

प्राथमिक विद्यालयों में शालात्यागदर घटाने व ठहराव संवर्द्धन के लक्ष्य

वर्ष	शालात्याग दर	ठहराव दर
2003-2004	19.2	80.8
2004-2005	14	86
2005-2006	8	92
2006-2007	2	18
2007-2008	3	97

इस प्रकार जनपद के लिये विशिष्ट कार्यों का निर्धारण निम्न प्रकार से स्पष्ट है।

1. प्राथमिक स्तर पर सकल नामॉकन अनुपात वर्तमान में 90 प्रतिशत से 110 प्रतिशत तक ले जाना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामॉकन अनुपात के वर्तमान स्तर को 61 प्रतिशत से 2010 तक 120 प्रतिशत करना।
2. प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर वर्तमान स्तर पर 28 प्रतिशत से वर्ष

2007 तक शून्य करना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्याग कर वर्तमान स्तर से 2010 तक शून्य कराना ।

3. प्राथमिक स्तर पर लिंग पर आधारित अन्तर (GER) पर 5 प्रतिशत तथा सामाजिक विषमताओं के आधार पर व्याप्त अन्तर को 2007 तक समाप्त कराना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक बालिका जी0ई0आर0 के अन्तर 18 प्रतिशत को घटाकर 2010 तक शून्य करना ।

4. शालात्याग दर के सामाजिक व लिंग आधारित भेद को समाप्त कराना।

5. वर्ष 2003 से पूर्व सभी बस्तियों हेतु प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना व 2007 से पूर्व मानक के अनुसार सभी बस्तियों हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराना।

6. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना ।

इसके अतिरिक्त कुछ गुणात्मक तथ्य निर्धारित किये गयें हें, जिनका संख्यात्मक लक्ष्य रखा जा सकता है।

1. सामुदाय को जागरूक कर शैक्षिक प्रबन्धन में उन्हें उत्तरदायी बनाना।

2. अपवंचित वर्ग एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।

९

3. विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेन्स से सहयोग प्राप्त करना तथा आई0सी0डी0एस0 व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पूर्व प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना।

4. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभिनय प्रयोग करना।

5. शिक्षकों व अनुदेशकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि करना ।

6. शैक्षित गतिविधियों में संलग्न विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तियों की क्षमता में वृद्धि करना।

7. बसती स्तर पर सूक्ष्म नियोजन व योजना निर्माण हेतु ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता में वृद्धि करना ।

8. मुस्लिम, अनुसूचित जाति , बालिकाओं की शिक्षा को प्रोतयाहन . विशेष प्रयास करना।

9. परियोजना के विविध प्रयासों से स्थानीय स्तर पर संस्थाओं जैसे ग्राम शिक्षा समितियों व अन्य संस्थाओं की क्षमता में इस प्रकार वृद्धि उन्हें उत्तरदायी बनाना कि परियोजना के उपरान्त भी कार्यक्रमों में स्थायित्व रहें ।

इस प्रकार जनपद के लिये सर्व शिक्षा अभियान जनपद बाराबंकी हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गयें हैं जिन्हें क्रमशः प्रगति के आधार पर वाप्रिक योजनाओं में पुनः निर्धारित किया जायेगा।

१०

अध्याय-5
समस्याएँ एवं रणनीति

जनपद के विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सुतुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नये भवनों का निर्माण जीण शीर्ण भवनों की मरम्मत हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुदढीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों के बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने तथा उनके ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

समस्याएं	रणनीति
1-आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन	बच्चों एवं उनके अभिभावकों के सोच में बदलाव लाने के लिए जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगें। इस कार्य में महिला मेंगल दल, महिला समाख्या बाल विकास पयिोजना की कार्यकत्री, ए0एन0एम0,कलाजत्था जनसम्पर्क,ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक व्यक्तियोंक के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
2-शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोडा जायेगा जिससें छात्रो को स्वालम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास हो सके और आर्थिक पिछडापन दूर हो सके। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए सिलाई एवं कढाई, फलसंरक्षण बनाई सीनीय क्राफट तथा नगरीय क्षेत्र एवं इसके निकट के ग्रामीण क्षेत्र में मेहदी ,फाइनआर्ट,ब्यूटीपार्लर,सिलाई कढाई,बुनाई चटाई, निर्माण जूट कपडे के बेग आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा । सिलाई एवं कढाई बुनाई शिक्षा के लिए मशीनों की व्यवस्था पस्तावित है। इसके लिए जनपद में पूर्व परियोजना , प्रौढ शिक्षा के जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम में उपलब्ध करायी गयी है। कढाई एव बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से न करा कर निटिंग मशीनों की सहायता से कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए उक्त परियोजना से उपलब्ध निटिग मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव विद्यालय अनुदान से कराया जायेगा।
3-असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना	1.5 किमी0 तथा 300 आबादी ग्राम वाले ग्रामो/बस्तियों मे प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 वर्ष के बच्चों को 1 किमी0 के दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेगें तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ए0 आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र मे द्विपाली योजना एवं किराये भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हे असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनः स्स्थापित किया जायेगा।
4-भागौलिक कठिनाई जैसे नदी नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा के अवरोध	भौगोलिक कठिनाइयों की दूर करने के उददेश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने तथा कालान्तर मे मुख्य धारा से जोडा जायेगा।
5-विद्यालयो में भौगोलिक संसाधनों का अभाव जैसं-फर्नीचर बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल,शौचालय एवं चाहारदीवारी नहीं है वहां इनका निर्माण प्रस्तावित किया जाग्रंगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों/प्रा0 विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए काष्ठोपकरण की व्यवस्था है।

अनुपलब्धता शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी।	
6 शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों मे जागरूकता का अभाव अभिभावक की यह सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुडे	शिक्षा का मूल उददेश्य व्यक्ति का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ कर नौकरी करें यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच से सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
7-बच्चों के व्यक्तिगत रूचि मे कमी।	बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठयक्रम का समावेश किया , जायेगा जैसे-खेल द्वारा गतिविध आधारित पाठयक्रम का निर्माण करना, समय विभाजन चक्रग को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न करना सांस्कतिक एवं कलात्मक किया कलापों का समायेजना एवं क्षेत्र भम्रण आदि को समावेष्टित किया जायेगा।
8-शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक काछात्र/छात्रा के प्रति मदु व्यवहार हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक ,गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावकारी हो। इस हेतु शिक्षक को प्ररित किया जायेगा। जिससें उससे विषय वस्तु के ज्ञान में लगातार वद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी वद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षक को सामुदयिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा। इसे पशिक्षण मं जोडा जायेगा।
9-विद्यालय के छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था क जायेगी। पूर्व0मा0 विद्यालय में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी। जहां पर पूर्व0मा0वि0 के साथ प्रा0 वि0 संचालित हो सकें वहां पूर्व मा0वि0 का प्र0अ0 सम्पूर्ण तन्त्र का संचालन करेगा। कक्षा 1 से 8 तक का समय विभाजन चक्र होगा। कक्षा 1 से 8 तक क पाठयक्रम से भलीभाृति परिचित होगें। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के साथ जुडने का प्रयास करेगें।
10 अध्यापक से अपने विभाग के कार्यो के साथ-साथ अन्य विभाग क कार्यो का निष्पादन कराया जाना।	किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही राष्टीय महत्व के कार्य अध्यापको से कराये जायें जिससें उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो सके तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में अपने कार्य को उपेक्षित महसूस न करें। अध्यापकों को पठन पाठन के लिए पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापक की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रो को विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम0एल0एल0 को आधार मानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि पर वार्षिक वेतन वद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवावदेही सुनिश्चित की जायेगी।
11 विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना	बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6.6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षणसामग्री बच्चां की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में पौधों वक्षारोपण कषि एवं बागवानी सम्बंधी कार्य छात्रों से कराये जायेंगे।

प्रत्येक कक्षा के लिए खेल कूद का सामान निर्धारित होगा। वच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जव यह वच्चों में भावना जागत होगी तो ड्रापआउट की समस्या स्वतः हल हो जायेगी।

12-गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठय पुस्तकों का न होना	कक्षा 1 से 8 तक क समस्त छात्रों को पाठय पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
13-अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाआं के संकलन मे अधिक समय न नष्ट करें। इसके लिए विभागीय सूचनायें विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकत की जायेगी। सूचनाओं के पुष्टीकरण हेतु सम्वंधित विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। इससे अध्यापकों को वार वार सूचनाये बनाने एवं उसे पहुचानें मे लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा। तथा ठहराव बन रहंगा।
14-अध्यापक का शिक्षण कार्य से अरूचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा। और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक/वार्षिक वेतन वद्धि रोक दी जायेगी।
15- छात्रों की गणवेशों को उपेक्षित करना	गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नहीं है। साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत/नर्सरी विद्यालयों के छात्रों का वाहय व्यक्तित्व अधिक मुखर लगनें से अभिभावक अनयास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के वाहय व्यक्तित्व का और अधिक मुखरित करेगी।
16-अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना	अभिभावकों का निरन्तर से सम्पर्क बना रहें इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेष कर अपवंचित /उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटि परक शिक्षा पर वल दिया जायेगा तथा उनके विचारों/ समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।
17-सतत मूल्यांकन का अभाव	कोटि पूरक शिक्षा के लिए सतत एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक,त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक,एवं वार्षिक परीक्षा रूप करया जायेगा। मूलयांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क सीापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुटिटयों में की जायेगी। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए प्रथम,द्वितीय एवं ततीय स्थान प्राप्त करनें वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कत कराया जायेगा।
18-शैक्षिक/निरीक्षिण पर्यवेक्षण की कमी	एन0पी0आर0सी0,व बी0आर0सी0 समन्वयक प्रति उप0वि0रीक्षिक/स0बे0शि0 अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षण निरीक्षिण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगें।
19-सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव	अभिभावकों /ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है वि0 में अच्छी पढाई से ही हमारे बच्चो का विकास होगा और इसी से आने वाले समय

अध्याय – ६
शिक्षा की पहुँच का विस्तार

१– नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता :–

जनपद बारबांकी में घाघरा, गोमती कल्याणी रेट आदि नदियों के द्वारा सुदूर अंचल ब्लाक जैसे सूरतगंज,दरियाबाद रामनगर पूरेडलई ,हैदरगढ़,सिद्धौर एवं बनीकोडर प्रभावित हैं । इस जनपद में लगभग ७ प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है,अत: नदियों वनों एवं सड़कों आदि के प्राकृतिक अवरोध के कारण राजकीय मानक में शिथिलता करते हुये जनहित में जनसंख्या वृद्विदर को देखते हुये ६३ प्राथमिक विद्यालयों की नवीन स्थापना की आवश्यकता है।यद्यपि जुलाई ९९ से यह जनपद डी०पी०ई०पी० सेकेन्ड विस्तार में चयनित किया गया है जिसके अन्तर्गत २००२ तक ७७ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी हैं राजकीय मानक के अनुसार डी०पी०ई०पी० में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है परन्तु उक्त प्राकृतिक अवरोधों एवं जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ३२ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है।

विवरण	ग्रामीण	नगरीय	योग
(क) नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता	Nil	Nil	Nil
(ख) वर्तमान प्राथमिक विद्यालय की संख्या	1631	23	1654

.....

जनपद बाराबंकी में बस्तियों की संख्या ५६१६ है, जिसमें से लगभग सभी बस्तियॉ प्राथमिक विद्यालय के पहुँच में आ गई है जहॉ पर मानक

के अनुसार विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकती है, वहाँ पर विद्याकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

२— नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता:—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्रा०विद्यालय की स्थापना का मापक रखा गया है। परन्तु 800 की आबादी और ३किमी० के मानक को ध्यान में रखकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापा का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद बाराबंकी में उक्त मानक के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत १०४ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है, उक्त विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप अब और नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में भौतिक संसाधानों तथा सर्व शिक्षा अभियान में स्थापित विद्यालयों के साज सज्जा व सुसज्जीकरण की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से साज सज्जा उपकरण व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

अत: सर्व शिक्षा अभियान में कुल १०४ उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं ३२ नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गयें हैं इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात सभी बस्तियाँ सेवित हो गयीं है। जहाँ विद्यालय की स्थापना नहीं मानक के अनुसार कराया जा सका है, वहाँ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगें।

<u>३— शिक्षक की व्यवस्था:—</u>

वर्तमान समय में जनपद बारबांकी में कुल शिक्षकों की संख्या प्राथमिक स्तर पर ३१९६ है एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों मे ८६२ है जो कि विद्यालयों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक एवं एक शिक्षामित्र का पद स्वीकृत है । परन्तु शिक्षामित्र के चयन में व्यवहारिक कठिनाईयाँ होने के कारण गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई आ रही है

अतएव नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक व एक सहायकअध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ाई जायेगी नवीनउच्च प्रा०विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा ४ सहायक अध्यापकों सहित कुल पॉच अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है । ४ सहायक अध्यापकों मे से एक विज्ञान एवं गणित अध्यापक तथा एक आंग्लभाषा शिक्षक एवं बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षिका की भी व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सारणी ६.१

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्रम	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (३+४)	४०:१ दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003-2004	292887	4875	2398	7273	7323	50
2	2004-2005	314254	4900	2423	7323	7856	233
3	2005-2006	320546	5017	2539	7856	8013	157
4	2006-2007	326950	5045	2618	8013	8174	167

इस प्रकार उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष २००३–०४ में प्राथमिक विद्यालयों में हमें ५० शिक्षकों की आश्यकता है,लेकिन उसके बाद के वर्षों में अतिरिक्त छात्र नामॉकन के अनुसार ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है, इन शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था सर्वशिक्षाअभियान के अन्तर्गत वर्षवार निम्न सारणी के अनुसार शिक्षकों व शिक्षामित्रों के रूप में की जायेगी ।

सारणी ६.२

क्रम	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक (प्र०अ०+शिक्षामित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003-2004	50	0	25	25	4875	2398
2	2004-2005	233	0	117	116	4900	2423
3	2005-2006	157	0	78	79	5017	2549
4	2006-2007	167	0	84	83	5095	2618

४ विद्यालय साज सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण:—

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने हेतु न्यूनतम ७००० रू० प्रतिवर्ष प्रतिविद्यालय की दर से धनराशि प्रस्तावित हैजिससे विद्यालय की रंगाई पुताई , टाट पटटी श्यामपट मेजकुर्सी , अध्यापकों के लिये अलमारी, पंजिकाये, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों आदि की व्यवस्था की जायेगी । यह धनराशि ग्राम शिक्षा निधि खाते के माध्यम से विद्यालय को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव किया जाता है । नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा पूर्व से संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय (उच्च प्राथमिक विद्यालय) में काष्टोकरण , शिक्षा सामग्री, खेलसामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था एवंसौनदर्यीकरण हेतु प्रथम वर्ष में रू०२५०००/— प्रतिविद्यालय एवं अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष रू० ५०००/—प्रति विद्यालय की दर से प्रस्तावित है ।

५—पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी:—

नवीन स्थापित प्राथमिक विद्यालयों हेतु ३२ एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु पूर्व से संचालित विद्यालयों में ८५ इण्डिया मार्क—।। हैण्डपम्प लगाये जाने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त नवीन स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण के साथ साथ पेयजल हेतु इण्डिया मार्क—।। हैण्डपम्प प्रस्तावित हैं प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिये अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया जायेगा तथा विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित एवं सुसज्जित रखने के उददेश्य से चहार दीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । पेयजल, शौचालय व चहारदीवारो की स्थापना का प्रस्ताव वर्षवार निम्नवत है ——

सारणी ६.३

	२००१–०२	२००२–०३	२००३–०४	२००४–०५	२००५–०६	२००६–०७	योग
प्रा०वि०							
पेयजल	-	-	-	-	-	-	-
शौचालय	-	-	-	250	200	-	450
चहारदीवारी	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
उ०प्रा०वि०							
पेयजल	-	-	85	-	-	-	85
शौचालय	-	-	75	-	-	-	75
चहारदीवारी	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

उक्तानुसार व्यवस्था करने के उपरान्त जनपद के सभी वर्तमान में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय, चहारदीवारी व पेयजल सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

६–निर्माण कार्यदायी संस्था :– सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना जागृत करने के उददेश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौपा जायेगा ।

७–शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण:– सर्वप्रथम नवीन प्राथमिक एवं उचच प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का राज्य सरकारद्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एव दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी । बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं भौतिक सुविधाओ के अंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा । सर्वेक्षण कार्य के लिये रू० तीन लाख वित्तीय प्रस्ताव रखा जाता है । सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा ।

८–विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:– विद्यालय भवन/शौचालय/ हैण्डपम्प चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये

सारणी ६.३

	२००१–०२	२००२–०३	२००३–०४	२००४–०५	२००५–०६	२००६–०७	योग
प्रा०वि०							
पेयजल	-	-	-	-	-	-	-
शौचालय	-	-	250	200	-	-	450
चहारदीवारी	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
उ०प्रा०वि०							
पेयजल	-	-	85	-	-	-	85
शौचालय	-	-	75	-	-	-	75
चहारदीवारी	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

उक्तानुसार व्यवस्था करने के उपरान्त जनपद के सभी वर्तमान में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय, चहारदीवारी व पेयजल सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

६–निर्माण कार्यदायी संस्था :– सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना जागृत करने के उददेश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौपा जायेगा ।

७–शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण:– सर्वप्रथम नवीन प्राथमिक एवं उचच प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का राज्य सरकारद्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एव दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी । बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं भौतिक सुविधाओ के अंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा । सर्वेक्षण कार्य के लिये रू० तीन लाख वित्तीय प्रस्ताव रखा जाता है । सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा ।

अतएव नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक व एक सहायकअध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ाई जायेगी नवीनउच्च प्रा०विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा ४ सहायक अध्यापकों सहित कुल पॉच अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है । ४ सहायक अध्यापकों मे से एक विज्ञान एवं गणित अध्यापक तथा एक आंग्लभाषा शिक्षक एवं बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षिका की भी व्यवस्था प्रस्तावित है । सारणी ६.१

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्रम	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (३+४)	४०:१ दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003-2004	292887	4875	2398	7273	7323	50
2	2004-2005	314254	4900	2423	7323	7856	233
3	2005-2006	320546	5017	2539	7856	8013	157
4	2006-2007	326950	5045	2618	8013	8174	167

इस प्रकार उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष २००३—०४ में प्राथमिक विद्यालयों में हमें ५० शिक्षकों की आश्यकता है,लेकिन उसके बाद के वर्षों में अतिरिक्त छात्र नामॉकन के अनुसार ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है. इन शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था सर्वशिक्षाअभियान के अन्तर्गत वर्षवार निम्न सारणी के अनुसार शिक्षकों व शिक्षामित्रों के रूप में की जायेगी ।

सारणी ६.२

क्रम	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक (प्र०अ०+शिक्षामित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003-2004	50	0	25	25	4875	2398
2	2004-2005	233	0	117	116	4900	2423
3	2005-2006	157	0	78	79	5017	2549
4	2006-2007	167	0	84	83	5095	2618

८—विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:— विद्यालय भवन, शौचालय/ हैण्डपम्प चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे । निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा ।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर गावदार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

अध्याय 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-।।

(अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र,वैकल्पिक शिक्षा/शिक्षा गारण्टी एवं नवाचार शिक्षा)

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित कर शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को अपनाया गया है। ऐसे बच्चे जिन्हें विद्यालय की मुख्यधारा में शामिल करने में कठिनाई है, उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों, ब्रिजकोर्स कैम्पों, आवासीय कैम्पों तथा बैक टू स्कूल कैम्प में लाकर शिक्षित किया जायेगा। परिवार सर्वेक्षण द्वारा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की पहचान की गई है।

सारणी 7.1

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या कारण सहित

(परिवार सर्वेक्षण जून 2003)

कारण	बालक			बालिका			योग
आयुवर्ग →	5'–6'	7'-10'	11'-14'	5'–6'	7'-10'	11'-14'	
घरेलू कार्यो में	2835	6540	6179	3713	5295	6283	30845
भाई बहनों की देखभाल	2369	3190	1755	3368	4294	2786	17762
विद्यालय दूर होना	790	958	631	890	975	945	5189
मजदूरी	705	1682	2383	693	917	1562	7942
अन्य	13517	3113	3654	10086	3301	2124	35795

स्रोत :- परिवार सर्वेक्षण

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामॉकन कराने के पश्चात शेष

ड्रापआउट बच्चों की वर्गवार सूची

सारणी
संख्या 7.2

कारण	बालक			बालक		
	5'-6' आयुवर्ग	7'-10' आयुवर्ग	11'-14' आयुवर्ग	5'-6' आयुवर्ग	7'-10' आयुवर्ग	11'-14' आयुवर्ग
घरेलू कार्यो में	445	838	2334	660	1230	3271
भाई बहनों की देखभाल	134	251	853	198	369	971
विद्यालय दूर होना	51	85	275	66	123	329
म्जदूरी	269	503	1706	397	738	1962
अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	899	1677	5168	1321	2460	6533

स्रोत :- विभागीय सर्वेक्षण

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत घर-घर सम्पर्क , जागरण रैली, मशाल , जुलूस, नुक्कड़ नाटक, नौंटंकी इत्यादि माध्यम से जना से शि... के प्रचार प्रसार एवं समुदाय को जागरूक कर कुल 78965 ड्रापआउट बच्चों को परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त बच्चों को नामॉकित कराया जा चुका है, शेष 18068 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु सर्व शिक्षा के अन्तर्गत निम्नवत् प्रस्ताव किये जा रहें हैं:---

सारणी संख्या 7.3

ड्रापआउट के आधार पर बच्चों का प्रकार एवं उनके लिये कार्यक्रम	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
	केन्द्र संख्या	बच्चों की संख्या	केन्द्र संख्या	बच्चों की संख्या	केन्द्र संख्या	बच्चों की संख्या	केन्द्र संख्या	बच्चों की संख्या
• घरेलू कार्यो में लगे रहना	133	8778						
• बैक टू स्कूल कैम्प	0	3456	71	3456	71	3456	0	0
• मकतब/मदरसे	108	5322	108	5322	108	5322	108	5322
• छोटे भाई बहनों की देखभाल	73	2786	143	2786	143		143	2786
• ई0सी0सी0ई0केन्द्र								
• विद्यालय दूर होना	15	929	75	929	90	929	90	929
• AIE उच्चप्राथमिक		604						
• मजदूरी करना								
• ब्रिजकोर्स कैम्प (आवासीय)	3	255	06	300	06	300	0	0
• ब्रिजकोर्स कैम्प (गैर आवासीय)	133	5320	-	0	1	0	0	0

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

बिजकोर्स कैम्प (आवासीय):-

मजदूरी के कार्यो में लगे बच्चों का एन0जी0ओ0 के सहयोग से आवासीय ब्रिजकोर्स कैम्पों में लाकर आयु अनुरूप कक्षा की सम्प्राप्ति स्तर की शिक्षा प्राप्त कराकर विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ दिया जायेगा।

वर्षवार आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का लक्ष्य

सारणी-संख्या - 7.4

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आवासीय ब्रिजकोर्स कैम्प	- -	03	06	06	
गैर आवासीय ब्रिजकोर्स कैम्प	- -	133	89	89	0

सर्व शिक्षा अभियान हेतु विद्याकेन्द्र तथा मकतब/मदरसा, ब्रिजकोर्स कैम्प , उच्च प्राथमिक केन्द्र, बैक टू स्कूल की आवश्यकता विकासखण्डवार निम्नवत् है।

क्रम	विकासखण्ड	ई0जी0एस0 केन्द्र	वैकल्पिक केन्द्र	ब्रिजकोर्स कैम्प स्वीकृत	बैक टू स्कूल कैम्प	ब्रिजकोर्स कैम्प	आवासीय ब्रिजकोर्स कैम्प	उच्च प्रा0 AIE केन्द्र
1	बनीकोडर	16	3	12	7	12	01	08
2	बंकी	4	4	12	10	9	01	03
3	नगरक्षेत्र बाराबंकी	0	0	0	3	4	01	02
4	दरियाबाद	18	11	8	5	2	01	06
5	देवां	6	1	10	9	10		04
6	फतेहपुर	8	13	11	11	7	01	05
7	हरख	10	2	8	4	1		04
8	हैदरगढ़	21	7	9	14	2	01	05
9	मसौली	4	2	8	10	11		04
10	पूरेडलई	15	23	7	14	11	01	07
11	सिद्धौर	55	14	10	9	5	01	07
12	सूरतगंज	26	14	11	3	1	01	08
13	त्रिवदेगंज	15	1	7	10	2	01	10
14	निन्दूरा	13	12	9	15	7	-	08
15	सिरौलीगौसपुर	9	11	8	4	2	01	05
16	रामनगर	12	10	8	14	3	-	04
	योग	232	128	133	142	89	11	90

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित ई0जी0एस0 एवं ए0एस0 केन्द्र :-

कार्यक्रम	स्वीकृत केन्द्र	संचालित केन्द्र
ई0जी0एस0 केन्द्र	232	232
ए0एस0	20	20
मकतब / मदरसे	108	108

- शिक्षा गारण्टी योजना :-

ऐसे बच्चे जो 6-8 वर्ष के हैं, और 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा पातें हैं, उनके लिये विद्यालय की शाखा के रूप में कक्षा एक व कक्षा दो की शिक्षा हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिये डी0पी0ई0पी0 में संचालित विद्याकेन्द्रों को आगे जारी रखा जायेगा। विद्यालय खुल जाने के कारण पूर्व में संचालित विद्याकेन्द्रों में से 112 केन्द्रों को पुनः नवीन असेवित स्थलों पर संचालित किया जायेगा तथा शेष 120 केन्द्र अपने पूर्व स्थलों पर संचालित रहेंगे।

वर्षवार ई0जी0एस0 केन्द्रों का संचालन

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
केन्द्र संख्या	-	232	232	200

<u>मकतब/मदरसे सुदृढीकरण:-</u>

जनपद बाराबंकी के विकासखण्ड दरियाबाद, सिरौलीगौसपुर, पूरेडलई, सिद्धौर, फतेहपुर में <u>मकतब/मदरसों</u> की बहुलता है। जनपद में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हेतु कुल 108 <u>मकतब/मदरसों</u> के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था है। मदरसे की शिक्षा पूरी करने के पश्चात अध्ययनरत बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ दिया जाता है।

<u>बिजकोर्स कैम्प(गैर आवासीय):-</u> 6-11 वयवर्ग के बच्चे जो किसी कारण से विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जातें हैं, उन्हें गैर आवासीय ब्रिजकोर्स कैम्प में लाकर आयु अनुरूप सम्प्राप्ति स्तर प्राप्त कराकर विद्यालयों में नामॉकित करा दिया जायेगा। जनपद में वर्ष 2003-2004 में कुल 133 ब्रिजकोर्स कैम्प संचालित करने का लक्ष्य है।

<u>माइक्रोप्लानिंग का अद्यतनीकरण :-</u> प्रतिवर्ष सूक्ष्म नियोजन के ऑकड़ों का मई माह में अपडेशन किया जायेगा, जिससे आगामी वर्ष के नामॉकन की रणनीति निर्धारित की जायेगी ।

अध्याय 8

ठहराव संवर्द्धन

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये गये विशेष स्कूल चलों अभियान के परिणाम स्वरूप जनपद में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को विद्यालय में होने के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु ठहराव सम्वर्द्धन हेतु विशेष रणनीति की आवश्यकता है डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत विद्यालयों में भौतिक सुविधाओ की वृद्धि हेतु विभिन्न प्रयास किये गये है। लेकिन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं किया सका।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न भौतिक संसाधनों हेतु आवश्यकता का ऑकलन निम्न प्रकार किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

सारणी -8.1

वर्ष	परिषदीय कुल नामॉकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्ष	नवीन विद्यालय	योग (4+5)	आवश्यक कक्षाकक्ष	सर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित कक्ष
2004-05	314254	7856	5872	96	4968	1866	311
2005-06	320546	8013	6183	-	6183	1830	305
2006-07	326950	8146	6488	-	6488	1658	276

स्रोत विभागीय ऑकड़े

विद्यालयों में शौचालय एवं हैण्डपम्प की आवश्यकता का ऑकलन निम्नवत किया गया है।

सारणी सं0 8.2

क्रम	वर्ष	शौचालय		हैण्डपम्प	
		प्रा0वि0	ड0प्रा0वि0	प्रा0वि0	ड0प्रा0वि0
1	2002-03	-	40	-	-
2	2003-04	-	75	-	
3	2004-05	-	-	-	50
4	2005-06	-	-	-	-
5	2006-07	-	-	-	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

(क) विद्यालचय भवन का पुनर्निर्माणः-

जनपद बाराबंकी में कुल १९ प्राथमिक विद्यालय एवं २० उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर है, ये विद्यालय खुले आसमान या पंचायत भवनों में संचालित हैं, विद्यालय भवन का न होना गुणवत्तापरक शिक्षा की बाधा है तथा शालात्याग की दर में वृद्धि करती है। उक्त समस्या का समाधान करने हेतु भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव निम्नवत हैः--

वर्ष → लक्ष्य ↓	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्रा0वि0	[illegible]	12	12	05
उ0प्रा0वि0	10	10	-	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

ख- <u>अतिरिक्त कक्षाकक्षः-</u>

जनपद में वर्ष 2003-2004 में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 314254 होगी जिन्हें विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु 40:1 के अनुपात में 7856 कक्षाकक्षों की आवश्यकता होगी । वर्तमान में जनपद में कुल 5872 कक्षा कक्ष उपलब्ध है। जिसके लिये 311 अतिरिक्त कक्षाकक्ष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष्र 2004-05 में 305 कक्ष व 2005-06 में तथा 276 कक्ष 06-07 में प्रस्तावित किये गयें हैं, जिससे विद्यालयों को संतृप्त किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की वर्षवार आवश्यकता निम्नवत् दर्शायी गयी हैः-

सारणी सं0 8.4

वर्ष ⟶ लक्ष्य ↓	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्रा0वि0	-	311	305	276
उ0प्रा0वि0	10	20	106	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

<u>मरम्मत एवं रखरखाव :-</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक परिषदीय एवं सहायताप्राप्त को प्रतिवष्र रखरखाव के रूप में रू0 5000/ की दर से तथा विद्यालय विकास अनुदान के रूप में रू0 2000/- की

दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। विद्यालयों हेतु प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का ऑकलन निम्नवत् है।:-

सारणी 8.5

वर्ष → / लक्ष्य ↓	2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007	
	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0
प्राथमिक	2	.	.	1654	21	1675	1654	21	1675	1654	21
उच्च प्राथमिक	230	.	230	371	104	475	371	104	475	371	104

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

टी0एल0एम0 अनुदानः- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय एवं सहायताप्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कक्षाकक्ष के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक ष्रू0 500/- का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। उक्त धनराशि से अध्यापक पाठ आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकेंगे। शिक्षकों की संख्या का आगणन निम्नवत किया गया है।

वर्ष → / लक्ष्य ↓	2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007	
	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0
प्राथमिक	.	.	.	6301	105	6806	6934	105	7039	7091	105
उच्च प्राथमिक	996	112	1108	996	112	1108	996	112	1108	996	112

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताः-

जनपद में वर्ष 2003-04 में प्राथमिक विद्यालयों में बढ़े नामॉकन के अनुरूप शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों के आवश्यकता का आकलन निम्नवत किया गया है।

सारणी 8.7

वर्ष (1)	परिषदीय नामॉकन (2)	वर्तमान शिक्षक सृजित पद (3)	शिक्षा मित्र (4)	कुल शिक्षक + शिक्षामित्र(5)	40:1 से आवश्यकता (6)	अतिरिक्त आवश्यकता (7) (6-5)	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षामित्र
2003-04	292887	4875	2398	7273	7323	50	25	-
2004-05	314254	4900	2423	7323	7856	233	116	142
2005-06	320546	5017	2539	7856	8013	157	78	79
2006-07	326950	5045	2618	8013	8174	167	83	84

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	250	
2005-06	200	
2006-07	200	
योग	650	

कुल लक्ष्य 650 का है।)

अध्याय 8

ठहराव संवर्द्धन

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये गये विशेष स्कूल चलों अभियान के परिणाम स्वरूप जनपद में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को विद्यालय में होने के लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु ठहराव सम्वर्द्धन हेतु विशेष रणनीति की आवश्यकता है डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत विद्यालयों में भौतिक सुविधाओ की वृद्धि हेतु विभिन्न प्रयास किये गये है। लेकिन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं किया सका।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न भौतिक संसाधनों हेतु आवश्यकता का ऑकलन निम्न प्रकार किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

सारणी -8.1

वर्ष	परिषदीय कुल नार्मोकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्ष	नवीन विद्यालय	योग (4+5)	आवश्यक कक्षाकक्ष	सर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित कक्ष
2004-05	314254	7856	5872	96	4968	1866	311
2005-06	320546	8013	6183	-	6183	1830	305
2006-07	326950	8146	6488	-	6488	1658	276

स्रोत विभागीय ऑकड़े

विद्यालयों में शौचालय एवं हैण्डपम्प की आवश्यकता का ऑकलन निम्नवत किया गया है।

सारणी सं0 8.2

क्रम	वर्ष	शौचालय		हैण्डपम्प	
		प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1	2002-03	-	40	-	-
2	2003-04	-	75	-	-
3	2004-05	-	-	-	50
4	2005-06	-	-	-	-
5	2006-07	-	-	-	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

<u>(क) विद्यालचय भवन का पुनर्निर्माणः-</u>

जनपद बाराबंकी में कुल २९ प्राथमिक विद्यालय एवं २० उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर है, ये विद्यालय खुले आसमान या पंचायत भवनों में संचालित हैं, विद्यालय भवन का न होना गुणवत्तापरक शिक्षा की बाधा है तथा शालात्याग की दर में वृद्धि करती है। उक्त समस्या का समाधान करने हेतु भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव निम्नवत हैः--

वर्ष ⟶ लक्ष्य ↓	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्रा0वि0	05	12	12	05
उ0प्रा0वि0	10	10	-	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

ख- <u>अतिरिक्त कक्षाकक्षः-</u>

जनपद में वर्ष 2003-2004 में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 314254 होगी जिन्हें विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु 40:1 के अनुपात में 7856 कक्षाकक्षों की आवश्यकता होगी । वर्तमान में जनपद में कुल 5872 कक्षा कक्ष उपलब्ध है। जिसके लिये 311 अतिरिक्त कक्षाकक्ष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 305 कक्ष व 2005-06 में तथा 276 कक्ष 06-07 में प्रस्तावित किये गयें हैं, जिससे विद्यालयों को संतृप्त किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की वर्षवार आवश्यकता निम्नवत् दर्शायी गयी है:-

सारणी सं0 8.4

वर्ष → / लक्ष्य ↓	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
प्रा0वि0	-	311	305	276
उ0प्रा0वि0	10	20	106	-

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

<u>मरम्मत एवं रखरखाव :-</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक परिषदीय एवं सहायताप्राप्त को प्रतिवर्ष रखरखाव के रूप में रू0 5000/- की दर से तथा विद्यालय विकास अनुदान के रूप में रू0 2000/ की

दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। विद्यालयों हेतु प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का ऑकलन निम्नवत् है।:-

सारणी 8.5

वर्ष → / लक्ष्य ↓	2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007		
	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	सं0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग
प्राथमिक	2	.	.	1654	21	1675	1654	21	1675	1654	21	1675
उच्च प्राथमिक	230	.	230	371	104	475	371	104	475	371	104	475

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

<u>टी0एल0एम0 अनुदानः-</u> प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय एवं सहायताप्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कक्षाकक्ष के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक रू0 500/- का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। उक्त धनराशि से अध्यापक पाठ आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकेंगे। शिक्षकों की संख्या का आगणन निम्नवत किया गया है।

वर्ष → / लक्ष्य ↓	2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007		
	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग	परि0	स0प्रा0	योग
प्राथमिक	.	.	.	6301	105	6806	6934	105	7039	7091	105	7196
उच्च प्राथमिक	996	112	1108	996	112	1118	996	112	1108	996	112	1108

स्रोतः- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - बाराबंकी

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता:-

जनपद में वर्ष 2003-04 में प्राथमिक विद्यालयों में बढ़े नामांकन के अनुरूप शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों के आवश्यकता का आकलन निम्नवत किया गया है।

सारणी 8.7

वर्ष (1)	परिषदीय नामांकन (2)	वर्तमान शिक्षक सृजित पद (3)	शिक्षा मित्र (4)	कुल शिक्षक + शिक्षामित्र (5)	40:1 से आवश्यकता (6)	अतिरिक्त आवश्यकता (7) (6-5)	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षामित्र
2003-04	292887	4875	2398	7273	7323	50	25	25
2004-05	314254	4900	2423	7323	7856	233	116	117
2005-06	320546	5017	2539	7856	8013	157	78	79
2006-07	326950	5045	2618	8013	8174	167	83	84

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण- जनपद के परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययनरत अनु जाति एवं जनजाति के तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेंगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से लाभान्वित बच्चों की संख्या

सारणी 8.8

विवरण	वर्ष 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राथमिक स्तर	—	191696	195533	199940
उच्च प्राथमिक स्तर	16400	65341	66648	67981

बालिका - शिक्षा

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति के लिये सभी जन समुदाय का शिक्षित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान ने इदस तयि को स्वीकारते हुये 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान व्यवस्था है। इस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान है।

1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथ इसके पश्चात आरम्भ की कार्य नीतियों के अन्तर्गत महिलाओं के स्तर में बदलाव लाने के लिये एवं महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने के लिये इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच एवं धारण में आनेे वाली कठिनाईयों को दूर करने की प्राथमिकता दी जायेगी। एवं इसके विशेष सहायक सेवायें समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारू रूप से अनुश्रवण होगा।

जंनपद में महिलाओं की दशा अत्यन्त सोचनीय है, वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर लिंग अनुपात एक हजार पुरूषों पर मात्र 848 था जो राज्य के औसत प्रति एक हजार पुरूषों पर 871 महिलाओं की तुलना में काफी कम है। वर्ष 1991 में महिलाओं की साक्षरत पर मात्र 15.41 थी जिसमें 2001 में डी0पी0ई0पी0 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान आदि से लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिर 2001 की जनगणना के आधार पर भी महिला साक्षरता दर मात्र 25.2 प्रतिशत है। जिसमें स्पष्ट है अब भी 65 प्रतिशत महिलाऐं निरक्षर है अधिकांश महिला जनसंख्या बेराजगार तथा घरेलू काम काज में ही लगी रहती हे। वर्ष 1996-97 में सोशल असिस्मेन्ट स्टडी 'एस0ए0एस0' के अन्तर्गत 5 विकास खण्डों के 10 गांवों में फोकस ग्रुप डिस्कशन कराया गया जिसकी प्रमुख निष्कर्ष निम्नव्रत् है।

1. फोकस ग्रुप डिस्कशन के साथ निम्न बालिका नामांकन के निम्न कारणों की पहचान की गई।

अ) परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति।

ब) छोटे भाई बहनों को देखभाल एवं घरेलू कार्य।

स) विद्यालय का दूर होना तथा अनुपयुक्त विद्यालय समय सारणी।

द) महिला शिक्षिकाओं का अभाव।

य) बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता।

व) शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ होगा।

2. इस अध्ययन से यह भी प्रकाश में आया कि अनुसूचित बालिकायें माह में मात्र 11 दिन विद्यालय जाती है सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की बालिकायें 21 दिन।

3. बांलिकायें का शालात्याग के निम्न कारण प्रकाश में आये (एफ0जी0डी0/ एस0ए0एस0 के साभार)

1. स्कूल के खर्चों का व्यय भी उठाने में अभिभावकों का अक्षम होना।
2. धनोपार्जन के कार्यों में संलग्न रहना।
3. शिक्षकों का हतोत्साहित करने वाला व्यवहार।
4. छोटे भाई बहनों की देखभाल एवं घरेलू कार्य में मदद करना।
5. य. बालिकाओं का शीघ्र विवाह होना।
6. अनुपयुक्त स्कूल समय सारिणी होना।
7. विद्यालयी शिक्षा के महत्व सेअनभिज्ञा होना।
8. माताओं का अशिक्षित होना।

4. मुस्लिम अभिभावकों का बालिकाओं मजहबी तालीम को महत्व देना।

1. पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह बालिका शिक्षा के मुख्य अवरोध है। मुस्लिम समुदाय के अधिकांश अभिभाव अपनी बालिकाओं को उस विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते है जहां पुरूष शिक्षक है।
2. मुस्लिम समुदाय का रूढ़िवादी होना तथा परिवार का आकार बड़ा होना।
3. आर्थिक रूप से कमजोर होना।

इसके अतिरिक्त जनपद में जनपदीय प्लानिंग टीम द्वारा विभिन्न स्तर पर सहभागी पर चर्चायें को गई जिसके आधार पर भी बालिका शिक्षा की कुछ और समस्यायें उभरकर आयी जो निम्नवत् है -

1. बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय का पूर्ण रूप से जागरूक न होना। यद्यपि डी0पी0ई0पी0 के कार्यक्रमों से परहजे में जागरूकता आ गई।
2. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा शैक्षिक उत्तरदायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन क करना। यद्यपि ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से शैक्षिक क्रिया कलापों में भागीदारी नहीं है लेकिन सम्यक रूप से उत्तरदायित्व नहीं निभा पाये।
4. मुस्लिम समुदाय पर अशिक्षित एवं रूढ़िवादी मोलेव कट्टरपंथियों का वर्चस्व होना।
5. मकतब- मदरसों द्वारा केवल दीनी तालीम दिया जाना।
6. प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों का कम होना।
7. शिक्षक का स्थानीय नहीं होना चाहिए।

8. अपवंचित वर्ग के शिक्षकों का अभाव प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का अभाव।

9. बेसलाईन असिस्मेन्अ स्टडी 1997 में जनपद के 45 विद्यालयों में कराया गया था जिसमें बालिकाओं का .सम्प्रति स्तर काफी निम्न स्तर का पाया गया. जिसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् है।

1. कक्षा में 2 में मात्र 10.8 प्रतिशत बालिकायें ही एम0एस0एस0 के आधार पर मास्टरी लेवर को प्राप्त की जबकि बालकों की प्रतिशत 13.3 प्रतिशत का 54.6 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिकतम स्तर पर सम्प्राप्ति नहीं कर रही थी। जबकि बालकों का प्रतिशत 45 प्रतिशत।

2. गणित में मात्र 4 प्रतिशत बालिकायें मास्टरी लेवल को प्राप्त कर रहीं थीं जबकि बालकों का 8 प्रतिशत था।

लगभग 14.8 प्रतिशत बालिकायें मास्टरी लेवल तक पहुँच पा रही थी। 57 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर पा रही थी। जबकि बालकों का यह 36. 2 प्रतिशत था।

3. भाषा में कक्षा 5 का सम्प्राप्ति स्तर जो कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के आधार पर था प्रतिशत बालिकायें मास्टरी लेवर को प्राप्त कर रही थी। जबकि बालकों का यह प्रतिशत 9 था। 2.1 प्रतिशत बालिकायें मास्टरी लेवल तक पहुँच पा रही थी जबकि बालकों का 6.6 था। 52.9 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगमस्तर से नीच थी।

4. गणित में सम्प्राप्ति स्तर के परीक्षण में कोई भी मास्टरी लेवल को प्राप्त नहीं कर रही थी तथा कोई भी मास्टरी लेवल के एप्रोच तक नही पहुँच पा रही थी। 16.4 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम अधिगम स्तर सम्प्राप्ति कर पा रहीं थी। [illegible] के अनुसार 88.2 प्रतिशम महिला शिक्षिकाओं ने कोई सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। परन्तु डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत यह तीन चक्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है।

<u>रणनीतियां और कार्यक्रम</u>

समस्याये :- महिलाओं की समजा में भेदभाव पूर्ण स्थिति के कारण प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में काफी भेदभाव किया जाता रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु टेण्डर में सेन्सीटाईजेशन कार्यशालायें माडल क्लस्टर डेंवलपमेन्ट एप्रोच के अन्तर्गत मीना अभियान माँ-बेटी शिक्षक मेल्स, महिला संरक्षक महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण, माता शिक्षक संघ एवं अभिभावक शिक्षक संघका गठन एंव प्रशिक्षण उन्हें क्रियाशील बनाना, ठहराव परिक्रमा बच्चों का तारांकन आदि विविध कार्यक्रमों के माध्यम से बालिका शिक्षा की एक्सपर्ट में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के माध्यम ही भाई बहनों की देखभाल से विद्यालय न जा पानेवाले कारणों एवं उपस्थिति एवं ठहराव दर बढ़ी है। लेकिन बालिका शिक्षा की दशा में समाज में सदियों से व्याप्त भेदभाव के कारण अभी काफी कुछ कियाजाना आवश्यक है।

सोशल असिस्मेन्ट स्टडी, बेस लाईन प्लानिंग टीम के विभिन्न स्तरों पर किये गये फोकस ग्रुपडिस्कशन से बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी प्रमुख समस्याओं एवं उनसे सम्बन्धित समितियों निम्नांकित है :-

क्र.सं.	समस्याओं	रणनीतियों कार्यक्रम
1.	परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति	1. बालिकाओं को निःशुल्क पाठय पुस्तक उपलब्ध
		2. स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी सहायता से सभी बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराना।
		3. समाज कल्याण विभाग व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहयोग से अपवंचति वर्ग की सभी बालिकाओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।
2.	छोटे भाई-बहनों की देखभाल एवं घरेलू कार्य	1. परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन।
		2. आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
		3. सामाजिक जागरूकता उत्पन्न कर बालिकाओं पर पड़ने वाले कामकाज को बोझ को कम करना।
3.	विद्यालय का दूर होनाा	1. मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना करना।
		2. 1 किमी0 दूर से अधिक दूर होने पर बालिका शिक्षा हेतु विद्या केन्द्र की स्थापना कराना।
		3. प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ज्ञान शाला की स्थापना।
		4. समुदाय के सहयोग से इस्कोर्ट की व्यवस्था।
4.	अनुपयुक्त विद्यालय का समय	1. विद्यालय के समय को बालिकाओं के अनुरूप वितरित करना।
		2. विद्याकेन्द्रों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का समय बालिकाओं के सुविधानुसार कराना।
		3. विद्यालय समय सारणी में लचीलापन की व्यवस्था करना।

5.	महिला शिक्षिकाओं का अभाव	1.	प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना।
		2.	निम्न बालिका वाले विद्यालयो में महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना।
		3.	समुदाय के सहयोग से महिला शिक्षिका की व्यवस्था कराना।
6.	बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता	1.	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु अभिभावकों शिक्षकों की गोष्ठी का आयोजन।
		2.	मीना कैम्पेन का आयोजन।
		3.	रैली प्रदर्शनी, पदयात्रा एवं प्रभात फेरियों का अयोजन।
		4.	मां-बेटी शिक्षक मेले का आयोजन।
		5.	कलाजत्था का प्रदर्शन।
		6.	दीवार लेखन पम्पलेट पोस्टर आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना।
		7.	स्लाइड फिल्म, आडियो-वीडियो कैसेट्स का प्रदर्शन
7.	शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ	1.	समुदाय के साथ बैठकें आयोजित करना, लोकगीतों नुक्कड़ नाटेकों आदि के माध्यम से शिक्षा के महत्व।
		2.	सभा, गोष्ठी, कलाजत्था प्रदर्शन, फिल्म, स्लाइड प्रदर्शन पोस्टर प्रतियोगिता, दीवारलेखन अखबार लेखन अफलतम कहानियों का प्रचार-प्रसार मीडिया के सहयोग से (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया) प्रचार-प्रसार करना।
8.	बालिकाओं की कम उपस्थिति	1.	समुदाय में जागरूकता उत्पन्न कर माता-पिता एवं भाईयों के सहयोग से बालिकाओं के काम काज के बोझ को कम करना।
		2.	छोटे भाई बहनों हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
		3.	विद्यालय वातावरण को बालिका शिक्षा के लिये उत्साहवर्धन बनाना।
		4.	जेन्डर सेन्सिटाईजेशन के माध्यम से शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना।

		5.	बालिकाओं की समस्याओं का अध्ययन कर उनका निदान कराना।
9.	बालिकाओं का धनोपार्जन के कार्यों में संलग्न रहना।	1.	विद्यालीय शिक्षा के साथ-साथ शिल्प व धनोपार्जन सम्बन्धी कार्यों की शिक्षा देना।
		2.	शिक्षा के साथ-साथ बालिकाओं हेतु किशोरी समूहों व स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर आर्थिक आधार सुदृढ़ कराना।
		3.	परिवार की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को लाभान्वित कराना।
10.	बालिका का शीघ्र विवाह देना	1.	विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्मय से समुदाय को जागरूक करना तथा बाल विवाह पर रोक लगाना।
		2.	स्थानीय पंचायतों जातीय पंचायतों व धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें कर बाल विवाह को हतोत्साहित करना।
		3.	कलाजत्था/नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के दुष्प्रभावों का प्रदर्शन कर जनजागरण करना।
11.	शिक्षकों का हतोत्साहित करने वाला व्यवहार	1.	जेन्डर सेन्सटाईजेश प्रशिक्षण आयोजित कर शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना।
		2.	भेदभाव करने वाले शिक्षक का सामाजिक रूप से हतोत्साहित किया जाना।
		3.	भेदभाव न करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना।
12.	पर्दा प्रथा	1.	विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न करना।
		2.	विद्यालयों में शिक्षिकाओं एवं शिक्षामित्रों की व्यवस्था करना।
		3.	मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं की बैठकें कर उक्त समस्या के प्रति जागरूकता।
		4.	मकतब/मदरसों में महिला अनुदेशिकाओं की व्यवस्था कर बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ना।

13.	मुस्लिम परिवार का रूढ़िवादी होना तथा परिवार का आकार बड़ा होना।	1.	धार्मिक उलेमाओं की बैइकें आयोजित कराना।
		2.	आर्थिक रूप कमजोर परिवार के बच्चों के लिये अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से छात्रवृत्ति वितरित कराना।
		3.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था।
		4.	समुदाय के सहयोग से यूनिफार्म आदि अन्य प्रोत्साहन देना।
14.	मुस्लिम समुदाय द्वारा दीनी तालीम को प्राथमिकता	1.	औपचारिक शिक्षा के महत्व से समुदाय को अवगत कराना।
		2.	मकतब/मदरसों की बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ान हेतु अनुदेशक की नियुक्ति करना।
		3.	मुस्लिम समुदाय के स्थानीय शिक्षकों/ शिक्षामित्रों को विद्यालय पदस्थापित करना।
15.	बालिकाओं का शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर भाषा और गणित में अत्यन्त न्यून होना	1.	नियमित शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना।
		2.	कक्षाकक्ष में बालिकाओं को भी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर में गतिविधियों में समान अवसर उपलबध कराना।
		3.	बालिकाओं में भी आत्मविश्वास जगाना एवं नेतृत्व की भावाना विकसित
		4.	शिक्षण को रूचिकर बनाना तथा प्रभावी निरीश्रवण अनुश्रवण द्वारा शैक्षिक गुवत्ता की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना।
16.	सामाजिक निर्णयन में पर्याप्त भागीदारी न होना।	1.	ग्राम शिक्षा समितियों, माता शिक्षकों संघों व अभिभावक शिक्षक संघों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना।
		2.	किशोरी संघों व महिला प्रेरक दलों का गठन कर प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन को भूमिका देना।

		3.	माता शिक्ष संघों व अन्य स्थानीय संस्थाओं की नियमित बैठकों का आयोजन करना तथा बैठक व निर्णयन में भागीदार सुनिश्चित करना।
		4.	महिला सांसदों तथा मां0-बेटी शिक्षक मेलों के आयोजन के द्वारा महिला दबाव समूहों को सशक्त करना तथा सामाजिक निर्णयन की क्षमता विकसित करना।
17.	महिला साक्षरता दर अत्यन्त न्यून होना	1.	महिलाओं/बालिकाओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराना।
		2.	उत्तर साक्षरता/सतत शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को साक्षर होना हेतु प्रेरित करना।
18.	समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति	1.	जेन्डर सेन्सटाईजेशन कार्यशालाओं का आयोजन।
		2.	ग्राम पंचायतों तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी हेतु अभिप्रेरण।
		3.	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।
		4.	महिला मण्डल व। समूह स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य :-

1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :- जनपद में 2002 वर्ष 2003 एवं वर्ष 2003 में जनपद में परिषदीय सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित की गई। वर्ष 2002-2003 में माह जुलाई में 2,22,29 बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई।

2. ग्रीष्म कालीन शिविर :- जनपद में वर्ष 2000-01 में 100 ग्रीष्म कालीन शिविर तथा 2001-2002 में 150 ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से विद्यालय छोड़ चुकीं लगभग 10 हजार बालिकाओं का पुनः विद्यालयों में प्रवेश कराया गया। ग्रीष्म शिविरों में 10 दिनांक तक सरल एवं रूचिपूर्ण विधियों से शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के माध्यम से स्कूल छोड़ चुकीं बालिकाओं की हिचक दूर की जाती है तथा पुनः विद्यालय आने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

3. कला जत्था :- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में न्यून साक्षरता दर वाले 3 विकासखण्डों में कलाजत्था टीम के माध्यम से लगभग 68 कलाजत्था प्रदर्शन किये गये।

4. 4. जेन्डर सेन्सीटाईजेश :- जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण करने वाले तीन दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण बनाया जा रहा है। जिससे शिक्षकों में पराम्परागत भेदभाव की प्रकृति में बदलाव आ रहा है।

5. एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 का गठन एवं प्रशिक्षण :- जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 का गठन कराया जा चुका है। एवं सभी को क्रियाशील बनाने के लिये सभी का प्रशिक्षण भी कराया जाता है।

6. स्कूल चलो अभियान :- पूरे जनपद में बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन हेतु स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत दीवार लेखन, जनसम्पर्क, पम्पलेट, रैली लोकगीत प्रभातफेरी मानव श्रृंखला व गोष्ठियों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किये गये।

7. मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच :- मॉडल क्लस्टर एप्रोच हेतु प्रथम चरण में जनपद में निम्न बालिका नामांकन वाले क्षेत्र में 15 न्याय पंचायतों का चयन किया गया तथा दूसरे चरण में 10 न्याय पंचायतों का चयन किया गया। मॉडल क्लस्टर के अन्तर्गत बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन हेतु स्थन रूप से चलाया गया इसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आये।

1. वातावरण सृजन :- चयनित न्याय पंचायतों में प्रारम्भ में दीवार लेखन, सार्वजनिक स्थानों पर गोष्ठी मीटिंग का व्यापक प्रचार-प्रचार किया गया। इससे वातावरण का सृजन हुआ।

2. विशेष नामांकन अभियान :- वर्ष 2000 में मॉडल क्लस्टर के सभी बच्चों को नामांकित करने हेतु विशेष स्कूल अभियान चलाया तथा जागरूकता के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से मॉडल - क्लस्टर में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सका।

3. मीना कैम्पेन : बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिये ग्राम व बस्तीस्तर पर मीना फिल्मों का प्रदर्शन किया गया तथा नव चयनित न्ऱाय पंचायतों में प्रदर्शन किया जा रहा है। जिससे बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न हुई।

4. मॉ-बेटी शिक्षक मेला :- प्रथम चरण चयनित सभी 15 न्याय पंचायतों में मां-बेटी शिक्षक मेलों का आयोजन किया गया जिसका बालिकाओं के नामांकन के ठहराव पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा माताओं की बालिकाओं की शिक्षा क प्रति सोच में बदलाव आया है।

5. महिला संसद :- मॉडल क्लस्टर के तीन न्याय पंचायतों में महिला संसद का गठन व अधिवेशन किया गया जिसमें महिलाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षाा से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा हुई तथा दबाव समूह के रूप में सामाजिक नेतृत्व एवचं विपण्न की क्षमता का विकास हुआ तथा उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार मांग के परिणाम स्वरूप ही

नगर बेहटा में विद्याकेन्द्र की स्थापना, पल्हरी में विद्यालय पुननिर्माण भीरा में शिक्षामित्र की नियुक्ति व शतप्रतिशत नामांकन से अन्य कार्य सम्पादित हो सके।

6. न्याय पंचायत कोर टीम :- न्याय पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 के प्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी मॉडल क्लस्टर में न्याय पंचायत स्तरीय कोर टीम का गठन कराया गया है। जो न्याय पंचायत के विभिन्न ग्रामों व विद्यालयों में बालिका शिक्षा सम्वर्द्धन के विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करता है।

7. महिला प्रेरक दल :- मॉडल क्लस्टर के विद्यालयों में जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं है। महिला प्रेरक दल का गठन कराया गया है। जो बालिकाओं के नामांकन ठहराव व बच्चों को नियमित रूप से सहयोग प्रदान करते है।

8. बच्चों की सरकार :- मॉडल क्लस्टर के सभी विद्यालयों में बच्चों की सरकार का गठन कराया गया। जिसमें बालिकाओं सें आत्म विश्वास जगाने एवं नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिये बालिकाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

9. ठहराव परिक्रमा :- बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों तथा बच्चों की जागरूक करन के लिये अक्टूबर से फरवरी तक ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जाता है।

10. तारांकन :- नियमित विद्यालय आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये 80 प्रतिशत से भी ज्यादा उपस्थित होने वाले बच्चों को हरा स्टर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक के उपस्थित होने वाले बच्चों को पीला स्टार तथा तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थित होने वाले बच्चों को लाल स्टार दिया जाता है। जिसका प्रत्येक कक्षा कक्ष में चार्ट पर प्रदर्शन व बच्चों को रिबन के स्टार दिये जाते है एवं ग्राम शिक्षा समिति तथा अभिभावक शिक्षक संघ/माता शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा की जाती है तथा उपस्थित होने वाले बच्चों के अभिभावक को सम्मानित किया जाता है। बच्चों के तारांकन की तरह ही परिवारों का भी तारांकन किया जाता है और जिस परिवार से कोई बच्चा विद्यालय नही आ रहा है, उसके मकान पर लाल स्टार बनाया जाता है।

11. ग्राम शिक्षा समितियों व अन्य समूह का प्रशिक्षण :- मॉडल क्लस्टर के सभी ग्राम शिक्षा समितियों/अभिभावक शिक्षक संघों, महिला प्रेरक समूह व कोर टीम को क्रियाशील बनाने के लिये प्रशिक्षण कराया गया तथा नियमित मासिक बैठक आहूत की जाती है।

मॉडल क्लस्टर में उपरोक्त क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप प्रथम चरण के सभी 15 न्याय पंचायतों में शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी तथा उक्त न्याय पंचायतों में अधिकाशं विद्यालय ड्राप आउट ही है।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना :-

1. वर्ष 2002-04 तक प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत एवं उसके उपरान्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा।

2. डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रथम चक्र का जेन्डर सेन्सटाईजेशन प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा सर्द शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुनः एक चक्र जेन्डर पर आधारित प्रशिक्षण तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को कम से कम 2 चक्र जेन्डर सेन्सेटाईजेशन प्रशिक्षण कराया जोयगा जिसे लिये 5 माडयूल भी विकसित किया जायेगा।

3. वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान तथा उच्च प्राथमिक विद्यायालें में वर्ष 2007 तक प्रतिवर्ष विशेष नामांकन अभियान चलाया जायेगा जिसमें बालिकाओं के नामांकन पर विशेष बल दिया जायेगा।

4 डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत वर्तमान में एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत 25 न्याय पंचायतें चयनित है तथा वर्ष 2003-04 तक 20 न्याय पंचायतें एम0सी0डी0ए0 से आच्छादित कर दी जायेगी। शेष 100 न्याय पंचायतों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक एम0सी0डी0ए0 के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया जायेगा जहां पर सघन रूप से विविध गतिविधियों को संचालित कर पूरे जनपद को ड्रापआउट फ्री कर दिया जायेगा।

5. एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का गठन का प्रशिक्षण :- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सम्मिलित एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 को छोड़कर पूरे जनपद प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 को प्रशिक्षित कर उन्हें सक्रिय बनाया जायेगा।

6. महिला प्रेरक दलों का गठन व सशक्तीकरण :- मॉडल क्लस्टर में गठित महिला प्रेरक दलों के अतिरिक्त पूरे जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत में न्यून महिला नामांकन व साक्षरता वाले ग्रामों में व जहां विद्यालय स्थित है कम से कम 2 महिला प्रेरक दलों का गठन कराया जायेगा व प्राथमिक व नियमित बैठक कर उनका सशक्तीकरण कराया जायेगा।

7. न्याय पंचायत कार्य समिति :- डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत गठित 25 न्याय पंचायत और समूहों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत कार्य समिति का गठन का सशक्तीकरण किया जायेगा।

8. मीना कैम्पेन :- जनपद के सभी 1912 ग्रामों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मीना कैम्पेन कराया जायेगा।

9. मॉ बेटी शिक्षक मेला :- मॉडल क्लस्टर के अतिरिक्त जनपद के शेष न्याय पंचायतों में भी सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला संसद का गठन व उनकी नियमित छः माह में सभी आहूत कराया जायेगा।

10. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण :- प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु जनपद में ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में निर्वाचित समस्त महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

11. डी0आर0जी0/वी0आर0जी0 की ट्रेपिंग :- जनपद स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु डी0आर0जी0 व ब्लाक स्तर पर बी0आर0जी0 गठन, उनका प्रशिक्षण व नियमित बैठकें आहूत की जायेगी।

12. महिला महोत्सव व सेमिनार/वर्कशाप का आयोजन :- महिला दिवसों व अन्य अवसर पर जनपद स्तर, तहसील व ब्लाक स्तर पर महिला महोत्सव सेमिनार व वर्कशाप का आयोजन किया जायेगा।

13. किशोरी दलों व संघों का गठन :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 9+ की बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु किशोरी संघों व दलों का गठन व उनक सशक्तीकरण कराया जायेगा।

14. ग्रीष्म कालीन शिविर :- प्रतिवर्ष प्रत्येक ब्लाक में अधिक बालिका शाला त्याग वाले विद्यायालें में 10 दिवसयी ग्रीष्म कालीन शिविर प्रति ब्लाक कम से कम 10 या आवश्यकतानुसार सर्व शिक्षा अभियान केअन्तर्गत लगाये जायेंगे। यह शिविर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के लिये लगाये जायेंगे।

15. ब्रिजकोर्स कैम्प :- शाला त्याग कर चुकी ऐसी बालिकाओं हेतु जो अपनी हम उम्र छात्राओं से काफी पीछे छूट गई है व सम्पात्ति स्तर न्यून है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2 माह व छः माह के विशेष ब्रिजकोर्स कैम्प आयोजित किये जायेंगे।

16. बालिका शिक्षा में नवाचार :- बालिका शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु एन0जी0ओ0 की सहायता ली जायेगी तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसका प्राविधान किया जायेगा।

17. शिशु शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) :- आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 70 शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित है। जिनका डी0पी0ई0पी0 के उपरान्त वित्त पोषक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखकर संचालित किया जायेगा। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिनलिंग केपर की समस्या वाले कम से कम 200 केन्द्र और परियोजना के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे। नान आई0सी0डी0एस0 ब्लाक सिरौली गौसपुर में एन0जी0ओ0 के सहयोग से बी0पी0ई0पी0 में संचालित किये जाने वाले शिशु शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान में संचालित कराये जायेंगे।

18. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण :- आई0सी0डी0एस0 द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूर्व प्राथमिक घटक को सुदृढ़ करने के लिये आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु आवश्यक अन्य कार्यों का समाधान आवश्यकतानुसार वार्षिक योजनओं में सबसे बाद मेंकिया जायेगा।

19. कलाजत्था प्रदर्शन :- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये पूरे जनपद में कलाजत्था, प्रदर्शन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कराया जायेगा। जिससे समुदाय में जनचेतना उत्पन्न होगी।

20. तारांकन :- पूरे जनपद में ठहराव संवर्द्धन हेतु विद्यालयों के तारांकन कराया जायेगा। जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले बच्चों को हरा निशान, 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की उपस्थिति वाले बच्चों को पीला निशान व 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले बच्चों को लाल निशान दिया जायेगा जिससे विद्यालय कम आने वाले बच्चे भी प्रोत्साहित होकर विद्यालय नियमित रूप से आयेंगे।

किशोरी शिक्षा केन्द्र एवं उ0प्रा0वि0 में कम्प्यूटर शिक्षा :- बालिका शिक्षा को वढ़ावा देने एवं उनको समुचित शिक्षा मिले इसके लिये किशोरी शिक्षण केन्द्र की महती आवश्यकता है कक्षा 7 से आठ तक ड्रापआउट बालिकायें जो 14 वर्ष तक ही है जो अधिक उम्र होने के कारण ग्रीष्मकालीन शिविर के उपरान्त वह घर बैठ जाती है ऐसी बालिकाओं को कक्षा 8 तक की शिक्षा हेतु या शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किशोरी शिक्षण केन्द्र अत्यधिक प्रभावशाली होंगे और बालिका शिक्षा संवर्द्धन में महत्वू पूर्ण भूमिका निभायेंगे। प्रति विकासखण्डों में दो चुने हुए विद्यालय बालिकाओं हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने की योजना है वर्ष 2003-04, 75000 प्रति विद्यालय की दर से 30 विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने हेतु प्रयास किया जायेगा।

सेवारत अध्यापकों के लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण :- आज भी हमारे सेवारत शिक्षा अपनी परम्पराओं और दूषित मानसिकता को दूर नही कर पा रहे है क्योंकि वह आने-जाने में बालिकाओं के साथ जाने अनजाने विद्यालय एवं कक्षा में भेदभाव करते रहते है शिक्षकों को इन भ्रान्तियों से दूर करने हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। ताकि बालिकाओं में आत्महानता, शालात्याग की भावना जन्म ले सके।

सामुदायिक गतिशीलता

जनपद बाराबंकी में सर्व शिक्षा अभियान के योजना निर्यात के पहले जनपद में सामुदायिक गतिशीलता के विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये जनपद स्तर पर पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, अर्थ एवं सांख्याधिकारी व विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद स्तर पर संगोष्ठी

कर गई जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन से सम्बन्धित विविध सूचनायें व सुझाव प्राप्त किये गये।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिससे समुदाय में गतिशीला उत्पन्न हुई प्री प्लान एवं प्री विलेज के अन्तर्गत समुदाय में विभिन्न स्तरों पर किये गये फोकस ग्रुप डिसकशन में समुदाय की गतिशीलता के क्षेत्र में निम्न अवरोध चिन्हित किये गये -

1. जन समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।
2. विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय का रूचि न लेना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा शैक्षिक उत्तदायित्वों का सम्यक निर्वहन न करना।
4. पर्यवेक्षक स्टाफ (ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0) शिक्षकों व ग्राम शिक्षा समितियों में परस्पर समन्वय का अभाव।
5. क्रियाशील स्वयंसेवी संगठनों का अभाव।
6. ग्राम शिक्षा योजना व नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय व प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन न करना।
7. स्थानीय समूहों को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन न देना।
8. ग्राम स्तर व ब्लाक स्तर पर विभिन्न विभागों से परस्पर कन्वर्जेन्स का अभाव।
9. ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त व्यापक निरक्षरता।
10. अपवंचित वर्ग के लोगों का समाज में निम्न स्तर।
11. मुस्लिम वर्ग की निरक्षरता, रूढ़िवादिता व परम्परावादी होना।
12. महिलाओं को समाज में निम्न स्थिति व पर्याप्त भागीदारी न होना।

वर्ष 1997-98 में सोशल असिस्मेन्ट स्टडी के परिणास्वरूप निम्न अवरोध प्रकाश में आये :-

1. परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति।
2. शिक्षा के महत्व से जन समुदाय का अनभिज्ञ होना।
3. औपचारिक शिक्षा के प्रति मुस्लिम समुदाय का स्थान न होना।
4. स्थानीय दबाव समूहों का प्रभावी न होना।
5. सगुदाय को विद्यालय की गतिविधियों की सम्यक जानाकारी न होना।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

6. विद्यालीय प्रबन्धन में समुदाय की पर्याप्त भागीदारी न होना।

उक्त अवरोधों / समस्याओं के निदान हेतु निम्न रणनीतियां प्रस्तावित है :-

1. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित कराकर उत्तरदायी बनाना।

2. स्थानीय समूहों पी0टी0ए0/एम0टी0ए0/डब्लू0एम0जी0 व अन्य समूहों कों सशक्त बनाकर विद्यालय प्रबन्धन में भागीदार बनाना।

3. अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित युवकों व महिलाओं का समूह गठित कर विद्यालीय गतिविधियों से जोड़ना।

4. सूक्ष्म नियोजन व ग्राम शिक्षा योजना निर्माण में समुदाय की और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

5. समुदाय के अच्छा प्रयास करने वाले समूहों को प्रोत्साहित करना।

6. समुदाय के अच्छे प्रयासों का प्रयार-प्रसार करना।

7. निर्वाचित प्रतिनिधियों को शैक्षिक गतिविधियों से अवगत कराना व उन्हें भागीदार बनाना।

8. पर्यवेक्षक स्टाफ शिक्षकों व ग्राम शिक्षा समितियों व अन्य विभागों के साथा कान्वर्जेन्स करना।

9. अपवंचित वर्ग व मुस्लिम वर्ग के साथ बैठके आयोजित करना।

10. समुदाय के निर्णयों का सम्मान करना व उनकी मांग के आधार पर असेवित बस्तियो में विद्यालय स्थापना करना।

11. महिला मंगल दल, युवक मंगल दल व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वयक व सामुदायिक जागरूकता में सहयोग लेना।

12. रैली प्रदर्शन, पोस्टर, दीवारलेखन व प्रभावकारियों आदि से वातावरण सृजन।

13. बालमेला, मॉ-बेटी शिक्षक मेला, महिला संसद व गोष्ठी आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना।

4. कलाजत्था के प्रदर्शन व लोकगीत व आडियो/वीडियों कैसेट आदि के माध्यम से वातावरण सृजन मीना फिल्म, स्लाइड फिल्म का प्रदर्शन।

16. ब्लाक स्तर व जनपद स्तर पर कन्वर्जेन्स वर्गशाप व आया

यूनिसेफ सहायतित क्वालिटी गर्ल्स एजूकेशन

6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों विशेषकर सभी बालिकाओं को गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने सम्बंधी शैक्षिक नवाचारों हेतु जनपद बाराबंकी एवं ललितपुर में यूनीसेफ के सहयोग से बालिका शिक्षा कार्यक्रम 26.7.02 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुखरूप से निम्न कार्य प्रस्तावित हैं।

- पूरक शिक्षण सामग्री, कहानी सुनाना, पुस्तकालय, पाठक मंच, विज्ञान शिक्षण (रोचक ढंग से) द्वारा प्राथमिक स्कूल व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को बेहतर बनाना।
- समुदाय के सहयोग से शिक्षा वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोडना
- शैक्षिक गुणवत्ता के लिए नवाचार करना
- स्कूल बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं दूसरे सेक्टरों के साथ तालमेल स्थापित करना।
- बालिका शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक समिति एवं समुदाय में वातावरण तैयार करने के लिए संचार की रणनीति विकसित करना एवं लागू करना।
- बालिका शिक्षा के लिए आवासीय शिविर, ट्रन्जीटरी स्कूल, स्मैडियल स्कूल जैसे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन

क्वालिटी गर्ल्स एजूकेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत एक समन्वयक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेकित शिक्षा)

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत **जनसंख्या** विकलांगता से ग्रसित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वज**नीकरण है इस लक्ष्य की प्राप्ति के यि** उन सभी जो कि 5-10 प्रतिशत बच्चों को जो दृष्टि सम्बन्**धी एवं मानसिक सम्बन्धी अक्षमताओं से ग्रस्त है,** विद्यालय में लाया जाना है। शिक्षा के सार्वजनीकरण **के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही** किया जा सकता है, जव तक विभिन्न विकलांगता के ग्रसित बच्चों **को विद्यालय नहीं** लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां व्यक्तित्व की प्रभावित करता **है वहीं परिवार** एवं समुदाय को भी प्रभावित करता हैं, विभिन्न अक्षमताओं में सब से अधिक **संख्या शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों** की है पूर्ण रूप से दृष्टि हीन वच्चों की संख्या कम है। इन व**च्चों में से अधिकांश** वच्चे (अक्षम बच्चे) लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नही होती, **और थोड़े से** विशेष प्रयास के साथ इन अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य **धारा में** लाया जा सकता है।

पहले अभिभावक अक्षम/विकलां**ग बच्चों को**बिना बुलाइ आपदा अथवा अभिशाप समझते थे किन्तु समाज में समेकित शिक्षा के इस **प्रयास से आज सोच** एवं व्यवहार में परिवर्तन ठना गया है। आत विकलांग व्यक्तियों ने अधिकांश **क्षेत्रों में सफलता** पाई है और उन्होंने दूसरों को सहारा देना शुरू भी कर दिया है। अक्षम बच्चे मा**नसिक रूप से** अधिक जागरूक व क्रियाशील होते है।

समेकित शिक्षा के विभिन्न प्र**कार है माइल्ड** एवं माडरेट (कम और मध्यम) श्रेणी विकलांग बच्चों को जो विद्यालय से बाहर है प्रा**थमिक शिक्षा की** मुख्य धारा लाया जाना ताकि उनका मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह हो स**के। इस बात** का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकलांगता को लेकर सम्बोधन में, व्यवहार में, खेल **में, कक्षा में,** मैदान में, एवं घर में लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न न हों।

अक्षम वच्चे सिर्फ सहानुभूमि **के पात्र ही** नहीं है इन्हें उचित वातावरणऔर भावनात्मक समर्थन के साथ-साथ शिक्षण प्रशिक्ष**ण की भी आवश्यकता** है।

ऐसे वच्चे जो अपनी शारीरि**क अक्षमताओं के** कारण शिक्षा **से** वंचित है स्कूल की दुनिया से बाहर है, उनमें निहित क्षमता का वि**कास कर उनमें** आत्म विश्वास जमाने और आत्मा निर्भर बनाने में **शिक्षा** का वहुत बड़ा योगदान हो**ता है, अतः** ये समेकित शिक्षा अन्तर्गत ही ये प्रयास संभव **है।**

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत **विभिन्न विकलांग बच्चों को** शिक्षा प्रदान करायी जानी **है**। मुख्यता समेकित शिक्षा की अन्तर्गतविभिन्न **प्रकार की विकलांगता से ग्रसित** कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को सा**मान्य प्राथमिक** विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती **है**।

विकलांक / अक्षमता के प्रकार:-

सामान्य रूप से अध्यापकों **के अध्यापन के** सम जिन विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करना **पड़ता है निमन प्रकार का है** मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है -

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकास विकलांगता
4. मानिकस मन्दता
5. अधिगम मन्दता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :-

बच्चों कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म से बाद विकसित होती है कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है।

1. अधिगम सतस्याओं से सम्बन्धी कारण :- निम्नवत् है।

1. बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्नस्तर तथा विकास की मन्दगति।
2. दृष्टि विषयक समस्या (देखने में कठिनाई)
3. श्रवण तथा वाक समस्या (सुनने तथा बोलने में कठिनाई)
4. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगों की विकृति मांस पेंशियों के ताल मेल में सतस्या होने से क्रियाकलाप में कठिनाई।
5. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्याये।

घर परिवार सम्बन्धी कारण :- निम्नलिखित है ।

1. माता पिता के स्नेह में कमी।
2. बच्चों को हीन भावना से देखना।
3. सीखने के समान अवसर ना मिलना।
4. शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
5. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विद्यालीय वातावरण से सम्बन्धित कारण :- निम्नलिखित है।

1. शिक्षक का बच्चे से लगाव होना।
2. सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा बना लेना।
3. कक्षा में अनुकूल सामाजिक वातावरण का न होना।
4. सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चे के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।
5. उत्तरदायित्व निर्वहन तथा सुविधाओं की भागीदारी जैसी भावनाओं के प्रति उदासीनता होना।
6. बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा भौतिक सुविधाओं के सामंजस्य का अभाव होना।

सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों में इन बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रकार की जरूरतों को समझने की आवश्यकता जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल शिक्षा को नियोजित कर से इसका उत्तरदायितव सबसे अधिक कक्षा के अध्यापकों पर आता है क्योंकि उनका इन बच्चों से सीधा सम्पर्क होता है, तथा उनको बच्चों को ध्यान से देख्ने का

अवसर मिलता है इसीलिये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 5 दिवसयी समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अक्षमता के परिणाम :-

1. बच्चों में
2. परिवार में
3. समाज में

1. आत्म निर्भरता में कमीं
2. चलने में परेशानी
3. समाज में उपेक्षित

परिवार में :-

1. अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।
2. आर्थिक बोझ अधिक।

समाज में :-

1. ध्यान देने की आवश्यकता
2. उत्पादन में कमीं
3. समाज में एकीकरण में कमीं

अक्षम बच्चों में अनेक भ्रान्तियां है, बहुत से अध्यापकों का विश्वास हे कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिये विशेष तकनीकी कीआवश्यकता नहीं होती है केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है विशेष प्रकार की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

1. संवेदीकरण :-

अक्षम बच्चों के लिये निम्न संवेदीकरण आवश्यक होता है।

1. समुदाय का संवेदीकरण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना।
2. परिवार एवं भाई बहिनों का संवेदीकरण तथा मार्ग निर्देशन (मार्गदर्शन)
3. अध्यापकों का संवेदीकरण

संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकाण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते है इन्हे सहानुभूति की नहीं सहायता की आवश्यकता होती है, उनमें निहित उनकी क्षमतओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

2. उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्कयता ज्ञात कराने के लिये बच्चों का डाक्टर की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, एक0 इ0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो, के द्वारा मेडिकल असिस्मेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण

एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करायी जाती है इस लिये निम्न संस्थाओं के सम्पर्क किया जाता है -

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून।
2. अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान बान्द्रा-बम्बई।
3. एलिम्कों जी0टी0रोड, कानपुर 208016 ।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंखलय द्वारा स्थापित कम्पोजिस्ट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एशोसियशन फार दी ब्लाइण्ड एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कालेज, ग्रीन, एल0पी0 बाला काम्पलेक्स।
8. मंगलम ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

3 अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में संमेकित शिक्षा का केन्द्र विन्दु विशेष रूप ले लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया हैं। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर टेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर टेनर्स का 10 दिवसीय एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन रूहेल खण्डय युनिवर्सिटी बरेली अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर कंकरडूमा विकास मार्ग दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

4. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :-

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांगतओं दृष्टि, श्रवय, अधिगम, अस्थिम तथा मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये है जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये 'आप क्या कर सकते है' फोल्डर्स तैयार किये गये है विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिये कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठय पुस्तकों में दोस्ती नामक पाठ सम्मिलित किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माडयूल के विषय में भी शामिल किया गया है।

शिक्षक के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माडयूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है।

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्कयताओं को समझना।
3. इन बच्चों के सभी समूहों केलिये शिक्षण रणनीति को विकसित करना।
4. कक्षा कक्ष प्रबन्धन और मूल्यांकन।
5. इन बच्चों के अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श ओर मार्गदर्शन देना।
6. विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी जी जाती है जो विशिष्ट आवश्यता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हो और निम्न पात्रतायें रखती हो।

1. संस्था/सोसायटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हों।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।
3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
4. संस्था विकलांग जन अधिनियम 1994 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्य :-

समेकित शिक्षा कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को बहुत ही जरूरी है। समेकित शिक्षा को मुख्य धारा में लाना इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास करना।

1. कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।
2. 6-11 वयवर्ग बच्चों को सामान्य बच्चों की ही तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।
3. स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्म विश्वास एवं समाजीकरण की भावना का विकास हो।
4. समुदाय एवं अभिभावकों का संवेदीकरण/निर्देशन एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।
5. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।
6. जनसमुदाय को जागृत करना।
7. स्थानीय विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा एवं स्वावलम्बन हेतु सामूहिक उत्तरादायित्व हेतु बोध का प्रयास करना।
8. प्रत्येक विकलांग बच्चे को अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा का सुनिशिचितीकरणउ करना।
9. मास्टर ट्रेनर की पहचापन एवं उन्हें प्रशिक्षण कराना।
10. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कराना।
11. प्रत्येक विद्यालय में विकलांग बच्चों का आई0ई0पी0 (इन्डिविजुऐलाइज्ड एजूकेशनल प्लान) तैयार कराना।
12. रिसोर्स टीचर/मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण एवं आवश्यक शैक्षिक सपोर्ट दिलाना।
13. समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भांति इन अक्षताग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।
14. स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित कराना जिससे सामान्य बच्चों का अक्षमताग्रस्त बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके।
15. जीवन के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने के लिये इन बच्चों के नागरिक अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामार्थ्य का विषय/विकास सुनिश्चित करना।
16. उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

विशेष शैक्षिक प्रावधान :-

विकलांग व अक्षमताग्रस्त बच्चों को कई प्रकार के शैक्षिक प्रावधान उपलब्ध कराये गये है जिनमें से कुछ इस प्रकार है-

1. समेकित शिक्षा विन्यास (क्षतिपूरक सहायक उपकरण)।
2. समेकित शिक्षा की व्यवस्था (पाठयक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन)।

बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक के परामर्श से तैयार कर सकते है।

3. समेकित शिक्षा भवन (विशेष प्रकार के विद्यालय)

आधारभूत अकादमी कौशलों के विकास के बाद इनमें से अधिकतर बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जा सकता हैं

एकीकृत शिक्षा को सहज बनाने वाले कारक :-

1. सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पहचान एकदम प्रारम्भ में करना उपयुक्त है।
2. इन बच्चों को निरन्तर उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराना साथ ही उपकरणें के उपयोग सुझाना।
3. बच्चों में रचनात्मक विश्वास जागृत करना तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिये मानसिक रूप से तैयार करना।
4. संसाधन (विशेष) अध्यापक की सहायता से अतिरिक्त सामग्री तैयार करना।
5. समेकित शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये पाठ्यक्रम पर आधारित विषयवस्तु में परिवर्तन कर पहले से ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।
6. विद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना जिससे बौद्धिक विकास के यि सबको समान अवसर मिल सके।

इस शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेहपूर्ण तथा सकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी परिवत्रन या सुधार की अन्तर्दृष्टि भी अपेक्षित है जिससे कि इन बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हो सके जिससे कि इन्हें भी समाज का अंग माना जाये।

जनपद बाराबंकी में समेकित शिक्षा में किये गये कार्य :-

जनपद बाराबंकी में लगभग 5000 विकलांग बच्चें है, सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की है पूर्ण रूप से दृष्टिकोण बच्चों की संख्या सबसे कम है। इन बच्चों में अधिकांश बच्चे ऐसे अक्षम है जिसके लिये कोई विशेष शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से विशेष प्रयास के साथ इन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा रहा है।

जनपद बाराबंकी में समेकित शिक्षा कार्यक्रम दो चयनित विकासखण्डों में हैदरगढ़ और देवां में चलाया जा रहा है। जिसमें कि निम्नलिखित कार्यक्रम कराये गये है।

1. मेडिकल असिस्मेन्ट

दो विकास खण्डों में 0 से 14 वर्ष में विकलांग बच्चों का मेडिकल असिस्मेन्ट कराया गया है, तथा विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिये गये है यह शिविर तीन न्यायपंचायतों में लगाये जाते है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संचालित डाक्टर की टीम जिसमें

अस्थि विशेषज्ञ, नाक, कान, गला विशेषज्ञ, ई0एन0टी0 विशेषज्ञ नेत्र, विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, तथा सी0एम0ओ0/डिप्टी सी0एम0ओ0 जाते हैं परीक्षणों परान्त आवश्यक उपकरण क्या दिये जायें उसकी सूची बनाकर दी जाती है कि किस बच्चे को क्या सहायक उपकरण दिया जा सकेगा साथ ही विकलांगता प्रमाण-पत्र भी दिये जाते हैं।

जनपद में वितरित उपकरण 2001-2002

मेडिकल एसेसमेन्ट शिविरों में परीक्षण किये गये बालक/बालिका (विकासखण्ड दरियाबाद/हैदरगढ़)

दृष्टि		श्रवण		टस्थि		मानसिक		सन्दर्भित		कुल योग		योग
बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालिका	बालक	
33	14	40	24	299	152	18	12	24	20	390	202	592

मेडिकल एसेसमेन्ट शिविरों में परीक्षण किये गये बालक/बालिका (चयनित चार विकासखण्ड)

दृष्टि		श्रवण		टस्थि		मानसिक		सन्दर्भित		कुल योग		योग
बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालिका	बालक	
15	17	19	19	275	158	14	7	43	18	376	219	595

मेडिकल एसेसमेन्ट शिविरों में परीक्षण किये गये बालक/बालिका (जनपद-बाराबंकी)

दृष्टि		श्रवण		टस्थि		मानसिक		सन्दर्भित		कुल योग		योग
बालक	बलिका	बालक	बलिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालिका	बालक	
154	103	110	86	1381	860	118	78	254	181	195	1308	3265

विकासखण्ड हैदरगढ़ में वितरित उपकरण/उपस्कर

क्रमसंख्या	उपलब्ध कराये गये उपकरण	उपकरण संख्या
1.	बैसाखी	261
2.	ट्राईसाईकिल	205
3.	व्हील चेयर	180
4.	नेत्रहीन छड़ी	143
5.	श्रवण यन्त्र	160
6.	कृत्रिम अंग (कैलीपर)	798
7.	वाकिंग स्टिक	115
	योग	1862

विकलांग बच्चों का कक्षा 1 से 5 तक नार्मोकन

कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
66	42	131	86	301	191	318	200	301	188	1117	707	1824

विकलांग बच्चों का कक्षा 6 से 8 तक नार्मोकन

कक्षा 6		कक्षा 7		कक्षा 8		कुल योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
314	244	268	188	130	91	712	519	1231

2. <u>वातावरण सृजन कार्यशाला -</u> जनपद में एक दिवसीय ब्लाक स्तर पर 21 वातावरण सृजन, जनजागरण कार्यशाला की गयी जिसमें अभिभावक (अक्ष्म बच्चों के) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अध्यापकों, बी0आर0सी0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0सी0 ने प्रतिभाग किया इसमें अभिभावकों का मार्गदर्शन किया गया तथा समाज शिक्षक समुदाय घर, परिवार इन बच्चों के साथ अधिक से अधिक किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, आदि पर विशेष चर्चा की गयी कार्यशाला की अवधि 9 बजे प्रातः से 8 बजे तक थी।

3. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण - चारों विकासखण्डों में समस्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमे कि 993 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और प्रशिक्षण जारी है यह प्रशिक्षण पॉच दिवसीय है।

4. फाउण्डेशन कोर्स, मास्टर ट्रेनर, ब्रिज कोर्स - जनपद बाराबंकी के दो विकाखण्डों से 13 शिक्षक प्रशिक्षक की टीम तैयार की जा चुकी है।

5. स्वास्थ्य परीक्षण -प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष भी जनपद में सभी प्राथमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आरम्भ हो गया है इस वर्ष के स्थान पर रजिस्टर में कालम बनाकर प्रविष्ठियॉ। भरी जा रही है।

6. अभिभावक गोष्ठियॉ - जनपद में गॉव-2 में जाकर के विकलांग बच्चों के अभिभावकों की गोष्ठियॉ आयोजित की जाती है, समेकित शिक्षा की जानकारी दी जाती है। जन समुदायच व अभिभावकों को मार्ग दर्शन के बिन्दु पा चर्चा की जाती है। जन जागरण हेतु जन समुदाय को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है।

जनपद बाराबंकी में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत अभी यह कार्यक्रम केवल दो विकासखण्डों में हो चलाया जा रहा है, जबकि 0 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चे पूरे जनपद में हैं सभी को शिक्षा हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों को सभी के लिये शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इसलिये अक्षमाग्रस्त बच्चों को भी समेकित शिक्षा की मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक हैं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिये कुछ विशेष कार्य योजना को बढ़ावा दिया जा सकता हैं, जो कि डी0पी0ई0पी0 के अल्प समय में पूर्ण नहीं की जा पा ही है। समेकित शिक्षा का पूर्ण जनपद में कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाया जा सकेगा तभी सभी विकलांग बच्चों को साक्षर किया जाना सम्भव हो पायेगा। समेकित शिक्षा के बिना अक्षमता ग्रस्त बच्चे समाज में अपने आपको समायोजित नहीं कर सकते इसलिये सरकार व स्वयंसेवी संस्थाये इन अक्षमताग्रस्त बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु समेकित शिक्षा की गई विचारधारा को लागू कर रहे हैं और इसके परिणाम समाज में दिन प्रतिदिन अच्छे आ रहे हैं क्योंकि जिस राष्ट्र के बच्चे पूर्ण शिक्षित नहीं होते हैं समुदाय जागृत नहीं होता है वहॉ राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो जाती है और यह बच्चे जो कि अभी काफी विद्यालय से बाहर है शिक्षा से

वंचित हैं उनमें निहित क्षमता का विकास कर उनके अभिभावकों का रूढ़िवादिता का अन्त कर जन समुदायच को जाग्रत कर बच्चों में आत्म विश्वास जगाने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने में समेकित शिक्षा के द्वारा ही पहल की जा सकती है क्योंकि वे सुविधा सम्पन्न नहीं है और उनकी परिस्थितियॉ भी आसान नहीं है इसलिये समेकित शिक्षा के द्वारा समाज के अक्षताग्रस्त बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समायोजित कर उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा की प्रस्तावित कार्ययोजना निम्नवत है।</u>

1. मेडिकल असिसमेन्ट (जनपद के सभी अक्षमाग्रस्त बच्चों का)
2. सहायक उपकरण/उपस्कर वितरण शिविर का आयोजन।
3. मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रति ब्लाक दो प्रतिभागी।
4. फाउन्डेशन कोर्स प्रति ब्लाक पच्चीस प्रतिभागी।
5. प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चों का पॉच दिवसीय प्रशिक्षण।
6. साहित्य छपाई पूरे जनपद में।
7. एन0जी0ओ0 का सहयोग।
8. विशेष शिविर तीन दिवसीय, प्रति ब्लाक।
9. वोकेशनल ट्रेनिंग पूर्ण जनपद में।
10. वातावरण सृजन कार्यशाला, ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर।
11. अभिभावक गोष्ठी न्याय पंचायत स्तर पर।
12. खेल कूद प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, जनपद/ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर।
13. जनजागरण रैली न्याय पंचायत स्तर पर।
14. समेकित भवन ब्लाक स्तर पर, विशेष विद्यालय।
15. अभिभावक शिक्षक, बाल विकलांग मेला न्याय पंचायत स्तर पर।
16. समस्त विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था।
17. स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक वर्ष जनपद के सभी प्राथमिक/जूनियर के बच्चों का, रजिस्टर प्रति विद्यालय 4 ।
18. ठहराव हेतु पॉच दिवसीय शिविर।
19. प्रति वर्ष विकलांग दिवस समारोह का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर।
20. जिला स्तर पर पुनर्वास केन्द्र की स्थापना।
21. ग्राम शिक्षा समिति का तीन दिवसीय समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

अक्षमताग्रस्त बच्चों का सर्वागीण विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में उपर्यक्त कार्यक्रम के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों को शिक्षित किया जायेगा तथा जन समुदाय

को भी जागृत किया जा सकेगा इससे उनका पूर्ण विकास तो होगा ही साथ ही वे समाज में पूर्ण विश्वास व आत्मसम्मान के साथ आत्म निर्भर बन सकेगें। यह तभी सम्भव है जबकि सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा इन सभी कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्याय–9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

जनपद स्तर पर डायट महत्त्वपूर्ण शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अवस्थित है। डायट के दिशा निर्देशन में 6–14 वयवर्ग के बालक–बालिकाओं के सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना की गयी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत डायट द्वारा बच्चें को विद्यालय भेजने में रूचि दिखायी एवं उनके खान–पान, रहन सहन आदि पर भी विशेष ध्यान देने लगे। इस योजना के पूर्व बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उनका संज्ञान बहुत कम था। अर्थात न के बराबर था। सुविधा प्राप्त की दृष्टि से भी बालिकाएं उपेक्षित थी। उन्हें केवल घर–गृहस्थी के कार्यो तक ही सीमित रखा जाता था। किन्तु वर्तमान समय में योजना के कार्यो का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखायी पड़ रहा है। आज अभिभावक बालकों के साथ–साथ प्रदर्शन, माँ–बेटी मेला आदि गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले विद्यालयों में केवल पुस्तकीय शिक्षण प्रदान किया जाता है जो जीवन के व्यवहारिक जगत में भी सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है आज के समय में बालक–बालिकाओं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रही है। इसका आशय यह है कि उन्हें विद्यालयों में प्रत्येक प्रकार की ज्ञान को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो उन्हें उनके अनुकूल अवसर प्राप्ति कराने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार के जन जागरण अभियान चलाये जा रहे है। जिसके प्रतिफल में विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं सम्प्राप्ति बढ़ रही है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है तथा इसके साथ–साथ प्राथमिक शिक्षा से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं अभिकर्मियों के प्रयास का प्रतिफल है। विद्यालय से लेकर समय पंचायत संसाधन केन्द्र, ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं डायट योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे है। शासन की प्रत्येक नीति को समाज के प्रत्येक कर्म तक पहुचाने के लिए प्रयासरत है।
डायट द्वारा सम्पादित विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरन्तर प्रगति की ओर ले जा रहे है।

शिक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वितीय विस्तारित के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्मावित क्रियाकलाप :–

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्वत किये गये।

क्रम	प्रशिक्षण का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण	3663
2.	बी0आर0सी0 समन्वयक	15
3.	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रशिक्षण	123
4.	शिक्षा मित्र (डी0पी0ई0पी0)/बेसिक प्रशिक्षण	531+456=987

5.	शिक्षा मित्र (डी0पी0ई0पी0/बेसिक) पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण	135+240=375
6.	आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण	210
7.	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	—
8.	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण	60
9.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	35
10.	लिंग से वेदीकरण प्रशिक्षण	39
11.	क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण	—
12.	शैक्षिक अनुसमर्थन प्रशिक्षण	116
13.	श्रेणीकरण	—

उपर्युक्त प्रशिक्षकों के माध्यम से शिक्षक/शिक्षकाओं में विषमगत व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट किया गया तथा उनमें विषय के प्रति गुणात्मक अभिवृद्धि की गयी जिसमें उनका भी सक्रिय सहायोग प्राप्त किया गया। उक्त प्रशिक्षकों से प्रतिभागियों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया। प्रशिक्षण अनुश्रवण के समय यह देखने को मिला कि प्रशिक्षण उत्साह वर्धक रहा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया। जिन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जीकुआ गोण्डा में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जनपद बाराबंकी 15 विकास खण्डों एक नगर क्षेत्र तथा 136 न्याय पंचायतों से अच्छादित है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन के केन्द्र समन्वयको सह–ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयाओं का चयन किया गया। इसी के साथ–साथ ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण किया गया। ब्लाक समन्वयकों सह समन्वयकों एवं पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

डायट के निर्देशन में शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु निम्नांकित अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये गये। समन्वयाओं द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण एवं आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण।

विद्यायलों एवं संसाधन केन्द्रों की भौतिक एवं अकादमिक पक्ष के मूल्यांक हेतु ग्राम परियोजना कार्यक्रम द्वारा विकसित मानके के आधार पर श्रेणीवरणस्याय पंचायत स्तर पर महीने के अन्तिम शनिवार को होने वाली बैठक में शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक समस्याओं का समाधान शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन।

जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम में सफल बनाने हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम द्वारा काफी सहयोग प्राप्त हुआ है। उक्त के माध्यम से शैक्षिक एवं भौतिक दोनों पक्षों के सबलीकृत किया जा रहा है। विद्यालयों में भौतिक दृष्टि से तथा शिक्षकों से अकादमिक दृष्टि से परिपुष्ट बनाने में उपर्युक्त कार्यक्रम लाभप्रद सिद्ध हुए है। किन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिए अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान कियाजाना अपेक्षित हो।

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के सापेक्ष उनमें गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रयास करना तथा उन्हें अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाना।

2. मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/शिक्षकाओं के सापेक्ष उनमें गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रयास करना तथा उन्हें अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाना।
3. अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजो/राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षक/शिक्षकओं के सापेक्ष उनमें गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रयास करना तथा उन्हें अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाना। बच्चों का शैक्षिक कठिनाइयों के दूर करने का प्रयास तथा उनमें शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में अभिवृद्धि करना आदि को शामिल किया जाना।
4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय/परिषदीय/अशासकीय/(माध्यमिक विद्यालयों) (राजकीय/अशासकीय) के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1–5 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभागवार प्रस्तावित कार्ययोजना :–

पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी की परिकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई। निर्धारित शिक्षा नीति के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना अक्टूबर 1987 में की गई। जनपद बाराबंकी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गनेशपुर को जो पूर्व में रजकीय दीक्षा विद्यालय था को परिवर्तित कर दिया गया। यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 40किमी0 गोण्डा, बहराइच मार्च पर जनपद के उत्तर पूर्वी दिशा में सीमान्त क्षेत्र एवं घाघरा नदी के किनारे पर गनेशपुर गांव में स्थित है।

इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य जनपद के प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना है। शैक्षिक क्षेत्र के जुड़े अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शीघ्र करना, जनपद के शैक्षिक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना तथा तदनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना।

शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यो के सरलीकरण हेतु संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गई है जो निम्नवत है :–

01. जिला संसाधन इकाई विभाग।
02. सेवापूर्व विभाग।
03. सेवारत विभाग।
04. पाठयक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
05. कार्यानुभव विभाग।
06. शैक्षिक तकनीकी विभाग।
07. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

जिला संसाधन इकाई विभाग

वर्तगान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, विकास में प्रमुख साधन है। संविधान को 205 भावना के अनुरूप देश के सभी नागरिकों को शिक्षित किया जाना

आवश्यक है। सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेकों योजनाएं बनाकर कार्यक्रम चलाये जा रहे है। ऐसे बालक बालिकाएं जिनकी विद्यालयी अवस्था समाप्त हो गई है। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य कार्य है। इस कार्य के लिए काफी जनसम्पर्क की आवश्यकता होती है। समाज के जो लोग शैक्षिक सहयोग देने की रूचि रखते है। ऐसे लोगों के परामर्श एवं सहयोग की आवाहन करके कार्य को सम्पादित कराया जाता है।

इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्नवत है :–

1. अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
4. कार्यक्रम विकास के लिए गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन करना।
5. कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
6. कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।
7. कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना।

वर्ष 2003–2004 में–

01. ऐसे बचों जो किन्ही कारणों से विद्यालयी शिक्षा छोड़ चुके है तथा घरेलू कार्यो को सीखे को शिक्षिति कराने कार्यक्रम संचालित किया जायगा।
02. शिक्षा में रूचि रखने वाले स्वंय सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा कार्यो का पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराना। स्वयं सेवी संस्थाओं का अपेक्षित निर्देशन अनुश्रवण कराना।

वर्ष 2004–2005 में–

स्वयं सेवकों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कार्यो का पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन कार्य करना।

वर्ष 2005–2006 में –

अनुदेशकों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराना।

2. सेवापूर्ण विभाग :–

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिखण की व्यवस्था कराता हूँ। तथा शिक्षा मित्रों के 30 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों एवं शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में इतना दक्ष करना कि ये भविष्य में विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सके।

सेवापूर्ण विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2003–2004 में–

बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

वर्ष 2006–2007 में–

बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सेवारत विभाग :–

इस विभाग द्वारा विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को नित्य नवीन विद्याओं एवं तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षत किया जाता है। समय–समय पर पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा नई–नई चुनौतियों का सामना करने की जानकारी प्रदान कराना होता है।

सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2003–2004 में–

भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण।

वर्ष 2004–2005–

भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, अंग्रेजी, संस्कृत में पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण एवं सेमीनार आयोजित कर नवीन जानकारियों से अवगत कराया जायगा।

वर्ष 2005–2006 में–

सेवारत अध्यापकों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण एवं मूलभूत समस्याओं पर गोष्ठी आयोजित की जायेगी।

वर्ष 2006–2007 में–

सेवारत अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रो की गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण एवं मूलगूत समस्याओं पर गोष्ठी की जायेगी।

3. कार्यानुभव :–

शिक्षा का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास की स्थिति को दर्शाना है। आर्थिक विकास की स्थिति को दर्शाना है। आर्थिक विकास, जीवनोपयोगी क्रियाकलापों की सम्पन्नता पर निर्भर करता है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग के अन्तर्गत जीवनोपयोगी कार्यो की जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है तथा विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विद्यालयों के स्वच्छता परिसर सौच सौंदर्य कारण एवं शैक्षिक सामग्रियों की जानकारी कराने का कार्य करता है।

कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2003–2004 में– छात्रों अध्यापकों/अध्यापिकाओं को शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण कराया जायगा।

वर्ष 2005–2006 में– छात्राध्यापकों/छात्राध्यापकाओं को बागवानी में सुगन्ध पौधों की रोपाई की जानकारी एवं उनके उत्पादनों की अधिक जानकारी एवं उनके उत्पादनों की आर्थिक जानकारी करायी जायगी।

शैक्षिक तकनीकी विभाग :– बदलती परिस्थितियों में व्यक्तियों कम से कम समय में अधिक जानकारी लेना चाहता है। अर्थात सर्वत्र समय का अभाव दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में अविष्कारीकी दौड़ में प्राप्त अनेक वैज्ञानिक

उपकरणों के द्वारा अधिक से अधिक जानकारी की आवश्यकता होने के कारण शैक्षिक वातावरण में भी महत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की जानकारी अध्यापकों को होना चाहिए। अल्प समय में अल्प व्यय तथा अल्प व्यय तथा अल्प सुविधाओं की स्थिति में विद्यार्थियों को ज्ञान देना अनिवार्य होना हो गया है ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षित कर शैक्षिक समाधान में सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :

वर्ष 2003–2004 में– छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं, शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं स्थानीय सामग्रियों के आधार पर सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण कराया जायगा।

वर्ष 2004–2005 – छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प व्ययी सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण करायी जायेगी। श्रव्य दृश्य का शैक्षिक परिवेश की जानकारी के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

वर्ष 2005–2006 में– सेवारत अध्यापकों के शैक्षिक उपकरणों के सम्बन्ध में पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायगा। छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं शैक्षिक उपकरणां पर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा।

वर्ष 2006–2007 में – छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को शैक्षिक उपकरणों पर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा।

वर्ष 2006–2007 में– छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पव्ययी शिक्षण सामग्रियों के निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा। सेवारत अध्यापकों द्वारा कक्षाओं में श्रव्य उपादान के प्रयोग व्यवस्था प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5. पाठयक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग :–

पाठयक्रम, विद्यालयी शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। पाठयक्रम निर्माण में छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता परिवेशीय आवश्यकताएं सुलभ साधनों का अधिकतम शैक्षिक उपयोग आदि का ध्यान दिया जाता है।

पाठयक्रम निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान दिया जाता हैं पाठयक्रम निर्माण सही दिशा में किया गया है तथा शिक्षक अपने प्रयास में कहां तक सफल हो पाते है, मूल्यांकन का प्राल्य करना है, सतत् व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया सहजता से की जा सकती है। उक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए पाठयक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है।

वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना :–

वर्ष 2003–2004 में– आवश्यकता प्रसार पाठयक्रम में परिवर्तन होगा जो सतत व्यापक मूल्यांकन के अनुरूप होगा।

वर्ष 2004–2005 में– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के पाठयक्रम में नैतिक मूल्यों के अंशो का समावेश किया जायेगा।

वर्ष 2005–2006 में– राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतंत्र लिंगभेद आदि का पाठयक्रम में समावेश किया जायेगा।

वर्ष 2006–2007 में– सृजित पाठयक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायगा।

6. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग, संख्यागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली का विकास करना आदि का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजनाः–

वर्ष 2003–2004 में– डायट स्तर पर जनपद की सभी संख्यागत शिक्षण इकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।

वर्ष 2004–2005 में– निर्धारित कार्य नियोजन का, शिक्षा अभिकर्मियों को जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

वर्ष 2005–2006 में– शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली की कार्यप्रणाली की विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्यरूप देना जिससे वास्तविक जानकारी हो सके। प्रशिक्षित किया जायेगा।

वर्ष 2006–2007 में– नियोजन एवं प्रबन्धन के लिए किये गये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम बनाकर क्रियान्वित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संबर्धन हेतु कार्य योजना :–

सार्वजनिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण, सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1999 से जनपद बाराबंकी में प्रारम्भ किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सम्बर्धन करने के साथ–साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के लिए प्रतेत्यक स्तर अकादमिक हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों, का चयन यिका गया, जिनका राजय स्तरीय प्रशिखण राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन, लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया। जनपद बाराबंकी 15 विकास खण्डों तथा 136 न्याय पंचायतों से आच्छादित है। विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्र के लिए सह–समन्वयक, समन्वयक एवं न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित पी0आर0सी0 एवं सह समन्वयकों को उनके कार्य एवं दायित्त्वों के सम्बन्ध में पांच दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 एवं विद्यालय का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन लखनऊ द्वारा विकसित पैरा मीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संबर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के

अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिए अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथा :–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक प्रशिक्षण को भी इस परिधि में लाया जाये।
2. मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं को भी परिधि में लाया जाये।
3. अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेज एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो/इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्धता प्राथमिक विद्यालयों कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण को परिधि में लाया जायेगा।
4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय परिषद अशासकीय) उच्चतर विद्यालयों (अशासकीय/राजकीय) के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तके उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद की प्राथमिक शिक्षा का परिदृश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या :–1995
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (परिषदीय/मान्यता प्राप्त) :–222
3. माध्यमिक विद्यालयों की संख्या :–(कक्षा–6,7,8 संचालित है) :–81
4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो की संख्या :–70
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की संख्या :– (क) शिक्षा मित्रों की संख्या –1046
   (ख) आचार्यो की संख्या –132
   (ग) श्रृषिवैली केन्द्रों की संख्या–20
6. मकतब मदरसों की संख्या :–48
7. हाईस्कूल :–53
8. इण्टरमीडिएट :–29
9. स्नातकोत्तर महाविद्यालय :–04

गुणवत्ता सम्बर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के योग्य अध्यापकों में से प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए समन्वयक का चयन किया गया है। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्नवत है :–

समन्यक ब्लाक संसाधन केन्द्र

1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिए किया जाता है।

2. डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संबर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातारण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।
4. ब्लाक संसाधन केन्द्र मासिक बैठकों का आयोजन विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो, शिशु शिक्षा केन्द्रो का पर्यवेक्षण किया जाता है, एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते है।
6. ई0एम0आई0एस0 आंकड़ो का संकलन कार्य।
7. ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना तदनुरूप बजट निर्माण तथा वार्षिक कार्य योजना का क्रियान्वयन करते है।
8. सी0आर0सी0 सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिए आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना यह प्रशिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्पादन तक सीमित न रहकर व्यापक मुद्दो/दृष्टि की ओर केन्द्रित होना चाहिए।
9. सी0आर0सी0 के फीड बैक और इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिए एक सक्रिय समूह गठित करना।
10. कलस्टर स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्य सूची अवधारणात्मक प्रलेप तैयार करना जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख कया जाये।

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों को शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के केन्द्र बिन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों की परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आकडो का संकलन कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।
4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन सहयोग प्रदान करना।

5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान–प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को वांछित सहयोग प्रदान करना।
6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।
7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना। नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुडी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्चा एवं पाठय पुस्तकों के दुर्गम स्थलों में उनकी मदद करना।
8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपाय मुहैया करना।
9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर दलों का अभिनिर्धारण और प्रशिक्षण।
10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन आधार प्रदान करना।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्राथमिक स्तरीय)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) से आच्छादित जनपद बाराबंकी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आच्छादित जनपदों के विस्तार जनपदों के रूप में वर्ष 1999 से आच्छादित है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संबर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को पांच चक्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों (टी0ओ0टी0) को डायट स्तर पर चिन्हित किया गया जिनका प्रशिक्षण राज्य सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित किया गया है। राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सफल होने वाले टी0ओ0टी0 द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जनपद बाराबंकी विस्तार जनपद होने के कारण प्रथम चक्र का (शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण) तथा द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण सबल समेकित कर एक बार में ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर आयोजित किया गया शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण प्रथम चक्र एवं सबल प्रशिक्षण द्वितीय चक्र (द्वितीय) समेकित में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल शिक्षकोदय एवं सबल का उपयोग किया गया। शिक्षकोदय एवं सबल आधारित दस दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के बिन्दु निम्नवत थे :–

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रिय भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।

3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाइयो को समझना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाइयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।
6. विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण एवं दक्षता आधारित प्रशिक्षण बल।
7. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।
8. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।
9. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।
10. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृति करने पर बल देना।
11. गतिविधियों द्वारा पाठय वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।
12. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहुकक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
13. बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोगी एवं सम्भावना है।
14. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का कार्य।
15. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।
16. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत मूल्यांकन।
17. शिक्षक कार्य में विषय धारित कहानी लोक कक्षाओं के प्रयोग से भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर पर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक (शिक्षकोदय/सबल) का विवरण

क्रमांक	ब्लाक का नाम	कुल शिक्षकों की संख्या	पुरूष	महिला	अब तक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बंकी	503	147	356	500
2.	देवा	272	156	116	270
3.	मसौली	255	169	86	243
4.	हरख	281	203	78	281
5.	फतेहपुर	255	203	52	255

6.	निन्दूरा	211	144	67	211
7.	रामनगर	232	196	36	232
8.	सूरतगंज	190	173	17	186
9.	बनीकोडर	283	241	42	279
10.	दरियाबाद	208	185	23	187
11.	सि.गौसपुर	174	145	29	172
12.	पूरेडलई	112	103	09	98
13.	सिद्धौर	226	198	28	226
14.	हैदरगढ़	227	178	49	223
15.	त्रिवेदीगंज	234	209	25	234

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश के समय ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों (टी0ओ0टी0) द्वारा ब्लाक स्तर पर आयोजित किया गया जिसकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। तृतीय चक्र के प्रशिक्षण के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल (साधन) का प्रयोग किया गया। यह प्रशिक्षण मुख्यतः नवीन पाठय पुस्तकों के कक्षा में प्रभावी उपयोग पर केन्द्रित था, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे।

1. गतिविधियों द्वारा पाठय वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।
2. एकल अध्यापकों विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
3. बहु उद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा शिक्षण में उपयोग एवं संभावनाऐं।
4. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।
5. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।
6. बच्चों की ज्ञानात्मक भावनात्मक एवं क्रियात्मक वक्ष का सतत् मूल्यांकन।
7. शिक्षण कार्य में विषयधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

<u>सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव</u>

जनपद बाराबंकी डी0पी0ई0पी0 का विस्तार जनपद है तथा जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्थानुरूप शिक्षकोदय सबल समेकित एवं साधन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। प्रशिक्षण के कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण डायट के ब्लाक सेन्टर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 द्वारा नियमित किया जा रहा है। जिनमें प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। शिक्षण कार्य में शिक्षण अधिगम सामाग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

विद्यालय के श्रेणीकरण का अध्ययन के आधार पर भी प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण

जनपद बाराबंकी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन के तत्काल उपरान्त एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना रहा है। अद्यावधि तक जनपद में सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण तीन चरणों में आयोजित किया जा चुका है। राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण समेकित रूप में तथा तृतीय चरण का प्रशिक्षण शेष परियोजना जनपदों की भांति ही किया गया। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा तैयार किये गये पैरामीटर इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों को श्रेणीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित है।

उ0प्र0 शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा सं0 2314/15.5.01–346/2001 दिनांक 11.7.2001 द्वारा विद्यालयों का श्रेणीकरण किये जाने हेतु 48 बिन्दुओं का उद्देश्य परक मानक निर्धारित किया गया है इनका मानकों में कुल 100 अंक हैं इस आधार पर विद्यालयों को ए0बी0सी0डी0 चार श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं जिसका मुख्य उद्देश्य कालान्तर में उनकी स्थिति में सुधार लाना है। विद्यालयों के श्रेणीकरण की माह जुलाई एवं सितम्बर की विकास खण्डवार स्थिति निम्नवत है :–

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	कुल प्रा0वि0 की संख्या	विद्यालयों की संख्या जिनका भ्रमण हुआ	माह अगस्त 2001 की स्थिति				माह सितम्बर 2001 की स्थिति				टिप्पणी
				A	B	C	D	A	B	C	D	
1.	बंकी	*107	107	02	33	47	25	06	55	39	07	डी ग्रेड के विद्यालयों की संख्या में कमी आयी है।
2.	देवा	104	75	-	06	54	27	04	37	31	03	धीमी किन्तु निरन्तर प्रगति हो रही है।
3.	मसौली	87	87	14	26	33	04	15	32	32	08	–
4.	हरख	105	105	02	64	35	04	02	65	34	04	–
5.	फतेहपुर	130	130	16	75	39	-	27	82	21	-	प्रसंशनीय है। कुल विद्यालयों का 20 %A ग्रेड में है। प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ा है।
6.	निन्दूरा	103	103	06	36	38	23	03	63	35	02	––
7.	सूरतगंज	116	65	-	08	02	-	03	42	15	05	––
8.	बनीकोडर	119	119	01	62	37	19	01	72	28	18	––
9.	दरियाबाद	100	100	18	55	23	04	16	55	24	05	––
10.	सि.गौसपुर	96	96	04	53	35	04	09	51	32	04	धीमी किन्तु निरन्तर
11.	पूरेडलई	63	40	-	-	13	17	-	-	18	22	––
12.	सिद्धौर	120	120	07	94	12	07	08	97	10	05	धीमी प्रगति हुई है।
13.	हैदरगढ़	115	115	06	43	40	17	12	63	26	14	स्पष्ट प्रगति हुई है।
14.	त्रिवेदीगंज	108	106	11	72	23	02	14	74	17	01	प्रगति हो रही है।
15.	रामनगर	104	104	01	43	41	01	02	62	40	-	प्रगति हो रही है।
		*1574	1472	88	670	472	154	122	850	402	98	

टिप्पणी :—माह जुलाई की तुलना में सितम्बर 2001 में ए ग्रेड के विद्यालयों की संख्या में 34 की वृद्धि हुई है।
'बी' ग्रेड के विद्यालयों में 180 की वृद्धि हुई है।
'डी' ग्रेड के विद्यालयों में 56 की गिरावट आयी है।

विद्यालय श्रेणीकरण की तुलनात्मक स्थिति का स्तम्भ चित्र

आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

कक्षा–2 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	66	47	113	16.50%
एम0एल0एल0 नही	130	89	219	32.00%
एम0एल0एल0 स्तर	83	38	121	17.70%
प्रयास करने पर दक्षता	98	48	146	21.30%
दक्षता ग्रहण	58	27	85	12.40%
योग	435	249	684	100%

कक्षा–2 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

स्तर	अनु0जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	57	45	11	113	16.50%
एम0एल0एल0 नही	79	94	46	219	32%
एम0एल0एल0 स्तर	47	55	19	121	17.70%
प्रयास करने पर दक्षता	60	67	19	146	21.30%
दक्षता ग्रहण	27	43	15	85	12.40%
योग	270	304	110	684	100%

कक्षा–2 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	110	03	113	16.50%
एम0एल0एल0 नही	210	09	219	32.00%
एम0एल0एल0 स्तर	119	02	121	17.70%
प्रयास करने पर दक्षता	139	07	146	21.30%
दक्षता ग्रहण	80	05	85	12.40%
योग	658	26	684	100%

कक्षा–2 के सम्मिलित छात्र– बालक–435
बालिका–249
योग–684
ग्रामीण छात्र संख्या–658
नगरीय छात्र संख्या–26
योग–684

कक्षा–2 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	34	31	65	9.50%
एम0एल0एल0 नही	167	111	278	40.60%
एम0एल0एल0 स्तर	105	62	16	24.40%
प्रयास करने पर दक्षता	94	35	129	18.90%
दक्षता ग्रहण	35	10	45	06.60%
योग	435	249	684	100%

कक्षा–2 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

स्तर	अनु0जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	34	24	07	65	9.50%
एम0एल0एल0 नही	108	118	52	278	40%
एम0एल0एल0 स्तर	68	78	21	167	24.40%
प्रयास करने पर दक्षता	41	64	24	138	18.90%
दक्षता ग्रहण	19	20	06	45	6.60%
योग	270	304	110	684	100%

कक्षा–2 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
शून्य स्तर	63	02	65	9.50%
एम0एल0एल0 नही	272	06	278	40.60%
एम0एल0एल0 स्तर	161	06	167	24.40%
प्रयास करने पर दक्षता	122	07	129	18.90%
दक्षता ग्रहण	40	05	45	6.40%
योग	658	26	684	100%

कक्षा–5 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत

एम0एल0एल0 नही	171	73	244	50.40%
एम0एल0एल0 स्तर	149	61	210	43.40%
प्रयास करने पर दक्षता	23	04	27	5.60%
दक्षता ग्रहण	03	0	03	00.60%
योग	346	138	484	100%

कक्षा–5 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

स्तर	अनु0जाति	पिछड़ी जाति	अन्य	योग	प्रतिशत
एम0एल0एल0 नही	81	102	61	244	50.00%
एम0एल0एल0 स्तर	63	86	61	210	43.40%
प्रयास करने पर दक्षता	4	14	09	27	5.60%
दक्षता ग्रहण	1	1	1	3	.60%
योग	149	203	132	484	100%

कक्षा–5 के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
एम0एल0एल0 नही	237	07	244	50.40%
एम0एल0एल0 स्तर	196	14	210	43.40%
प्रयास करने पर दक्षता	270	00	27	5.60%
दक्षता ग्रहण	2	0.1	03	00.60%
योग	462	22	484	100%

कक्षा–5 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

स्तर	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
एम0एल0एल0 नही	297	133	430	88.80%
एम0एल0एल0 स्तर	47	05	52	10.70%
प्रयास करने पर दक्षता	02	00	02	.40%
दक्षता ग्रहण	0	0	0	0.00%
योग	346	138	484	100%

कक्षा–5 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

स्तर	अनु0जाति		पिछड़ी जाति		अन्य	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एम0एल0एल0 नही	136	91.30%	176	86.70%	118	89.40%
एम0एल0एल0 स्तर	12	8.10%	27	13.30%	13	9.80%
प्रयास करने पर दक्षता	1	.70%	00	00.00%	1	.80%
दक्षता ग्रहण	0	00%	00	00.00%	0	00.00%
योग	149	100.00%	203	100.00%	132	100.00%

कक्षा–5 के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

स्तर	ग्रामीण	शहरी	योग	प्रतिशत
एम0एल0एल0 नही	409	21	430	88.80%
एम0एल0एल0 स्तर	51	01	52	10.70%
प्रयास करने पर दक्षता	02	00	02	.40%
दक्षता ग्रहण	0	0	0	0.00%
योग	462	22	484	100%

बेस लाइन सर्वे के आधार पर शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण तथा शहरी छात्रों की सम्प्राप्ति में अन्तर पांचों स्तरों पर काफी कम है। जबकि जातिवार शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई विशेष अन्तर नही है। लिंगवार शैक्षिक सम्प्राप्ति का अन्तर भी ज्यादा है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्षेत्रवार तथा लिंगवार तुलना करने पर शैक्षिक सम्प्राप्ति का अन्तर ज्यादा है। जबकि जातिवार शैक्षिक सम्प्राप्ति का अन्तर ज्यादा नही है।

कक्षा–2 के छात्रों की गणित विषय की सम्प्राप्ति :– उपर्युक्त सारणी का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रवार (ग्रामीण/शहरी) सम्प्राप्तियों का अन्तर बहुत ज्यादा है जबकि लिंगवार एवं जातिवार सम्प्राप्तियों का अन्तर बहुत कम है। (क्रमशः 34 एवं 186)

कक्षा–5 के बच्चों की भाषा विषय की सम्प्राप्ति :– उक्त सारणी का अध्ययन करने पर भी कक्षा–2 के छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति जैसे रूझान ही प्राप्त होते है। सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल छात्रों के 88.08 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सके। अतः इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय की प्रोत्साहन योजनाएं

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा अनु0जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में 14 वर्ष की आयु की समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनु0जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र–2001–2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा 1–5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठय पुस्तके उपलब्ध करायी गयी।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण तथा पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए है। जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ–साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनु0जाति एवं जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक बालिकाओं की दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक बालिकाओं की मिलता है।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2002 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति।

कक्षा 2 एवं 5 के छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि।

कक्षा	भाषा	गणित
		मध्यमान
2	74.98	83.65
5	59.47	46.75

मध्यावधि मूल्यांकन सवेक्षण के न्यूनतम अधिगम स्तर के विभिन्न स्तरों के आधार पर वितरण।

कक्षा 2 के छात्रों का भाषा व गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर के आधार पर वितरण।

स्तर	भाषा(%)	गणित (%)
न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं	9.8	4.39
न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त	19.3	10.37
दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर	24.9	22.61
दक्षता प्राप्त करने वाले	46.0	62.63

कक्षा 5 के छात्रों का भाषा व गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर के आधार पर वितरण।

स्तर	भाषा (%)	गणित (%)
न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं	13.8	43.5
न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त	40.9	33.6
दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर	32.9	18.4
दक्षता प्राप्त करने वाले	12.4	4.4

प्रथम सारणी से ज्ञात होता है कि कक्षा 2 के छात्रों की भाषा में उपलब्धि मध्यामान 74.98% व गणित में उपलब्धि मध्यमान 83.65% रही है। इसी प्रकार कक्षा 5 के छात्रों की भाषा में उपलब्धि मध्यमान 59.47% व गणित विषय में उपलब्धि मध्यमान 46.75% रहा हैं।

द्वितीय सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कक्षा 2 के भाषा में 9.8% बच्चों न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सकें जबकि न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले 19.3% बच्चे दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर होने वाले 24.9% बच्चे है तथा 46.0 बच्चे दक्षता प्राप्त करने वाले रहें हैं।

इस प्रकार कक्षा 2 के गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले 4.39% बच्चे रहे हैं जबकि न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले 10.37% बच्चे, दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर होने वाले 22.61% बच्चे तथा 62.63% बच्चे दक्षता प्राप्त करने वाले रहे हैं।

तृतीय सारिणी से ज्ञात होता है कि मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण में कक्षा 5 के भाषा में 13.8% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले रहें है जबकि 40.9% बच्चो न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने वाली, 32.9% बच्चे दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर होने वाले तथा 12.4% बच्चे दक्षता प्राप्त करने वाले रहे है।

इसी प्रकार कक्षा 5 के गणित में 43.5% बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं। जबकि 33.6% बच्चे न्यूनतम अधिगम प्राप्त करने वाले, 18.4% बच्चे दक्षता ग्रहण करने की ओर अग्रसर तथा 4.4% बच्चे दक्षता प्राप्त करने वाले रहे हैं।

"सर्व शिक्षा अभियान" गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौगीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद बाराबंकी में 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवयायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिर्वन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा 'सर्व शिक्षा अभियान' के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है :-

1. 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध् कराना।
2. वर्ष 2003 तक समस्त बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारिम्भक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
5. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
6. बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक कुछ प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 सं. 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहाँ बाल विकास परियोजनाएँ नहीं चल रही हैं वहाँ विशेष पूर्व विद्यायलयी शिक्षा उपलबध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

SAT

S - Systematic
A - Approach
T – Training
India
I – Identification
N- Need
D – Desigining & Planning
1- Implemintation
2- Assesses

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण शिक्षा होगी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खण्ड स्तररीय, न्याय पंचात स्तरीय एवं स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु चार दिवसीय विजनिंग कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों न्याय पंचायत / विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा--कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजित

किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डी.पी.ई.पी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा एवं बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी शिक्षण का 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें से 7 दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवस का प्रशिक्षण क्रमशः एक–एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. तीन दिवसीय विजनिंग कार्यशाला का आयोजन।
2. बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेले का आयोजन
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालो अप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002–2003			80.00	
2003–2004				
2004–2005				
2005–2006				
2006–2007				

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी.एल.एम. का प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित दर
2002–2003			500.00	
2003–2004				
2004–2005				
2005–2006				
2006–2007				

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच वर्ष के महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिए प्रशिक्षण का ऐजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होन वाले प्रशिक्षणों का अभिलेखीकरण बलक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक ससाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रू0 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रूपया 56,00,000.00 (रूपया छप्पन लाख) अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात महीनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डाय द्वारा तैयार किये गये ऐजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
2. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रुपये 80 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से रूपया 56,00,000.00 (रूपया छप्पन लाख) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय होगा जिस पर रू0 80.00 प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से रूपये 56,00,000.00 (रूपये छप्पन लाख) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 8 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

1. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक साम्रगी विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालायें जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेंगी।

2. डायट द्वारा तैयार किये गये ऐजेन्डे के अनुसार प्रशिक्षण के फालो अप हेतु एन.पी.आर. सी स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रु0 80.00 की दर से रू0 56,00,000.00 (रूपये छप्पन लाख) अनुमानित व्यय होग।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पाँचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय होगा। जिसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा। तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संबर्धन के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संबर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण :– प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण मुख्यतः अभिप्रेरणा पर आधारित होगा जिसमें मुख्यतः लिंग भेद, स्कूल प्रबंधन, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बृहत्तर सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता एवं गुणात्मक परिवर्तन के प्रति इच्छा शक्ति जागृत करने पर जोर दिया जायेगा यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिसमें प्रथम पांच दिवसों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण–कक्ष में आयोजित होगा शेष में से दो दिनों का कक्षा कक्ष में आयोजित होगा और कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं में अध्यापक के क्रिया कलाप के द्वारा उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और आखिरी दिन प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों की समीक्षा की जायेगी कि वे किस स्तर तक प्रशिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाये हैं।

दूसरे वर्ष के प्रशिक्षण में वस्तु अवधारणात्मक तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु निम्नवत् होगी ।

विद्यालय विकास में छात्रों एवं अनुशासन की भूमिका शिक्षण विधियाँ (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) सम्प्रेषण, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सीखना, सीखने की प्रक्रिया, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आदि। इस प्रशिक्षण के आठ दिन बी.आर.सी रतर पर आयोजित होंगे तथा शेष दो दिन की अवधि में एन.पी.आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित होगा। एन.पी.आर.सी. स्तर का यह प्रशिक्षण दो माह में पूर्ण होगा। यह अवधि प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए रखी गयी है।

तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण – इस वर्ष के प्रशिक्षण में विज्ञान प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जायेगा

उक्त प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कर लिया जायेगा। जिस विकास खण्ड में कम से कम शिक्षक होंगे उसे बगल के विकास खण्ड ने समायोजित कर दिया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्ष

कार्यक्रम योजना

क्र0 सं0	वर्ष / गतिविधियां	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	1. कार्यशाला / रोगिनार प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला
	उच्च प्राथमिक	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला	1.आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. शिक्षण अधिगम सामग्री निमाण विषय कार्यशाला
02	प्रशिक्षण प्राथमिक	1. प्रधानाध्यापक प्रशि0 2. भाषा अध्यापक प्रशिक्षण 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण	1. प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण 2. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण 2. अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण 2. पूर्व प्रशिक्षण का बृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
	उच्च प्राथमिक	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण 2. संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण 2. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. हिन्दी, व्यायाम, स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण 2. मूल्य आधारित प्रशिक्षण 3. पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. पूर्व प्रशिक्षण का बृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
	क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	1. एस.डी.आई., ए.बी. एस.ए. की क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण	1. क्षमता संबंर्धन हेतु अनुभूति समस्याओं के सापेक्ष एस.डी. आई / ए.बी.एस.ए. का प्रशिक्षण	1. क्षमता संबंर्धन हेतु अनुभूति समस्याओं के सापेक्ष एस.डी. .आई / ए.बी.	1. एस.डी.आई. / ए.बी.एस.ए. की प्रशिक्षण एवं समस्याओं को निराकरण तथा अन्य सुझाव।	1. एस.डी.आई. / ए.बी.एस.ए. को पूर्व प्रदत्त प्रशिक्षण का मूल्यांकन

			एस.ए. का प्रशिक्षण		
	2. बी.आर.सी./ए.बी. आर.सी. तथा एन.पी. आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	2. विद्यालयी समस्याओं के आंकलन हेतु बी. आर.सी., ए.बी. आर.सी तथा एन. पी.आर.सी. समन्वयकों का, प्रशिक्षण	2. विद्यार्थियों, अध्यापक/अध्यापिकाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु बी.आर.सी., ए. बी.आर.सी. तथा एन.पी. आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	2. बी.आर.सी. ए.बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर. सी. समन्वयकों की श्रेणीकरण के प्रभाव का आकलन	2. बी.आर.सी. ए.बी.आर.सी. समन्वयकों की समस्याओं का मूल्यांकन
	3. अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	3. अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	3. अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	3. अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	3. अनुदेशक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
	4. डयट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	4. डयट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	4. डयट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	4. डयट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	4. डयट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव
	1. बी.आर.सी. एवं एन. पी.आर.सी. स्तर पर	1. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी., स्तर पर	1. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर. सी. स्तर पर	1. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर. सी. स्तर पर	1. बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर. सी. स्तर पर
	2. डायट स्तर पर	2. डायट स्तर पर	2. डायट स्तर पर	2. डायट स्तर पर	2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर	जनपद स्तर पर	जनपद स्तर पर	जनपद रतर पर	जनपद स्तर पर
	1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन	1. कला प्रतियोगिता	1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता
	2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता	2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता	2. विज्ञान प्रतियोगिता	2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता
	3. सुलेख प्रतियोगिता	3. विज्ञान प्रतियोगिता	3. वाद–विवाद प्रतियोगिता	3. श्रुति लेख प्रतियोगिता	3. वाद–विवाद प्रतियोगिता

अन्य विशेष प्रशिक्षण

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।
2. लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
3. नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।
4. स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
5. सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण।
6. व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
7. समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
8. शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।
9. समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर उपयोगी प्रशिक्षण :– इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यों को एक माह का आधार भूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे।

लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण :– कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी.आर.सी. स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी :– सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :– स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधार शिला है, एक सुप्रबन्धित स्कूल में गुणवत्ता के तीनो पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों

के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से सचालित होते रहते है साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाई सकूल के सभरत अध्यापको को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :— इन निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरो का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे सन्दर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणः— यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :— इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यी कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा सम्भव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसिक किया जायेगा।

शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षणः— जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रों के आचार्य जी के लिए तीस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणः— इस निमित्त जू0 हाई स्कूल के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशक का प्रशिक्षण :– पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्य कत्रियो तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :– डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज मे 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी. आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी.आर.सी./एन. पी.आर.सी. के समन्वयकों को उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी, ई.सी.सी.ई. के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

<u>सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण</u>:– विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरिएण्टेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद बाद द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों, बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :– विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू

करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति की सदस्यों के साथ साथ युवक मंडल दल के सदस्य माडल कलस्टर डेवलेपमेन्ट एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायित सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स, मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन, पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाय। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखकर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में सामुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय सामुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत् गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सदस्य सचिव प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, विकलांग बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओ के साथ–साथ विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों

जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का गठन कर ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) तथा जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए डायट गनेशपुर–बाराबंकी के नेतृत्व में बी.आर.जी. के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में बी.आर.जी. के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निशात गंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कुल 1003 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम चक्र में आधी ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया। वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियाँ प्रशिशित हो चुकी है। अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे :–

1. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकरण।
2. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का कौशल निर्माण।
3. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।
4. समस्या समाधान, एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषणात्मक अभ्यास कार्य।
5. गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।
6. लिंग भेद एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल (ग्राम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास) के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों एवक उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन तथा स्कूल मानचित्रण का कार्य किया

गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रिया कलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेषकर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिए विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिए विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव में सहयोग मिलता है। साथ ही परिवार के सदस्यों भाई बहन एवं माता–पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोंपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से ह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :– जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्ष में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर भी आयोजित किये जायेंगे।

अन्य हस्तक्षेपणीय उपाय :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि

करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य सकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:–

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या – 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा पल्स पोलियो चुनाव ड्यूटी आर्थिक गणना ए0बी0एस0ए0 की बैठक, खेलकूद की रैली, बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी आदि	10 दिन 30 दिन	14 दिन
समुदाय से सम्पर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारणी के अनुसार जनपद बाराबंकी में उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन x समय	वादन x समय
भाष 1 हिन्दी	10 x 40	3 x 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 x 40	3 x 40
भाषा 3 संस्कृत	3 x 40	3 x 40
विज्ञान	6 x 40	3 x 40
गणित	10 x 40	3 x 40
सामाजिक विषय	5 x 40	3 x 40
बेसिक क्राफ्ट / कला	5 x 40	3 x 40
शारीरिक शिक्षा	3 x 40	3 x 40

कृषि		2 x 40

प्राथमिक स्तरीय समय सारणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठं	सप्तम्	अष्टम्
1.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	--
2.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	--
3.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
4.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावरणीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
5.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	विज्ञान		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठं	सप्तम्	अष्टम्
6	हिन्दी	विज्ञान	सा0 विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
7	हिन्दी	गणित	सा0 विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
8	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा. विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला / व्यायाम

कार्य शालाओं / गोष्ठियों का आयोजन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1. बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास
4. छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।
6. छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी
7. छात्र/छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टेस्ट आईटम का निर्माण
8. कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए विचार गोष्ठी

ऐक्शन रिसर्च

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन में सीमेट इलाबाद तथा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढ़ने में सफल हो सके।

क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:-

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है ?
2. बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्याकंन में मानीटर का सहयोग कैसे ?

4. कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास ?
5. शिक्षण प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास) ?
6. बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?
7. बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?
8. समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास ?
9. शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अंतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास?
10. अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना ?
11. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता देने की विधियां खोजना
12. उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।
13. बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।
14. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।
15. विद्यालय परिसर के दुरूपयोग की समस्या।
16. अल्पसंख्यक बालिकाओं की कम नामांकन की समस्या।
17. छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।
18. मध्यावकाश के पश्चात कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।
19. अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।
20. छात्रों की अनियमित उपस्थिति।
21. छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।
22. गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।
23. दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ, प्रासंगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथ सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपानों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्ध प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लाक संसाधन केन्द्र, जनपद, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते है। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली एक नवोदघाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूल भूत समस्या एवं आवयकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0 एस0 आकड़ों को विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांका के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वन में हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक को आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्ष निकालने सम्बन्धी पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण एवं व्यवस्था करके जो मुद्दे उभरेंगे उनको ध्यान मे रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर एवं कक्षा–8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्न पत्र निर्माण डायट में ही होगा।

साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्याकंन और उनहें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान एतद् विषयक प्रिशक्षण डायट/बी.आर.सी/एन.पी. आर.सी. समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सकें।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :– डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहो का सुदृढ़ीकरणः– जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ, शिक्षा विद्, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा।

इनकी क्षमता संबंर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी।

यह कार्यशालाएं मुख्यतयाः अकादमिक पर्यवेक्षण, विशेष शिक्षण एवं स्कूल प्रबन्धन तथा शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होंगी। तथा प्रतिवर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेंगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए)

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 से तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बनधी बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्रीः– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार नालन्दा संस्था लखनऊ द्वारा डायट गनेशपुर बाराबंकी तथा जनपद के चार ब्लाक संसाधन केन्द्रों क्रमशः रामनगर,सूरतगंज,सिरौली गौसपुर तथा पूरेडलई की तीन–तीन न्याय पंचायतो की संस्थागत क्षमता विकास के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया। नालन्दा संस्था लखनऊ द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना में जनपद की दो अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं 'पारिजात' एवं बालिका शिक्षा परियोजना हड्डीगंज बाराबंकी द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

डायट के लिए संस्थागत क्षमता विकास कायक्रम के लिए प्रशिक्षण की कार्य योजना

प्रशिक्षण का नाम	अवधि
मोटीवेशन टीम बिल्डिग फेज 1	दो दिवसीय
मोटीवेशनल टीम बिल्डिग फेज 2	आठ दिवसीय
न्यू पेडागाजिलक मेथडस	सात दिवसीय
प्रशिक्षण तकनीकी फेज 1	पॉच दिवसीय
प्रशिक्षण तकनीकी फेज2	पॉच दिवसीय
रिसर्च मेथोडोलिजी	पॉच दिवसीय

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण(भाषा आधारित / गणित / पर्यावरणीय अध्ययन)फेज 1	चार दिवसीय
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण(भाषा आधारित / गणित / पर्यावरणीय अध्ययन)फेज 2	चार दिवसीय
संस्थान प्रबन्ध फेज1	पाँच दिवसीय
संस्थान प्रबन्ध फेज 2	पाँच दिवसीय

ब्लाक संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत केन्द्र समन्वक की संस्थागत क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

टीम बिल्डिंग फेज 1	तीन दिवसीय
टीम बिल्डिंग फेज 2	तीन दिवसीय
कर्तव्य एवं उत्तरदात्वि फेज 1	दो दिवसीय
कर्तव्य एवं उत्तरदात्वि फेज 2	दो दिवसीय
विद्यालय प्रबन्ध	दो दिवसीय
गतिविधि नियोजन फेज 1	तीन दिवसीय
गतिविधि नियोजन फेज 2	तीन दिवसीय

ग्राम शिक्षा समितियों के लिए

मास्टर टेनर का प्रशिक्षण	नालन्दा द्वारा	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण प्रथमफेरा	पारिजातद्वारा	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण द्वितीय फेरा	हड्डीगंज	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण तृतीय फेरा	पारिजात	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण चतुर्थ फेरा	हड्डीगंज	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण पंचम फेरा	पारिजात	पाँच दिवसीय

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण छठां फेरा	हड्डीगंज	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण सातवांफेरा	पारिजात	पाँच दिवसीय
ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आठवां फेरा	हड्डीगंज	पाँच दिवसीय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण

Heads/Sub Heads Activity	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Toal
	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक संख्या	भौतिक सख्या	भौतिक सख्या	भौतिक सख्या
Education Training mitra (30 Days 07x30)	809	229	299	169	78	81	81	84	85	1915
Education Training for Assistant Teacher (30x07)	809	166	300	169	79	80	82	83	85	1853
Education Training of Head Teacher (PS) (20x07)	0	63								63
Education Training of Head Teacher (UPS) (20x07)	0	90	90	50	50	52	0	0	0	332
In Service Teachers Training (20 days)		1701	1867	7010	7179	7258	7338	7420	7503	47276
Referecer Training of Shiksha Mitra (15 days)		809	1038	1337	1506	1584	1665	1746	1830	11515
Education Training of EGS/AIE Workers (30days) (30x07)	149	163	100	100	48					560
Refercer course of EGS/AIE workers (15days (15x07)	0	149	312	412	512	560	560	560	560	3625
Training for BRC Coodinator (20 days) (20x07)	15									15
NPRC Coordinator's Training (20 Days) (20*07)	136									136
Refresher Training for BRC Coordinator (5 Days)	0	15	15	15	15	15	15	15	15	120
Training of Resource person at (DIET) (20days)(20*07)	0	136	0	136	136	136	136	136	136	952
Staff devolopment Training for DIET's (7Days)										0
BRC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (20days)(20*02)	0	151	151	151	151	151	151	151	151	1206
ABSA/SDI Training (5days)(07*5)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
Training for AE & JE (5Days) (07*5)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144
Honorarium to AE & JE	0	0	0	12	12	12	12	12	12	72
Teachers Training computer (UPS)/DIET faculty (20 days)	230	360	450	500	550	602	602	602	602	4498
Orientation of VEC's / Ward commity (2 days) (.07*2*25)	0	0	0	503	500	503	500	503	500	3009
Training of RCI (IED) (45 days) (45*.07)	0	10	11.025	110.25						131.275
Training orientation in IED (5 days)		1701	1867	7010	7179	7258	7338	7420	7503	47276
AWPB Review and training of core planning team by SIEMAT (5 days)		10	10	10	10	10	10	10	10	80
Training on EMIS by SIEMAT (5 days0		10	10	10	10	10	10	10	10	80
Teachers/ABSA/BRC/NPRC Staff training for gender sensetisation (3 days)										0

नवाचार कार्यक्रम

जनपद बाराबंकी में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता विकास हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकर्मियों द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहें हैं, सरकारी स्तर पर किये गये प्रयासों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के लिये 500 रू0 प्रति वर्ष अध्यापक अनुदान की व्यवस्था शिक्षण अधिगम सामग्री को बढ़ावा देने हेतु न्याय पंचायत, ब्लाक संसाधन केन्द्र , जनपद स्तर पर मैटीरियल मेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ द्वारा जनपद के विकासखण्ड हैदरगढ़ एवं त्रिवेदीगंज की न्याय पंचायतें क्रमशः बहुता, खरसतिया, एवं हैदरगढ़ नगरक्षेत्र के कुल 29 विद्यालयों में विकल्प योजना चलायी जा रही है। जिसका प्रमुख लक्ष्य कक्ष-1, और 2 के और बच्चों की भाषा और गणित में शैक्षिक सम्प्राप्ति को बढ़ाना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गयें हैं।

1. बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में कक्षा को समूहों में बॉटकर अधिगम को प्रोत्साहित करना ।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देने ।
3. कक्षा-। और 2 के धीमीगति से सीखने वाले बच्चों के लिये उपचरात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना ।
4. डी0पी0इ0पी0 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुपूरक के रूप में कार्य करना।

उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरूस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तग्रत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफ़लतापूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों , न्याय पंचायत/ ब्लाक संग़धन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों/डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ठ कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

डायट/बी0आर00सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2	थ्शक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3	थ्शक्षामित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	3 दिन
5	ट0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	5 दिन
6	वे0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	7 दिन
7	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
10	नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	8 दिन
11	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12	विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13	गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15	व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16	स्मुदाय शिक्षक एवं अभिभावकोंके बीच अन्त सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों विकास

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है:-

1. समेकित शिक्षा कार्य हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
3. लाईब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण ।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट प्रयोगो का प्रशिक्षण
6. क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपरविजन

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिंकजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय , उच्च प्रा0वि0, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों / ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा, उन्हेंसमन्वयक ब्लाक

संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा,उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य में एजेण्डा तैयार किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्धन की भूमिका में इनका प्रशिक्षण तथ अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। प्रा0वि0,उ0प्रा0वि0, न्याय पंचायत, ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर (उददेश्यपरक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेग, तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों , उ0पा0वि0 संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

पद	सृजित	कार्यरत	थरक्त
प्राचार्य	01	01	-
उप-प्राचार्य	01	01	-
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
प्रवक्ता	17	02	15
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	-
सॉख्यकीकार	01	01	-
तकनीकी सहायक	01	-	01
प्रा0वि0 से प्रतिनियुक्ति	04	01	03

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकॉक्षी योजना है, तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्तपर लिंकजेज बनाये

रखने के लिये वर्तमान में अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

डायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1	अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.50
2	सभा कक्ष का निर्माण	10.00
3	डारमेट्री का निर्माण	25.00
4	प्राचार्य आवास	15.00
5	पुराने भवन का जीर्णोधार	62.50
उपकरण/साजसज्जा		
1	डॉट मेट्रिक्स प्रिन्टर	00.50
2	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	2.00
3	वटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन, ए0सी0	1.50
4	सभाकक्ष, डारमेट्री, हेतु फर्नीचर	3.50
	योग	62.50
आवर्तक प्रतिवर्ष		
1	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2	कार्यशाला/सेमिनार	2.00
3	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4	कन्टीन्जेन्सी	1.00
5	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	0.50
	योग	10.0

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता सम्वर्द्धन से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अनतर्गत अनुमानित का ऑकलन करते हुये निम्नलिखित प्राधिमान किये जायेगें।

क्रम	मद का नाम	अनु-मानित लागत हजार में
1	फर्नीचर (उपकरण)	50.00
2	उपकरण	100.00
3	कम्प्यूटर	-
4	वाहन	-
5	किराये का मकान	100.00
6	पी0ओ0एल0 एवं वाहन रखरखाव	100.00
7	सेमिनार	1500.00
8	शोध / क्रियात्मक शोध	800.00
9	संकाय	400.00
10	एक्सपोजर विजिट	400.00
11	पुस्तकालय	50.0
12	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	250.00
13	ड्राईवर का वेतन	250.00
14	कन्ज्यूमेबिल / कम्प्यूटर स्टेशनरी	40.00
15	आनुवॉगिक व्यय	400.00
	योग	4790.00

अध्याय -10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-11 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगी। प्रबधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लियें इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसें निचले स्तर पर जवावदेही,दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमो का अनुश्रवण किया जायेगा।अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्रः संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली सीपित कर प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लोने,जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने , वित्तीय निवेशों की अबाध प्रवाह प्रदान करने और सदाचार विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा के अवसर सुनिश्चित उपलब्ध कराने के लिए उ0प्र0 सव शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत दर्शाया जा सकता ।

निर्माण समितियाँ	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0 ई0एफ0 ए0पी0थी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0 एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियेजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट,एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा समिति	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्क ठांचाः नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समितिः

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बंधी समस्त कर्त्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैः

समिति का स्वरूप निम्नवत हैः

1- ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष

2- ग्राम-पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3- बेसिक स्कूलों के छात्रो के तीन संरक्षक(जिसमें एक संरक्षक महिला होगी)जो सहायक बसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र मे स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन,नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास,प्रसार और सुधार के लिए योजनाऐं तयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवद्रि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें जायै।

(च) पंचायत क्षेत्र की सभाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ)बेसिक शिक्षा से सम्बंधित ऐसे अन्य कत्यों का करना ,जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोपे जाये ।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है।, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण परिषद में से सुधार , शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बंधी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बंधी सारे कत्यों की सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभायी यनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करेने हेतु इसके सदस्यों को माइक्राप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा। ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सेके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य सर्मस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों,अनुदेशको आचार्यो आंगनबाडी केन्द्रो स्टाफ के वेतन मानदेय काभ्रुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवत्ति का वितरण , पोषाहार वितरण का नियंत्रण नि:शुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र : (एन0पी0आर0सी0)

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो का निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनकों प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व:

1- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडिमक निरीक्षण करना

2-अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

3-ग्राम शिक्षा समिति के सर्दस्यों को प्रशिक्षित कराना।

4-ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5-न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं को संकलन एवं सूक्ष्म नियोजना।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1-	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2-	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षिक	सदस्य-सचिव
3-	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4-	विकास खण्ड का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो मे समन्वय स्स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत क अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाइ0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने मे एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षिक कार्यरत है। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों की क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षित ,परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होगें विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय सीापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्या0 सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी क प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होगें।

1- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन कराना।
5- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकडे एकत्र कर संकलित करना।
6- सभी प्रकार की छात्रवत्ति का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7- विद्यालय मे अध्ययनरत सभी बालिकाओं/अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठय पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
8- खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बंधित सूचना संकलित कराना।
9- विद्यालयों में निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनायें रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सूनिश्चित कराना।
11- ग्राम शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12- अध्यापको के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षिक करेगें तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वो का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वद्धि तथा गतिशीलता बढाने के उद्देश्य से एक मोटर सायकिल के साथ यात्राभत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि(18000/-प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वो के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र मे नियुक्ति किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी ह और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द विद्युतीकत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वै प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्रों में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सजित किया जायेगा। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण,सूचना को एकत्रित करना संकलन,विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण से सहायता करेगें।

ोक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकर ण , एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक क्यूटर आपरेटर के साथ सुदढीकत करने की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 हेतु एक लाख रूपयें का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक / समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व:

1- अध्यापकों को अभिनवीकंरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2- विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नही।

3- विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

4- ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय सीपित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7- विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तयार करना।

8- ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपदीय स्तरीय समिति:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति एवं रणनीतियों के निर्धाण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी उपाध्यक्ष मुख्य विकासअधि0 एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठन निम्नवत है:-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
4-प्राचार्य डायट	सदस्य
5-जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7-वित्त एवं लेखाधिकारी-बेसिक शिक्षा	सदस्य
8-अधिशासी अभियंता-आर0ई0एस0	सदस्य
9-जिला विद्यालय निरीक्षिक	सदस्य
10-दो शिक्षा विद (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
11-दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)	
12-दो शिक्षक (राष्टीय/राज्य पुरस्कार)	
13-स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेन का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बंध में इसके

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार--प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BARABANKI

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt. Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Traviling Allowance & Meeting			6.00	15	90.00	15	90.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	15	75.00	15	75.00	
7	Contingency			12.50	15	187.50	15	187.50	
	TOTAL BRC	0	0.00		45	352.50	45	352.50	
II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Cordinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	136	136.00	136	136.00	
11	Contingency			2.50	136	340.00	136	340.00	
12	Meeting & TA			2.40	136	326.40	136	326.40	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		408	802.40	408	802.40	
III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	32	8288.00	32	8288.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	21	1496.00	280.00	104	29120.00	125	30616.00	Spill.Handpump
15	Additnal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additnal Classrooms UPS			70.00	20	1400.00	20	1400.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	75	750.00	75	750.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	5	1915.00	5	1915.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	21	1496.00		236	41473.00	257	42969.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	15	540.00	15	540.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	133	4495.40	133	4495.40	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		149	5215.40	149	5215.40	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		149	5215.40	149	5215.40	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	3512	175.60	3512	175.60	
35	Free Text Books UPS			0.15	16400	2460.00	16400	2460.00	
	TOTAL Text Book	0	0.00		19912	2635.60	19912	2635.60	
VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	2200	2640.00	2200	2640.00	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1692	8460.00	1692	8460.00	
58	U.P.S.			5.00	230	1150.00	230	1150.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1922	9610.00	1922	9610.00	
XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			2500.00	0	2500.00	
XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	251	351.40	251	351.40	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		251	351.40	251	351.40	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
70	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	22	44.00	22	44.00	
71	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	351	702.00	351	702.00	
	Total School Grant	0	0		373	746.00	373	746.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - BARABANKI

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)					-	0	0.00	
75	Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	66	7920.00	66	7920.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	**0**	**0.00**		**66**	**7920.00**	**66**	**7920.00**	
(XVII)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
79	Salary of Asstt. Teachers 2003-04 (P.S.)			9.00	32	1728.00	32	1728.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	312	18720.00	312	18720.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	32	432.00	32	432.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	1346	18171.00	1346	18171.00	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	**0**	**0.00**		**1722**	**39051.00**	**1722**	**39051.00**	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	**0**	**0.00**		**1788**	**46971.00**	**1788**	**46971.00**	
XVIII	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
84	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	196	98.00	196	98.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	2071	1035.50	2071	1035.50	
	TOTAL Teacher Grant	**0**	**0.00**		**2267**	**1133.50**	**2267**	**1133.50**	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
87	TLE PS @10			10.00	32	320.00	32	320.00	
88	TLE UPS @50	22	1100.00	50.00	104	5200.00	126	6300.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB		0.00	50.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	**22**	**1100.00**		**136**	**5520.00**	**158**	**6620.00**	
(XX)	TEACHER TRAINING						0	0.00	
89	Induction Trainingg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	32	67.20	32	67.20	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	198	277.20	198	277.20	
91	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	1171	1229.55	1171	1229.55	
	TOTAL Teacher Training	**0**	**0.00**		**1401**	**1573.95**	**1401**	**1573.95**	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
92	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	
XXIII	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	**0**	**0.00**			**244.00**	**0**	**244.00**	
XXIII	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		2596.00			126768.75		129364.75	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

BARABANKI

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	32	8288	0	0	5	1280	0	0	37	9568
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	104	29120	0	0	5	1400	0	0	131	40442
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (200102/0203)(UPS)	10	66	6840	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	38520
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	32	432	32	792	37	915.75	37	915.75	138	3055.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	32	1728	32	3456	37	3996	37	3996	138	13176
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	312	18720	312	37440	327	39240	327	39240	1278	134640
A8	*Teaching Learning Equipment*		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	32	320	0	0	5	50	0	0	37	370
A8.2	UPS	50	38	1900	104	5200	0	0	5	250	0	0	147	7350
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**18662**	0	**71728**	0	**49608**	0	**55051.75**	0	**52071.75**		**247121.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	232	4901	232	4901	232	4901	696	14703
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	20	422.5	20	422.5	20	422.5	60	1267.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	15	540	90	3240	90	3240	90	3240	285	10260
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	71	4260	71	4260	0	0	142	8520
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	16	2880	16	2880	16	2880	49	8820
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	137	4495.4	89	3008.2	89	3008.2	89	3008.2	400	13520
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	108	1657.8	108	1657.8	108	1657.8	324	4973.4
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	0	0	0	0	1	250
	ACCESS Subtotal		0	**18662.00**	0	**76943.40**	0	**70227.50**	0	**75421.25**	0	**68181.25**	**0**	**309435.40**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	12	2292	12	2292	5	955	29	5539
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	10	3830	10	3830	0	0	25	9575
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0	0	0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	311	21770	305	21350	276	19320	892	62440
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	20	1400	[illegible]	7420	0	0	0	0	136	9520
R4.1	Toilets Upper Primary	10	40	400	75	750	0	0	0	0	0	0	115	1150
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	250	2500	200	2000	200	2000	650	6500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	50	900	0	0	0	0	50	900
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1692	8460	1692	8460	1692	8460	1697	8485	6773	33865
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	230	1150	230	1150	230	1150	356	1780	361	1805	1407	7035
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1346	33313.5	1488	36828	1567	38783.25	4401	108924.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	141	13536	219	21024	302	28992	662	63552
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1346	18171	142	3514.5	79	1955.25	84	2079	1651	25719.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	22	44	1657	3314	1680	3360	1680	3360	5039	10078
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	230	460	351	702	371	742	480	960	480	960	1912	3824
R12	**Promoting Girls Education**		0	3149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3149
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	50	3750	50	3750	0	0	100	7500
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	200	800	156	624	0	0	356	1424
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	15	375	15	375	0	0	30	750
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	166	232.4	0	0	166	232.4	332	464.8
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		143		143		143		429	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	143	715	0	0	0	0	143	715
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	143	536.25	143	536.25	143	536.25	429	1608.75
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	143	214.5	143	214.5	143	214.5	429	643.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	73	5.11	143	10.01	143	10.01	359	25.13
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	926	2592.8	926	2592.8	0	0	1852	5185.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	136	680	136	680	136	680	408	2040
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	926	444.48	926	444.48	0	0	1852	888.96
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	2	10	2	10	2	10	6	30
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0	0	0	4	266.8	4	266.8	4	266.8	12	800.4
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	10	5000	32	1920	32	1920	32	1920	106	10760
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	926	2315	926	2315	0	0	1852	4630
	RETENTION Sub Total		0	**5859**	0	**37592**	0	**117649.3**	0	**117628.09**	0	**110659.21**	**0**	**389387.64**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	32	67.2	116	243.6	84	176.4	83	174.3	315	661.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	114	239.4	0	0	312	655.2	20	42	0	0	446	936.6
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	198	277.2	4825	6755	4905	6867	5022	7030.8	14950	20930
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	994	1391.6	1171	1229.55	1174	1232.7	1189	1248.45	1189	1248.45	5717	6350.75
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1930	2702	2051	2871.4	2130	2982	6111	8555.4
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	355	745.5	0	0	0	0	355	745.5
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	30	21	30	21	30	21	90	63
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	136	95.2	136	95.2	136	95.2	408	285.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	4	5.6	4	5.6	38	53.2
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	32	11.2	32	11.2	32	11.2	96	33.6
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	2200	2640	2345	2814	2412	2894.4	2525	3030	9482	11378.4
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	196	98	6806	3403	7049	3524.5	7206	3603	21257	10628.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1108	554	2071	1035.5	1108	554	1123	561.5	1123	561.5	6533	3266.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	3512	175.6	191696	9584.8	195533	9776.65	199440	9972	590181	29509.05
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	35355	5303.25	16400	2460	65341	9801.15	66648	9997.2	67981	10197.15	251725	37758.75
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1692	253.8	1692	253.8	1692	253.8	5076	761.4
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	500	25	120	6	0	0	620	31
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1692	25380	1692	25380	1692	25380	5076	76140
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	230	1725	356	2670	356	2670	942	7065
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**7488.25**	0	**7983.05**	0	**66083.65**	0	**66441.8**	0	**67275.6**		**215272.25**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	15	2160	15	2160	15	2160	45	6480
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	30	1980	30	1980	30	1980	90	5940
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	15	540	15	540	15	540	45	1620
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	15	30	15	30	15	30	45	90
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C2.11	Contigency	12.5	0	0	15	187.5	15	187.5	15	187.5	15	187.5	60	750
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	15	54	15	54	15	54	45	162
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Coordinator @12 for 12 mths	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	136	680	136	680	136	680	408	2040
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	136	136	136	136	136	136	136	136	544	544
C3.4	Contingency	2.5	0	0	136	340	136	340	136	340	136	340	544	1360
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	136	326.4	136	326.4	136	326.4	136	326.4	544	1305.6
C4	District Project Office/Management		16	780	0	2500	0	0	0	0	0	0	16	3280
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAC/DC	15	0	0	0	0	8	1440	8	1440	8	1440	24	4320
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	30	540	30	540	30	540	90	1620
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	20	200	20	200	20	200	60	600
C4.9	Consumeables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	11	1320	11	1320	11	1320	33	3960
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	5	50	5	50	5	50	15	150
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1656	2318.4	1656	2318.4	1656	2318.4	4968	6955.2
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	268	375.2	251	351.4	356	498.4	356	498.4	356	498.4	1587	2221.8
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1155.2**	0	**4006.3**	0	**34362.7**	0	**34302.7**	0	**34302.7**		**108129.6**
C5	MIS		0	0	0	0	0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	0	0	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1155.2**	0	**4250.3**	0	**34886.7**	0	**34826.7**	0	**34676.7**	0	**109795.6**
	GRAND TOTAL		0	**33164.5**	0	**126768.75**	0	**288847.19**	0	**294317.84**	0	**280792.66**	0	**1023890.89**

Year wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **BARABANKI**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	11022.0	41473.0	38712.0	32152.0	22275.0	145634.0
Management	375.2	351.4	7420.8	7420.8	7270.8	23083.0
Programme	21767.3	84944.4	242714.4	254745.0	251246.9	855173.9
Total	33164.5	126768.8	288847.2	294317.8	280792.7	1023890.9
Percentage - Civil	33.2	32.7	13.4	10.9	7.9	14.2
Percentage - Management	1.1	0.3	2.6	2.5	2.6	2.3
Percentage - Programme	65.6	67.0	84.0	86.6	89.5	83.5
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100